खण्ड-136, अंक-4
गुरूवार, 16 वैशाख, शक संवत् 1876
(6 मई, 1954 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 136 में 5 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५४

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिवार, ६ मई, १९५४

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३२७)

अंसमान सिंह, श्री
अक्षयवर सिंह, श्री
अनन्तस्वरूप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अब्दुल रऊफ़ खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अलीजहीर, श्री सैयद
अवधशरण वर्मा, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
अशरफ़ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उम्मेद सिंह, श्री
उल्फत सिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकार सिंह, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलासिंह, श्री
कमाल अहमद रिजवी, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द्र
मोहिले उपनाम छुन्नन गुरु, श्री
कल्याण राय, श्री
कामता प्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
किन्दर लाल, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवर कृष्ण वर्मा, श्री
कृपा शंकर, श्री
कृष्णचन्द्र शर्मा, श्री
कृष्णशरण आर्य, श्री
केवलसिंह, श्री
केशभान राय, श्री
केशवगुप्त, श्री
केशव पांडेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयाली राम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगा प्रसाद, श्री
गंगा प्रसाद सिंह, श्री
गजेन्द्र सिंह, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेश प्रसाद पांडेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गुप्तार सिंह, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरु प्रसाद सिंह, श्री
गुलजार, श्री
गैंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गोविन्दवल्लभ पन्त, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री

चरणसिंह, श्री
चिरंजी लाल पालीवाल, श्री
चुन्नीलाल सगर, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगतनारायण, श्री
जगदीश प्रसाद, श्री
जगदीशसरन रस्तोगी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श दास, श्री
जगन्नाथ मल्ल, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपति सिंह, श्री
जगमोहन सिंह नेगी, श्री
जटाशंकर शुक्ल, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जवाहर लाल, श्री
जवाहर लाल रोहतगी, डाक्टर
जुगल किशोर, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
ज्वाला प्रसाद सिन्हा, श्री
झारखंडे राय, श्री
टीकाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलसीराम, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेज प्रताप सिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
तेजासिंह, श्री
त्रिलोकी नाथ कौल, श्री
दयाल दास भगत, श्री
दर्शन राम, श्री
दलबहादुर सिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवमूर्ति राम, श्री
देवराम, श्री
देवेन्द्र प्रताप नारायण सिंह, श्री
द्वारका प्रसाद मित्तल, श्री
द्वारका प्रसाद मौर्य्य, श्री
द्वारिका प्रसाद पाण्डेय, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री
नरोत्तम सिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वर द्विवेदी, श्री
नाजिम अली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नौरंगलाल, श्री
पद्मनाथसिंह, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परमेश्वरीराम, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवान सिंह चौधरी, श्री
पातीराम, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुद्दनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रभूदयाल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फ़ज़लुल हक़, श्री
फ़तेहसिंह राणा, श्री
बलदेव सिंह, श्री
बलभद्र प्रसाद शुक्ल, श्री
बलवन्त सिंह, श्री
बशीर अहमद हकीम, श्री
बसन्त लाल, श्री
बसन्त लाल शर्मा, श्री
बाबूनन्दन, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बाबूलाल मोतल, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
विशम्बर सिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेनीसिंह, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (प्रतापगढ़)
भगवती प्रसाद शुक्ल, श्री (बाराबंकी)

भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवान सहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवरजी, श्री
भूपाल सिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
भोलासिंह यादव, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुरा प्रसाद त्रिपाठी, श्री
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री
मदन गोपाल वैद्य, श्री
मदन मोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीर सिंह, श्री
महीलाल, श्री
मान्धाता सिंह, श्री
मिजाजी लाल, श्री
मिहरबान सिंह, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक़ अली खां, श्री
मुहम्मद अब्दुल लतीफ़, श्री
मुहम्मद अब्दुस्समद, श्री
मुहम्मद तक़ी हादी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फ़ाखरी, श्री
मोहन लाल, श्री
मोहन लाल गौतम, श्री
मोहनसिंह, श्री
मोहन सिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथ प्रसाद, श्री
रघुराज सिंह, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राघवेन्द्र प्रताप सिंह, राजा
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजराम शर्मा, श्री
राजेन्द्र दत्त, श्री
राधाकृष्ण अग्रवाल, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
राम अधार तिवारी, श्री
रामअधीन सिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
राम अवध सिंह, श्री
रामकिंकर, श्री
राम कुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामगुलाम सिंह, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजी लाल सहायक, श्री
रामजी सहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
राम प्रसाद, श्री
राम प्रसाद नौटियाल, श्री
राम प्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराज शुक्ल, श्री
रामलखन, श्री
रामलखन मिश्र, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामशंकर रविवासी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर राम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप गुप्त, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहरख यादव, श्री
रामहेत सिंह, श्री
रामेश्वर प्रसाद, श्री

लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मण राव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लालबहादुर सिंह, श्री
लालबहादुर सिंह कश्यप, श्री
लीलाधर अष्ठाना, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायण सिंह, श्री
वंशीदास धनगर, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव प्रसाद मिश्र , श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विष्णुदयाल वर्मा, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रनाथ मिश्र, श्री
वीरेन्द्रपति यादव, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती
व्रजवासी लाल, श्री
व्रजविहारी मिश्र, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवकुमार मिश्र, श्री
शिवकुमार शर्मा, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल सिंह कपूर, श्री
शिवराज सिंह यादव, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववचन राव, श्री
शिवशरण लाल श्रीवास्तव, श्री
शिवस्वरूप सिंह, श्री
शुकदेव प्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रीचन्द, श्री
श्रीनाथराम, श्री
सईद जहां मख़फ़ी शेरवानी, श्रीमती
संग्राम सिंह, श्री
सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सत्यसिंह राणा, श्री
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, श्री
सियाराम चौधरी, श्री
सीताराम, डाक्टर
सुखीराम भारतीय, श्री
सुन्दरलाल, श्री
सुरुजू राम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सूर्य्यबली पांडेय, श्री
सेवाराम, श्री
हनुमान प्रसाद मिश्र, श्री
हबीबुर्रहनान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आज़मी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरगोविन्द सिंह, श्री
हरदयाल सिंह पिपल, श्री
हरदेव सिंह, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिश्चन्द्र अष्ठाना, श्री
हरिश्चन्द्र वाजपेयी, श्री
हरिसिंह, श्री
हेमवती नन्दन बहुगुणा, श्री

प्रश्नोत्तर

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

गन्ने के मूल्य का निर्धारण

**१—श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार ने गन्ना उत्पादकों और चीनी मिलमालिकों के बीच गन्ना के मूल्य सम्बन्धी मामलों को तय करने के लिये त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने की कोई तिथि निश्चित की है? यदि हां, तो कब ?

उद्योग मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—अभी नहीं।

**२—श्री गेंदासिंह—क्या यह सच है कि प्रदेश के चीनी मिल मालिकों ने सरकार के सामने यह मांग रखी है कि उन्हें घाटा हो रहा है इसलिये मिलमालिकों को केन सेस में छूट तथा दूसरे प्रकार की सुविधा दी जाय? यदि हां, तो किन किन-मिलों ने किस आधार पर और क्या मांगें की हैं?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं, यह सच नहीं है।

**३—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि प्रदेश के चीनी मिल मालिक चीनी विक्रेताओं से मिल कर के चीनी का मूल्य बढ़ा रहे हैं? यदि हां, तो इस पर सरकार क्या कार्यवाही करने जा रही है?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं, सरकार को इसकी जानकारी नहीं है।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस कान्फ्रेंस को न बुलाने का क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह—ठीक वायुमंडल का इन्तजार है।

श्री गेंदासिंह—वह ठीक वायुमंडल कैसा होना चाहिये, क्या इसको बतलाने की कृपा माननीय मंत्री जी करेंगे?

श्री हुकुमसिंह—ताकि हर पार्टी ओपेन माइंड ले कर उस कान्फ्रेन्स में आये।

श्री वीरेन्द्र वर्मा (जिला मुजफ्फरनगर)—क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्र की विभिन प्रदेशीय सरकारों से त्रिदलीय सम्मेलन के लिये कुछ आंकड़े सरकार ने इकट्ठा किये हैं?

श्री हुकुमसिंह—जी नहीं।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी ने जो इधर दो तीन दिन से अखबारों में खबर निकल रही है उसको देखा है?

श्री अध्यक्ष—मैं अखबारों में निकली हुई बात के सम्बन्ध में प्रश्न करने की इजाजत नहीं देता।

श्री गेंदासिंह—क्या इसकी भी जानकारी माननीय उद्योग मंत्री जी को नहीं है कि चीनी का भाव ऊंचा हो गया है?

श्री हुकुमसिंह---जहां तक मेरी जानकारी है कुछ भाव गिर रहा है।

श्री नारायण दत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---क्या यह सही है कि जून के महीने में त्रिदलीय सम्मेलन नैनीताल में बुलाया जा रहा है?

श्री हुकुमसिंह---मुझे इसकी जानकारी अभी नहीं है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि त्रिदलीय सम्मेलन के समक्ष रखने के लिये सरकार ने उस फार्मूला को जो माननीय क़िदवई साहब ने बताया है कोई रूप रेखा तैयार की है?

श्री हुकुमसिंह---रूप रेखा वही है जो अख़बार में निकली है।

श्री जगन्नाथ मल्ल (जिला देवरिया)---क्या भाव गिरने का मतलब माननीय मंत्री जी का जो सरकार ने चीनी का भाव मुक़र्रर किया था उससे भी कम है?

श्री हुकुमसिंह---नहीं, उससे कम नहीं है।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो अभी माननीय वीरेन्द्र वर्मा के जवाब में जिस अख़बार का हवाला उन्होंने दिया है वह कौन सा अख़बार है और क्या उसे पढ़ने की कृपा करेंगे?

श्री अध्यक्ष---अख़बार की बात के लिये मैं इजाजत नहीं देता।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या सरकार बताने का कष्ट करेगी कि माननीय क़िदवई साहब ने चीनी का भाव कम करने के सिलसिले में जो बयान दिया है उसको कार्यान्वित करने के लिये क्या क़दम उठाया है?

श्री हुकुमसिंह---अभी कोई बात ऐसी नहीं की गई।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि त्रिदलीय सम्मेलन बुलाने के लिये अभी तक उन्होंने क्या क्या प्रारम्भिक कार्यवाही की है?

श्री हुकुमसिंह---उसमें ज्यादा प्रारम्भिक कार्यवाही करने की जरूरत नहीं है, एक खत जारी करना है।

श्री गेंदासिंह---क्या यह सही है कि उद्योग सचिव ने कुछ मिलमालिकों को और कुछ और लोगों को भी इस त्रिदलीय सम्मेलन के फार्मूले पर प्रारंम्भिक विचार करने के लिये बुलाया था?

श्री हुकुमसिंह---जी नहीं।

मिर्जापुर सीमेन्ट फैक्टरी के निर्माण के लिए विदेशी सलाहकार

**४---श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहाँपुर)---क्या सरकार ने मिर्जापुर सीमेंट फैक्ट्री में बृटिश फर्म को मशविरे या इन्तजामियां या किसी और शक्ल में शामिल किया है? यदि हां, तो इस फर्म का नाम क्या है?

श्री हुकुमसिंह---सरकार ने लन्दन के सर्वश्री हेनरी, पूली नामक फर्म को फैक्ट्री के बनाने के काम में सलाह देने के लिये नियुक्त किया है?

**५---श्री भगवान सहाय---क्या सरकार आपसी माहिदे की मुख्य शर्तों की एक नकल सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी?

श्री हुकुमसिंह---मुख्य शर्तें इस प्रकार हैं :---

१---अनुबन्ध की अवधि १ सितम्बर, १९५२ ई० से दो वर्ष के लिये निर्धारित की गयी है और यह शर्त है कि फैक्ट्री १ सितम्बर, १९५४ ई० तक बन कर तैयार हो जायगी।

२---श्री पूली और उनके इंजीनियर काम की देख-रेख करेंगे और श्री पूली की अनुपस्थिति में फर्म की ओर से उनके इंजीनियर काम करेंगे तथा समय समय पर श्री पूली स्वयं आया करेंगे।

३---इन इंजीनियरों के तथा श्री पूली के आने जाने और यहां रहने का खर्चा फर्म स्वयं बर्दाश्त करेगा।

४---उपरोक्त सेवाओं के लिये फर्म को कुल २७,००० (सत्ताइस हजार) पौंड्स फीस के रूप में दिया जायगा।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि २७,००० पौंड्स में से इस फर्म को कितना रुपया दिया जा चुका है ?

श्री हुकुमसिंह---इसके आंकड़े इस वक्त मेरे पास नहीं हैं।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस हैनरी पूली कम्पनी का कैपिटल कितना है और उसकी ठोसता के बारे में आपको विश्वास है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष---यह तो आप राय का सवाल पूंछ रहे हैं। आखिरी हिस्सा आप फिर से दुहरा दें और राय का सवाल न पूछें।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फर्म को ठेका देते समय इसके इकोनामिक ठोसपने को पहले देख लिया गया था ?

श्री हुकुम सिंह---इस बात की जांच की गयी थी कि यह काम ठीक तरह से कर सकेंगे या नहीं। इनकी इकोनोमिक इस्टैबिलिटी के बारे में कोई जांच नहीं की गई।

श्री भगवान सहाय---यह ठेका विदेशी फर्म को देने से पहले क्या बृटिश हाई कमिश्नर को कंसल्ट कर लिया गया था कि इसकी इकोनामिक इस्टैबिलिटी कैसी है ?

श्री हुकुम सिंह---इसकी इकोनोमिक इस्टैबिलिटी की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उनके सुपुर्द में कोई रक़म नहीं कर रहा था।

श्री नारायण दत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फर्म को ठेका देने से पहले कौन सा तरीका अपनाया गया है, क्या टेंडर्स काल किये गये हैं ?

श्री हुकुम सिंह---जहां तक खयाल है टेंडर्स काल नहीं किये गये हैं। लेकिन इस फर्म को कांट्रेक्ट किया गया और यह काम करने के लिये तैयार हो गई। इससे पहले बम्बई एसोसियेटेड सीमेंट कम्पनी से बातचीत की गई थी। लेकिन उनके टर्म्स बहुत अनफेयरेबिल थे लिहाजा उनकी शर्त मंजूर नहीं की गई और विदेशी कम्पनी को ही ठेका दे दिया गया।

श्री इस्तफा हुसैन (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन शर्तों में से कोई ऐसी भी शर्त है जो मुकर्ररा वक्त पर ठीक तरह से फैक्टरी न बने तो उन पर कोई दंड लगता हो ?

श्री हुकुम सिंह---मुकर्ररा वक्त से पहले ही बन जायगी।

श्री अब्दुल मुईज खां (जिला बस्ती)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फर्म से मुआहिदा करने से पहले कितने व्यक्ति या किन इंस्टीट्यूशन्स से इनकी योग्यता के बारे में मश्विरा किया गया ?

श्री हुकुमसिंह---इसके लिये नोटिस की जरूरत है, वह रिकार्ड मेरे पास नहीं है।

श्री हरिश्चन्द्र बाजपेयी (जिला लखनऊ)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस फर्म को फैक्ट्री बनाने का ही केवल काम दिया गया है या चलाने की भी इसकी जिम्मेदारी है ?

श्री हुकुम सिंह---बनाने का ही।

श्री भगवान सहाय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि आगे इस कम्पनी से किसी भी हालत में मश्विरा या इंतजाम के तौर पर संबंध रखने का इरादा है ?

श्री हुकुम सिंह---यह प्रश्न कब्ल अज वक्त है।

श्री बलवन्त सिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस कम्पनी ने पहले भी कोई सीमेंट फैक्ट्री लगाने का तजुर्बा हासिल किया है ?

श्री हुकुम सिंह---सम्भवतः हासिल है।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---क्या यह सत्य है कि किसी भारतीय फर्म ने भी इसमें शामिल होने के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था, लेकिन उसको शामिल नहीं किया गया ?

श्री हुकुम सिंह---ऐसा कोई पत्र मेरे सामने तो आया नहीं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय उद्योग मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस सीमेंट फैक्ट्री पर सरकार का कितना रुपया खर्च हो चुकने के बाद बृटिश फर्म को ठेका दिया गया ?

श्री हुकुम सिंह---कुछ लाखों की तादाद में खर्च हुआ था। वह हिसाब इस वक्त तो मेरे पास है नहीं।

गांव सभा की जमीनों को प्राइमरी व जूनियर स्कूलों को देने का विचार

**६---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गांव समाज के अधीन जो प्रत्येक गांव सभा में जमीन है, उसे भूमिहीन मजदूरों को न देकर प्रत्येक प्राइमरी और जूनियर स्कूल को देने की प्राथमिकता पर सरकार विचार कर रही है ?

माल मंत्री के सभासचिव (श्री द्वारका प्रसाद मौर्य)---जी हां।

श्री झारखंडे राय---क्या माननीय मंत्री महोदय इस योजना पर प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे ?

माल मंत्री (श्री चरण सिंह)---योजना तो यही है कि दफा १९८ में यदि गांव समाज के पास अगर जमीन ज्यादा तकसीम करने के लिये है तो नियमों के अनुसार सबसे पहला अधिकार उस हल्के के अन्दर जो भूमिहीन व्यक्ति है, उसको जमीन पाने का है। हम यह कर रहे हैं कि अगर वहां कोई स्कूल हो और वह कृषि सिखाना चाहे तो पहला अधिकार उसका अब हो जाय। इसमें योजना का क्या सवाल है यह मेरी समझ में नहीं आया।

हाई स्कूल व इण्टरमीडियेट की परीक्षाओं में अनुचित तरीकों का प्रयोग

**७—श्री सीताराम शुक्ल (जिला बस्ती)—क्या यह सच है कि इस वर्ष हाई स्कूल व इंटरमीडियेट की परीक्षाओं में पास होने के लिये बहुत से जिलों के विद्यार्थियों द्वारा अनुचित तरीक़ों का प्रयोग करने की शिकायतें सरकार के पास आयी हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डाक्टर सीताराम)—जी हां, कुछ शिकायतें आयी हैं जिन पर रिपोर्ट मंगाई जा रही है।

श्री सीताराम शुक्ल—क्या सरकार कृपा करके बतलायेगी कि क्या शिकायतें आई हैं ?

शिक्षा मंत्री (श्री हरगोविन्द सिंह)—शिकायत यह है कि लड़कों ने नक़ल की और कहीं कहीं जहां परीक्षा के सेंटर थे पाठशालाओं में वहां के सुपरिन्टेन्डेन्टों ने नकल कराने में उनकी इमदाद की।

श्री सीताराम शुक्ल—किससे रिपोर्ट मांगी जा रही है और कब तक आ जायगी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—हाई स्कूल और इंटरमीडियेट बोर्ड जो होता है वही परीक्षा लेता है। उसी से यह रिपोर्ट मंगाई जा रही है। इस परीक्षा से सरकार का कोई मतलब नहीं होता।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या यह सही है कि लड़कों ने सभी परीक्षा क्षेत्रों में नकल की और उसकी कोई रोक किसी प्रकार से भी नहीं की जा सकी ?

श्री हरगोविन्द सिंह—यह तो कहना जरा मुश्किल है, लेकिन जहां तक मालूम हुआ है वह यह है कि नक़ल काफी ज्यादा हुई है ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)—क्या यह बात सही है कि जिन कालिजों और स्कूलों में सेन्टर्स बने हुए हैं, वहां से कापियां सीधी उन एक्जामिनर्स के पास चली जाती हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—जी हां, एक्जामिनर्स के पास जाती हैं।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या यह बात सही है कि इसी कारण से उन एक्जामिनर्स का जिनके पास कापियां जाती हैं,उन का पता लग जाता है, और विद्यार्थी अपने मार्क्स वगैरह बढ़वाने की बात किया करते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—पहले तो ऐसा ही होता था, लेकिन इस साल यह हुआ कि पार-सल से कापियां भेजी गयीं, लेकिन उन पर एक्जामिनर्स का नाम नहीं था। वह बिल्टियां सेल्फ के नाम भेजी गयीं और रिसीट को एक्जामिनर के नाम इन्डोर्स कर दिया गया और उसको एक्जामिनर ने छुड़ा लिया। तो इस साल तो बहुत कम पता लग सका कि कौन एक्जामिनर है, और नाम मालूम नहीं हो सके।

श्री मदनमोहन उपाध्याय—क्या सरकार इस बात का प्रबन्ध करेगी कि यह पता ही न चल सके कि कापियां किसके पास आगयी हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह—इस साल यह प्रबन्ध हो गया है कि किसी विद्यार्थी या परीक्षार्थी को यह पता नहीं चल सकता कि कापी किसके पास गयी हैं।

श्री विष्णु दयाल वर्मा (जिला मैनपुरी)—क्या यह सही है कि जो रेलवे रिसीट एक्जामिनर के पास भेजी जाती हैं, उससे भी विद्यार्थी पता लगा लेते हैं ?

श्री हरगोविन्द सिंह---रेलवे रिसीट पोस्टआफिस से जाती है, और पार्सल पर एक्जामिनर का नाम अब नहीं रहता।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी---क्या यह सही है कि परीक्षार्थियों ने छुरे और चाकू दिखाकर एक्जामिनेशन हाल में नकल की ?

श्री हरगोविन्द सिंह---ऐसी कोई रिपोर्ट इस साल तो अब तक मुझे नहीं मिली।

श्री केशव पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---क्या यह सही है कि इस वर्ष इन्टरमीडियेट तथा हाई स्कूल के ४० प्रतिशत विद्यार्थियों ने नकल की ?

श्री हरगोविन्द सिंह---ऐसी कोई गणना तो नहीं की गयी है।

मई, १९५४ में श्रमदान आन्दोलन चलाने का विचार

**८---श्री राम चन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि मई, सन् ५४ में वह श्रमदान आन्दोलन चलाने का विचार कर रही है ?

नियोजन उपमंत्री (श्री फूलसिंह)---जी हां।

**९---श्री राम चन्द्र विकल---क्या सरकार इस प्रोग्राम की पूरी रूपरेखा तथा इस पर होने वाले व्यय का अन्दाजा भी बताने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह---इस श्रमदान पखवारे में सिंचाई के साधनों पर विशेष ध्यान दिया जायगा। श्रमदान द्वारा होने वाले कार्यों की सूची निम्नलिखित ह :---

(१) पिछले श्रमदानों में किये गये कार्यों को पूरा करना।
(२) सामान्य निर्माण विभाग व सिंचाई विभाग द्वारा स्वीकृत योजनायें।
(३) तालाबों की सफाई करना।
(४) तालाबों का गहरा करना।
(५) गूलों की सफाई करना।
(६) बन्धियों की सफाई।
(७) पेड़ों के लिए गड्ढे बनाना।
(८) पौधशालायें।

इस श्रमदान पखवारे में औजार इत्यादि के साधारण व्यय के अलावा और कोई व्यय की सम्भावना नहीं है। श्रमदान में अच्छा कार्य करने वाले जिलों को ४०,००० रु० और हर एक जिले की अच्छा कार्य करने वाली ग्राम सभा को १,००० रु० पुरस्कार स्वरूप देने की व्यवस्था की गयी है।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, यह सवाल ही गलत छपा हुआ है।

श्री अध्यक्ष---वह १९५४ है, जहां पर कि ४ लिखा हुआ है। यह सही कर दिया जायगा।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि यह सप्ताह किस तारीख से किस तारीख तक चलाया जा रहा है ?

श्री फूलसिंह---१० मई से २४ मई तक।

श्री राम चन्द्र विकल---क्या माननीय मन्त्री जी को यह पता है कि इस मौसम में अधिक गर्मी तथा ग्रामों में काम की अधिकता के कारण जनता इस सप्ताह में श्रमदान के कार्य में कम उत्साह लेगी ?

श्री फूलसिंह---यह सही है मगर ये ऐसे काम हैं कि इसी मौसम में होते हैं।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या सरकार की तरफ से ऐसे आदेश नहर विभाग द्वारा जनता को भेजे गये हैं कि इस सप्ताह में तमाम नहरें बन्द रखी जायंगी और नहरों की सफाई होगी?

श्री फूलसिंह---जी नहीं नहरें बन्द हो जायेंगी, तो सिंचाई का काम रुक जायगा।

श्री केशव पाण्डेय---क्या सरकार को मालूम है कि जो श्रमदान पिछले समय में हुआ है, उसमें बहुत जगह सीमेंट वगैरह न मिलने के कारण श्रमदान से लोगों को बहुत हतोत्साह सा हो गया है ?

श्री फूलसिंह---उन कामों को पूरा करना है। इस योजना में उनका नम्बर १ स्थान है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या यह सही है कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी सहारनपुर में और यहीं इस सदन के माननीय सदस्यों ने माननीय मन्त्री जी से प्रार्थना की है कि १० मई के बजाय इसको किसी और तारीख के लिए आगे को बढ़ा दिया जाय ?

श्री फूलसिंह---अब अरेंजमेंट्स इतने आगे बढ़ गये हैं कि इसको आगे पीछे करने में दिक्कत पड़ेगी। लेकिन फिर भी जिन कमेटियों को सुविधा नहीं है, वह आगे पीछे कर लेंगी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

हरिजन अमीनों के रिक्त स्थानों पर हरिजनों को प्राथमिकता

**१०---श्री लक्ष्मी शंकर यादव (जिला जौनपुर)---क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि जब भी किसी पिछड़ी जाति या परिगणित जाति के अस्थायी लेखपाल अमीन या क्लर्क को किसी कारण वश हटाया जाय, तो उसके स्थान पर पिछड़ी जाति अथवा परिगणित जाति के उम्मेदवारों को ही प्राथमिकता दी जाय, और उसके बाद अभाव में ही दूसरे को रक्खा जाय ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---जहां तक अस्थायी लेखपालों का प्रश्न है, ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया, परन्तु मालगुजारी वसूली योजना के अन्तर्गत नियुक्त किये जाने वाले अमीन तथा अन्य कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसा आदेश जारी किया गया है।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि लेखपालों के सिलसिले में ऐसा ही आदेश जारी करने की कृपा करेंगे ?

श्री चरणसिंह---इस सुझाव पर विचार किया जायगा।

श्री लक्ष्मी शंकर यादव---क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि उक्त आदेशानुसार रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए जिलों में कोई लिस्ट पहले से होती है, या नयी दरख्वास्तें मंगा कर तब उन स्थानों की पूर्ति की जाती है ?

श्री चरणसिंह---यह तो आदेश जिलाधीशों को गया है। वह जैसा चाहें, करें। अगर कोई लिस्ट उपयुक्त कैन्डिडेट्स की मौजूद है, तो उसमें से ले लें, या प्रार्थना-पत्र मांग लें।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ऐसा कोई सरकारी आदेश जारी किया गया है कि इन स्थानों की नियुक्ति में १८ प्रतिशत जगहें उन्हें दी जायं ?

श्री चरणसिंह---यह आदेश तो कई महीने हुए जारी हो चुका था ।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मन्त्री जी के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि हरिजनों को १८ प्रतिशत लेने के लिए कोई खास कार्यवाही नहीं हो रही है ?

श्री चरणसिंह---ऐसी कोई शिकायत नहीं आयी है । यहां माननीय सदस्यों ने कुछ सवाल किये हैं कि १८ फ़ीसदी की तादाद पूरी नहीं हुई । इसके लिए मैं कई बार बतला चुका हूं कि हमको कोई नयी भरती नहीं करनी थी । जो लोग पहले से थे, उनमें १८ फीसदी की पूर्ति करने का सवाल था । क्योंकि कुछ लोग निकाले जा रहे थे । इसलिए बाहर से लेना मुनासिब नहीं समझा, यही मुनासिब समझा कि उन्हीं में से ले लिये जायं ।

श्री बाबूनन्दन (जिला जौनपुर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह आदेश क्या है और कब भेजा गया ?

श्री द्वारका प्रसाद मौर्य---वह आदेश ४ जनवरी को भेजा गया था । उस आदेश में यही है कि भरती में १८ फीसदी शैडचूल्ड कास्ट्स के रिजर्वेशन का खयाल रक्खा जाय ।

तारांकित प्रश्न

बुलन्दशहर जिले के अहार परगने में कच्ची सड़क का श्रमदान द्वारा निर्माण

*१---श्री धर्मसिंह (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले के अहार परगने में कच्ची सड़क पर कितनी लागत का कार्य श्रमदान द्वारा हुआ है, और वह सड़क कितनी लम्बी है ?

श्री फूलसिंह---बुलन्दशहर के अहार परगने में कच्ची सड़क पर श्रमदान द्वारा अनुमानित ६०,८३२ रु० का कार्य हो चुका है । वह सड़क ११ मील लम्बी है उसमें से ५ मील पर उपरोक्त कार्य हुआ है ।

*२---श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सड़क पक्की कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री फूलसिंह---उपर्युक्त सड़क जिला बोर्ड की है इसलिए जिला बोर्ड से इसको पक्का करने की प्रार्थना की गयी परन्तु धनाभाव के कारण पक्की नहीं हो सकी ।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि श्रमदान द्वारा कितने समय तक कितने आदमियों ने इस सड़क पर कार्य किया है ?

श्री फूलसिंह---६०,८०० रुपये का काम इस सड़क पर हुआ है । कितने आदमियों ने किया और कितने दिन तक किया इसका ब्योरा नोटिस आने पर दे सकता हूं ।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस सड़क के लिए सरकार ने किस प्रकार की सहायता दी है ?

श्री फूलसिंह---इस सड़क पर तो कोई विशेष सहायता नहीं दी है, लेकिन जिलेवार काफी सहायता दी जाती है ।

श्री दीन दयालु शर्मा (जिला बुलन्दशहर)---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले का जो दौरा उपमन्त्री जी ने किया था, वहां के लोगों ने इस सड़क को पक्का कराने की प्रार्थना की थी ?

श्री फूलसिंह---जी हां।

श्री दीन दयालु शर्मा---क्या सरकार इस सड़क को जल्दी से जल्दी पक्का कराने का विचार रखती है ?

श्री फूलसिंह---यह बड़ा काम है। नयी योजना आने के समय इसका ध्यान रक्खा जायगा।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मन्त्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि ११ मील के टुकड़े में जो ६०,८०० रुपया खर्च हुआ है, वह केवल पांच मील पर खर्च हुआ है ?

श्री फूलसिंह---जी हां।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस पांच मील के टुकड़े में १२ हजार रुपये के करीब सिर्फ कच्चा ही कार्य हुआ है ?

श्री फूलसिंह---जी हां।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जो ६०,८३२ रुपया खर्च किया है, उसका एक तिहाई सरकार देने का विचार रखती है ?

श्री फूलसिंह---श्रमदान द्वारा जो काम होता है, उसका एक तिहाई तक देने की गुंजाइश होती है, उस रुपये में जो आपने बजट में पास किया है, और जितना रुपया मिलता है, वह जिलेवार बांट दिया जाता है, और जिला, प्लानिंग कमेटी को, हक रहता है कि जो मुनासिब समझे वह दे दे।

श्री धर्मसिंह---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला बोर्ड बुलन्दशहर से जो प्रार्थना सड़क बनाने के लिए जिला प्लानिंग कमेटी ने की है, वह जिला बोर्ड ने स्वीकार की है या नहीं ?

श्री फूलसिंह---जिला प्लानिंग कमेटी को प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। रुपया उसके पास है, और वह खर्च कर सकती है।

पंचवर्षीय योजना के अधीन लखनऊ जिले की उन्नति के लिये कार्य

*३---श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के अधीन लखनऊ जिला की उन्नति के लिए कौन कौन से कार्य किये जा रहे हैं ? क्या सरकार उन कार्यों की एक सूची देने की कृपा करेगी ?

श्री फूलसिंह---पंचवर्षीय योजना के अधीन लखनऊ जिले की उन्नति के लिए सिंचाई, कृषि, बागबानी, गन्ना विकास, सहकारिता, चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य, पशुपालन, आवागमन, शिक्षा, हरिजन सुधार तथा पंचायत के अन्तर्गत कार्य हो रहा है, जिनकी सूची माननीय सदस्य की मेज पर रखी है।

*४---श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी---लखनऊ जिला के प्लानिंग विभाग ने इस वर्ष कौन-कौन से कार्य लखनऊ जिले में किये और क्या जिला के निर्माण कार्य के लिए कोई स्थायी कार्य-क्रम बनाया गया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री फूलसिंह---लखनऊ जिला के प्लानिंग विभाग ने इस वर्ष जिले में जो निर्माण कार्य किये हैं, वह माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई सूची में दर्ज है। जिले में आगे के

निर्माण कार्य के लिए सन् १९५४–५५ की विकास योजना बनायी गयी है, वह योजना १ अप्रैल सन् १९५४ से कार्यान्वित होगी। इसका वर्णन विस्तार में सूची में आ गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ३३५–३३८ पर।)

*५––श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी––क्या कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अधीन लखनऊ जिला के देहाती हल्का के लिए कोई कार्य किया जाता है? यदि हां, तो वह क्या है, और यदि नहीं, तो क्या सरकार लखनऊ जिला में कम्युनिटी प्रोजेक्ट के कार्य जारी किये जाने के प्रश्न पर विचार करेगी?

श्री फूलसिंह––कम्युनिटी प्रोजेक्ट के अधीन लखनऊ जिला के देहाती हल्के के लिए कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। किन्तु राष्ट्रीय विकास योजना के अन्तर्गत जिले में इस वर्ष गोसाईंगंज और सरोजनी नगर के दो क्षेत्र मंजूर किये गये हैं, जहां विकास कार्य होगा।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी––क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना का कार्य लखनऊ जिले में कब से आरम्भ हुआ?

श्री फूलसिंह––तमाम प्रान्त में एक ही दफा हुआ, और तभी से यहां भी हुआ।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी––क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि पंचवर्षीय योजना के पूर्व कितने एकड़ जमीन में सिंचाई नहरों से होती थी और कितने एकड़ जमीन में सिंचाई पंचवर्षीय योजना के अधीन होने लगी?

श्री फूलसिंह––इसके लिए नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी––क्या यह सही है कि कोई भी ट्यूबवेल लखनऊ जिले के अन्दर पंचवर्षीय योजना के अधीन नहीं बनाया गया?

श्री फूलसिंह––माननीय मेम्बर ठीक ही कहते होंगे।

श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी––क्या यह सही है कि टिड्डी मारने या चूहे मारने या अन्य कार्य जिनका ब्योरा यहां पर दिया गया है, उनमें से कोई भी कार्य पंचवर्षीय योजना के अधीन नहीं किया गया?

श्री फूलसिंह––यह तो शायद सही नहीं है।

श्री श्रीचन्द्र (जिला मुजफ्फरनगर)––क्या माननीय मुख्य मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इन सब कामों में कुल कितना रुपया लगेगा?

श्री फूलसिंह––इसके लिए नोटिस की आवश्यकता है।

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बुलन्द शहर जिले में निर्माण कार्य की व्यवस्था

*६––श्री धर्मसिंह––क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला बुलन्दशहर में कोई निर्माण कार्य करने की व्यवस्था है?

श्री फूलसिंह––जी हां। जिला बुलन्दशहर में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य करने की व्यवस्था है।

*७––श्री धर्मसिंह––यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वे निर्माण-कार्य क्या-क्या हैं?

श्री फूलसिंह---पंचवर्षीय योजना के अधीन कृषि, सिंचाई, बागबानी, पशुपालन, सहकारिता, जन-स्वास्थ्य, आवागमन, यातायात, शिक्षा, घरेलू उद्योग-धन्धे, पंचायत राज, प्रान्तीय रक्षक दल तथा हरिजन उद्धार के अन्तर्गत निर्माण कार्यों की योजना है। इन कार्यों की विस्तृत सूची माननीय सदस्य की मेज पर है।

*८---श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बुलन्दशहर जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत आज तक क्या क्या कार्य पर्ण हो चुका है ?

श्री फूलसिंह---बुलन्दशहर जिले में पंचवर्षीय योजना के अधीन सन् १९५३-५४ तक जो कार्य पूर्ण हो चुके हैं, वह माननीय सदस्य की मेज पर रखी हुई सूची में दर्ज हैं।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ३३९-३४९ पर।)

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कार्य सूची में नत्थी हैं उनमें कितने कार्य वहां पर हो चुके हैं ?

श्री फूलसिंह---यह तो तत्काल नहीं बतलाया जा सकता। जांच करके बतलाया जा सकता है।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो कार्य हुआ है या होने को है उसमें कितना धन सरकार ने खर्च किया है ?

श्री फूलसिंह---इसके लिए भी नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री धर्मसिंह---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि शिक्षा सम्बन्धी कार्यों के लिए पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत प्राइमरी स्कूलों की तादाद नहीं बढ़ायी जा रही है और धनाभाव के कारण उनको तोड़ने की व्यवस्था की जा रही है ?

श्री फूलसिंह---अखबारों से ऐसा पता चलता है।

श्री राम चन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वह बुलन्द-शहर जिले को एन० ई० एस० ब्लाक में देने पर विचार कर रहे हैं ?

श्री फूलसिंह---प्लानिंग कमेटी की रिपोर्ट के आने के बाद इस पर निर्णय किया जायगा।

श्री दीन दयालु शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब से पंचवर्षीय योजना शुरू हुयी है तब से जो कुएं की सहायता दी जाती थी वह बुलन्द शहर जिले में बन्द कर दी गयी है ?

श्री फूलसिंह---मैशनरी बैल की सहायता बीच में बन्द हो गयी थी।

श्री रामचन्द्र विकल---नया एन० ई० एस० ब्लाक वहां किस क्षेत्र में देना चाहते हैं ?

श्री फूलसिंह---जिला प्लानिंग कमेटी से मशविरा मांगा गया है।

जिला गोंडा में ट्रांस राप्ती क्षेत्र में विकास कार्य की आवश्यकता

*९---श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल (जिला गोंडा)---क्या सरकार को पता है कि प्रान्तीय नियोजन कमिश्नर के आदेश से, जिला नियोजन समिति गोंडा के Trans Rapti क्षेत्र के सब से पिछड़े हुए भाग को Community Project के लिये लगभग डेढ़ साल हुये चुना था परन्तु आज तक वहां पर किसी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो रहा है ?

श्री फूलसिंह---सामूहिक विकास केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में जिला नियोजन समितियों के विचार मांगे गये थे उनमें से गोंडा भी एक जिला था। चूंकि केन्द्रीय सरकार ने सिर्फ चंद ऐसे केन्द्र खोलने की अनुमति दी थी इसलिये इस इलाके में केन्द्र न खोला जा सका। लेकिन यह सही नहीं है कि वहां कोई विकास कार्य नहीं हो रहा है। शासन की ओर से मझगवां बघेलखंड बांध बनाये जा रहे हैं। और प्रोजेक्ट्स पर भी विचार हो रहा है। इंतिया थोक में एक एन० ई,० एस० ब्लाक खोला गया है।

*१०---श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल---क्या सरकार को मालूम है कि उपर्युक्त भाग में पिछले चार सालों में सूखा और अर्ध सूखा की दशा रही जिसमें गरीबों की जीवन रक्षा के लिये सरकार को लाखों रुपया प्रतिवर्ष खर्च करना पड़ा है?

श्री फूलसिंह---जी हां।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल---क्या सरकार को पता है कि मझगवां और बघेलखंड बांध ट्रांसराप्ती के उस भाग में स्थित नहीं है जहां के लिये मांग की गई थी?

श्री फूलसिंह---माननीय सदस्य की इत्तिला ठीक ही होगी।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल---क्या सरकार को पता है कि इंतिया थोक ट्रांसराप्ती के उस भाग में स्थित नहीं है जहां के लिये स्कीम मांगी गयी थी?

श्री फूलसिंह---वहां एन० ई० एस० ब्लाक खुल गया है तो दोबारा मांग नहीं होती, और आगे माननीय सदस्य जो कहते हैं वह गालिबन ठीक ही होगा।

श्री बसन्त लाल (जिला जालौन)---क्या माननीय मंत्री जी बतावेंगे कि इंतिया थोक में कितना काम इस दिशा में हुआ है?

श्री फूलसिंह---नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामकुमार शास्त्री (जिला बस्ती)---क्या इंतिया थोक ट्रांसराप्ती एरिया में ह?

श्री फूलसिंह---माननीय मेम्बर को इस बात का ज्यादा ज्ञान है चूंकि वह वहां रहते हैं।

श्री बलभद्र प्रसाद शुक्ल---क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि उस क्षेत्र में पंचायतों द्वारा ढिढोंरा पिटवा दिया गया था कि वहां कम्युनिटी प्रोजेक्ट की स्कीम लागू की जायगी?

श्री फूलसिंह---मुझे इसकी इत्तिला नहीं है।

श्री जोरावर वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि ट्रांसराप्ती क्षेत्र में श्रमदान का विचार स्थगित कर दिया गया है या बिलकुल खत्म कर दिया गया है?

श्री फूलसिंह---श्रमदान के अलावा कोई कम्युनिटी प्रोजेक्ट इस साल नहीं खुल रहा है।

श्री शिव नारायण---क्या यह सही है कि ट्रांसराप्ती की स्कीम को कैंसिल कर दिया गया है?

श्री फूलसिंह---मुझे तो ऐसी इत्तिला नहीं है।

जिला गोंडा की तहसील तरबगंज में विकास कार्य

*११—श्री रघुराज सिंह (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार बतायेगी कि जिला गोंडा के तहसील तरबगंज में कौन सा विकास कार्य किस स्थान पर हो रहा है ?

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)—सूची माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ३५० पर।)

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रुड़की तहसील में कार्य

*१२—श्री दीन दयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर) (अनुपस्थित)—क्या सरकार इस पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रुड़की तहसील में भी कोई कार्य करने जा रही है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां।

*१३—श्री दीनदयालु शास्त्री (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत रुड़की तहसील में होने वाले कार्य नियोजन विभाग की ओर से दो नलकूप सहकारी आधार पर दौलतपुर व कोटा मुरादनगर में स्वीकृत हुये हैं। छः बीज भंडार निर्माण होंगे जिनसे केवल प्रथम श्रेणी का बीज वितरण के लिये उपलब्ध होगा।

सहकारी बैंक रुड़की द्वारा ९ प्रतिशत के स्थान पर ७ प्रतिशत की दर पर समितियों को कृषि उत्पादन के लिये ऋण दिया जाता है। भविष्य में इस दर को घटा कर ६ प्रतिशत कर दिया जायगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है।

पथरी नदी पर नियोजन विभाग द्वारा एक पुल निर्माण करने की योजना है।

राज्य सरकार द्वारा रुड़की तहसील में ४१ नलकूप बनाये गये हैं। जो शीघ्र ही चालू किये जायंगे।

इसके अतिरिक्त श्रमदान द्वारा कई लम्बी सड़कें तथा खरंजे व पंचायत घर इत्यादि बनाये जा रहे हैं।

राज्य सरकार पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत पथरी विद्युत् गृह तथा मुहम्मदपुर विद्युत गृह चालू कर रही है। जिनकी अनुमानित लागत क्रमशः २ करोड़ ३१ लाख रुपया तथा ३१ लाख रु० आयेगी।

उत्तर प्रदेश नगर तथा ग्राम नियोजन पर व्यय

*१४—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—(जिला जौनपुर)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश नगर तथा ग्राम नियोजन में १९५१ व १९५२ में कुल कितना खर्च किया गया ?

श्री फूलसिंह—२,१४,८३४ रुपया।

*१५—श्री रमेश चन्द्र शर्मा—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि नगर तथा ग्राम नियोजन में किसानों की खेती करने वाली जमीन भी ली जाती है ?

श्री फूलसिंह---यदि अति आवश्यक होता है तो उसको लेना पड़ता है।

*१६---श्री रमेश चन्द्र शर्मा---यदि हां, तो क्या उन्हें मुआवजा दिया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री फूलसिंह---जी हां।

श्री राम चन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन किसानों की जमीन ली जाती है उन्हें किस हिसाब से मुआवजा दिया जाता है?

श्री फूलसिंह---रेट तो मेरे सामने नहीं हैं लेकिन एक ही रेट है जो सब के लिये लागू है।

श्री वीरेन्द्र वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम नियोजन के अन्तर्गत ५१-५२ में विशेषकर क्या-क्या कार्य हुआ?

श्री फूलसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री रामचन्द्र विकल---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो खर्चा बतलाया गया है, उसमें सरकारी कर्मचारियों का टी० ए० भी शामिल है?

श्री फूलसिंह---ठीक नहीं कह सकता, गालिबन होगा।

'श्रमदान' सप्ताह में सरकारी कर्मचारियों द्वारा श्रमदान

*१७---श्री राजा राम शर्मा (जिला बस्ती)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि श्रमदान सप्ताह में प्रत्येक सरकारी आदमी को कुछ न कुछ हाथ से मेहनत करने का आदेश था?

श्री फूलसिंह---जी नहीं। परन्तु यह आशा की जाती थी कि सब सरकारी कर्मचारी स्वेच्छापूर्वक श्रमदान सप्ताह में श्रमदान योजना को सफल बनाने के लिये कुछ न कुछ श्रम करेंगे।

श्री राजाराम शर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या हाथ से मेहनत करने के आदेश देने में कोई कटिनाई है?

श्री फूलसिंह---श्रमदान की नीति स्वेच्छा पर ही निर्भर करती है, हुक्म से वह बात नहीं रहती।

जिला मेरठ में विकास तथा नियोजन पर व्यय

*१८---श्री रामजी लाल सहायक (जिला मेरठ)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ में विकास तथा नियोजन के द्वारा सन् १९५२-५३ में कुल कितना व्यय हुआ और कितना रुपया हरिजन वर्ग के मकानों और पानी के निमित्त दिया गया?

श्री फूलसिंह---विकास तथा नियोजन के द्वारा १०,१७,११६ रुपया व्यय हुआ और हरिजन वर्ग के मकानों तथा कुओं के लिये ४,००० रुपये की सहायता दी गई।

श्री रामजी लाल सहायक---क्या सरकार ऐसे लोगों की संख्या बतलायेगी जिनको मकानों के लिये सहायता दी गयी?

श्री फूलसिंह---इसके लिये नोटिस की जरूरत है।

श्री रामजी लाल सहायक---क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् ५२-५३ में प्रदेश सरकार की जिला नियोजन समितियों ने हरिजन वर्ग को पीने के पानी के कुओं की सहायता के लिये कितनी सहायता दी ?

श्री फूलसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्रीमती प्रकाशवती सूद (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलायेंगे कि इस रुपये में कितना रुपया हरिजनों को पीने के लिये कुओं के बनाने में दिया गया ?

श्री फूलसिंह---हरिजनों के लिये पानी पीने के कुओं के संबंध में जो रुपया जिलों में दिया गया है वह विशेष रूप से हरिजनों के लिये दिया जाता है और कुओं पर उसके खर्च की इजाजत नहीं दी जाती है। अलबत्ता मकान बनाने के लिये जो रुपया दिया जा रहा है उससे लोगों को काफी फायदा हो रहा है।

श्री हरिसिंह (जिला मेरठ)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि सरकार की ओर से जो रुपया हरिजनों के मकान बनाने के लिये सहायता के रूप में दिया गया था वह रुपया मकानों में लगा या नहीं ?

श्री फूलसिंह---वह रुपया मैंने अर्ज किया कि कम लगा मकानों में।

श्री शिव नारायण---क्या सरकार कृपा कर के बतलायेगी कि जो रुपया बाक़ी है उसके लिये आदेश जारी कर के फौरन हरिजनों के लिये कुएं बना देगी ?

श्री फूलसिंह---मकान बनाने में सहायता देने के लिये नयी योजना तैयार हो रही है जिससे हरिजनों के मकान बनाने में ज्यादा सुविधा मिलेगी।

श्री बाबू नन्दन---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि हरिजनों के पानी पीने के लिये कुल कितने कुएं बने हैं ?

श्री फूलसिंह---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री राम दास आर्य (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुएं के सम्बन्ध में जो हरिजनों से आधा रुपया लिया जाता है, वे अपनी आर्थिक समस्या की बिना पर उसे देने में असमर्थ रहते हैं ?

श्री फूलसिंह---हरिजनों से नकद रुपया आमतौर से नहीं लिया जाता उनसे श्रमदान ही कराया जाता है।

गोरखपुर जिले में वन विभाग की सड़कों पर साइकिल व रिक्शा चलाने की मनाही

*१९---श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले में वन विभाग द्वारा वन की सड़कों पर साइकिल और रिक्शा चलाना जुर्म है ?

वन उपमंत्री (श्री जगमोहन सिंह नेगी)---बिना इजाजत जुर्म है।

*२०---श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त जिले में इस प्रकार वन विभाग की कितनी सड़कें हैं जो कई मील तक दोनों तरफ आबादी के बीच से निकली हैं ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—चार।

श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार जनहित के लिये यह प्रतिबन्ध उठाने को तैयार है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मोटर सड़क के बगल में ही बैलगाड़ी की सड़क भी है और उस पर हर एक को पूरी इजाजत है कि वे उस पर साइकिल रिक्शा आदि चला सकें। इस पर भी हम सुविधा देने को तैयार हैं लेकिन जंगलों में गैरकानूनी तरीक़े से कुछ लोग शिकार वगैरह खेलते हैं तो उसके लिये हम कुछ परमिट सिस्टम चालू करना चाहते हैं। क्योंकि बिलकुल खुला हुआ छोड़ देने से लोग गैरकानूनी तरीके से शिकार वगैरह खेलते हैं और जानवरों की हत्या की जाती है।

श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—क्योंकि उक्त चार सड़कें गांवों से संबंधित हैं इसलिये क्या सरकार इन पर रिक्शा और मोटर चलाने की आज्ञा प्रदान करेगी?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—मैं पहले ही उत्तर दे चुका हूं कि हम इस पर विचार कर रहे हैं कि कुछ परमिट दे दें जिससे हर मौक़े पर वे चल सकें और उन आदमियों को भी पता चल सके कि बिना आज्ञा के शिकार वगैरह किसने खेला है? इसलिये इजाजत देने के प्रश्न पर विचार किया जा सकता है।

श्री केशव प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार को मालूम है कि मानीराम से टिकरिया जंगल को सड़क जाती है जिससे लोग दिन भर अनेक कामों के लिये गोरखपुर जाया करते हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, जाते हैं जैसा मैंने पहले बतलाया कि दूसरी सड़क भी बगल में जाती है। एक मोटर के लिये और एक बैलगाड़ी, रिक्शा वगैरह सभी के लिये है।

मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिलों के पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों को वन विभाग द्वारा सुविधायें

*२१—श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिले के पहाड़ी इलाके के निवासियों को जमींदारी उन्मूलन के पूर्व वन विभाग की ओर से कौन-कौन सी विशेष सुविधायें प्राप्त थीं और कौन-कौन से सामान लेने की सुविधायें उनको थीं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—प्रश्न स्पष्ट नहीं है परन्तु यदि माननीय सदस्य का आशय जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जमींदारी बनों से दिये जाने वाली सुविधाओं के बारे में सूचना प्राप्त करने का है तो यह सूचना एक सूची में दी हुयी है, जो मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ३५१ पर)

*२२—श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् अब सरकारी वन विभाग की ओर से उक्त क्षेत्रों के निवासियों को कौन-कौन सी सुविधायें प्राप्त हैं और कौन कौन से सामान किन शर्तों तथा किन मूल्यों पर मिलने का अधिकार है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—एक सूची मेज पर रक्खी है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ३५२-३५४ पर)

*२३—श्री व्रज भूषण मिश्र—क्या निकटस्थ जंगलों से लकड़ी निःशुल्क प्राप्त करने का सरकारी आदेश है? यदि हां, तो उसके नियम क्या हैं?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—लकड़ी की प्राप्ति के लिए जो सुविधायें हैं उनका विवरण प्रश्न २२ के उत्तर में उल्लिखित सूची में दिया हुआ है। इस सम्बन्ध में सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि प्रति वर्ष जाड़े की ऋतु में पहले वन विभाग के कर्मचारी उन विशेष क्षेत्रों को निर्धारित कर दें जिनमें से गांव वाले लकड़ी ले जा सकें और उन क्षेत्रों में जिन पेड़ों से लकड़ी प्राप्त की जा सके उनमें चिन्ह लगा दें। इसकी सूचना संबंधित गांव की लैन्ड मैनेजमेंट समिति के चेयरमैन को दे दी जायगी। यह व्यवस्था गांव वालों की सुविधा के लिए सरकार ने की है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो सुविधायें दी गई हैं उनको ठीक से इस्तेमाल करने की कोई व्यवस्था की गई है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—इसके बारे में आदेश चले गए हैं और ऐसा समझा जाता है और आशा की जाती है कि सरकारी कर्मचारी पूर्ण रूप से उनका पालन करते हैं।

बहिलपुरवा स्टेशन, जिला बांदा पर वन विभाग की लकड़ी में आग लगना

*२४—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या मुख्य मंत्री जी को यह सूचना प्राप्त हुयी है कि तारीख १-४-५३ को बहिलपुरवा स्टेशन, जिला बांदा पर वन विभाग तथा वन विभाग के ठेकेदारों की लगभग १०० बैगन लकड़ी, स्टाक में आग लग जाने के कारण जल गयी है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां।

*२५—श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या ठेकेदारों ने इस सम्बन्ध में फारेस्ट रेन्ज आफिसर, मानिकपुर को, इस नुकसान के कारण अपने अलाट की किस्त के बकाया रुपये को माफ करने के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस आग के लगने से कुल कितने रुपए का नुकसान हुआ ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—जी हां, नुकसान हुआ है और वह एक केस में २१०० रुपए का हुआ, एक केस में १३,१२५ रुपए का, एक केस में ७८८ रुपए का, एक केस में २१०० रुपए का और एक केस में ६२५ रुपए का नुकसान हुआ है।

श्री राम नारायण त्रिपाठी—क्या इन ठेकेदारों की शिकायतों पर विचार करके सरकार उस रकम को माफ करने को तैयार है जो उनको देना है ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह आग जंगल में नहीं बल्कि डिपो में लगी थी और वहां उन्होंने पूरी अहतियात नहीं बर्ती जिससे आग न लगे, इसलिए लीगली तो इस पर विचार नहीं किया जा सकता लेकिन मारली सोचा जा रहा है और यह प्रश्न विचाराधीन है।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि आग कैसे लगी ?

श्री जगमोहन सिंह नेगी—यह आग जैसा मैंने कहा फारेस्ट डिपार्टमेंट के जंगल में नहीं लगी थी, वह तो डिपो में रेलवे स्टेशन के पास लगी थी, इसलिये पता नहीं कि वह कैसे लगी।

*२६-२७—श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)—[३ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*२८-२९—श्री व्रज भूषण मिश्र—[२० मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*३०—श्री बाबू नन्दन—[हटा दिया गया ।]

*३१-३२—श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—[३ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३३-३५—श्री राम लखन (जिला बनारस)—[३ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

*३६-३८—श्री लक्ष्मण राव कदम (जिला झांसी)—[२१ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४२-४४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

भट्टहट कम्युनिटी प्रोजेक्ट के विरुद्ध शिकायत

*३९—श्री झारखंडे राय—क्या सरकार के पास भट्टहट कम्युनिटी प्रोजेक्ट के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त हुयी है ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री फूलसिंह—हाल में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुयी है। जून, १९५३ में एक शिकायत प्राप्त हुयी थी और कसूरवार कर्मचारियों को उचित दंड दिया गया ।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि वह शिकायत क्या थी ?

श्री फूलसिंह—कुछ कर्मचारियों ने किसी बागवान को इस इलजाम में फंसाना चाहा कि वह डाकू है।

श्री झारखंडे राय—क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि किन-किन कर्मचारियों को कौन-सा दंड दिया गया ?

श्री फूलसिंह—डिप्टी डेवलपमेंट अफसर को हटा दिया गया, एक अफसर को डिमोट कर दिया गया, एक का ट्रांसफर कर दिया गया और एक को उसके महकमे को वापस कर दिया गया ।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि इस शिकायत की जांच माननीय फूलसिंह जी ने भी की थी ?

श्री फूलसिंह—जांच तो मैंने नहीं की मगर थोड़ी बहुत देखभाल की थी ।

श्री शुकदेव प्रसाद (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि कुछ समय पूर्व उनके पास कोई इस प्रकार की शिकायत आयी थी?

श्री फूलसिंह—कोई ऐसी शिकायत नहीं आयी थी ।

*४०—श्री नत्थू सिंह (जिला बरेली)—[१७ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ८८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

गन्ने का मूल्य निश्चित करने के लिए सम्मेलन

*४१—श्री गेंदासिंह—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि गन्ना के मूल्य तथा लाभ संबंधी मामले पर विचार करने के लिए जो सम्मेलन होने वाला था उसे बुलाने का कोई समय निश्चित किया गया ?

श्री हुकुमसिंह—अभी नहीं ।

श्री गेंदा सिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी कृपा करक बतायेंगे कि इस सम्मलन को बहुत देर में बुलाने से सम्मेलन का उद्देश्य नष्ट हो जायेगा ?

श्री हुकुम सिंह—हम जल्द बुलाना चाहते हैं ।

श्री गेंदासिंह—क्या माननीय उद्योग मंत्री जी को ज्ञात है कि इस सम्मेलन के न बुलाने के कारण मिल मालिकों को एक अवसर मिल रहा है कि वह महंगे दामों में चीनी बेंचें ?

श्री हुकुमसिंह—ऐसा मेरा ख्याल नहीं है।

श्री गेंदासिंह—क्या यह सही है कि चीनी की कीमत बराबर बढ़ती चली जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह—मैंने अभी इसका जवाब आपके ही सवाल पर दे दिया है।

*४२—श्री गेंदासिंह—[२४ मई, १९५४ क लिये प्रश्न संख्या ७४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४३—श्री भोलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—[३ जून, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*४४—श्री भगवान सहाय—[२०मई, १९५४ के लिए स्थगित किया गया ।]

*४५—श्री इस्तफा हुसैन—[१८ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ४६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया ।]

*४६-४७—श्री जोरावर वर्मा—[३ जून, १९५४ के लिये स्थगित किये गये ।]

विलीनीकरण के पश्चात् काशी राज्य के कर्मचारियों का सरकारी नौकरी में लिया जाना

*४८—श्री वंश नारायण सिंह (जिला बनारस)—क्या सरकार को ज्ञात है कि काशी-राज्य के विलीनीकरण के समय स्थायी राज्य कर्मचारियों को उत्तर प्रदेशीय सरकार में स्थायी स्थान देने का निश्चय हुआ था ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—कुछ शर्तों के अधीन राज्य के स्थायी कर्मचारियों को सरकारी नौकरी देने के बारे में तय हुआ था।

*४९—श्री वंश नारायण सिंह—यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य के सभी स्थायी राज्य कर्मचारी स्थायी स्थानों पर नियुक्त कर दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—उनमें से अधिकतर तो रख लिये गये, पर थोड़े से कर्मचारी जो हमारी आवश्यकता से अधिक थे या जिनके लिये उपयुक्त स्थान नहीं थे अथवा ऐसे जिनके अनुभव और योग्यता का विचार करते हुये नौकरी में रखने के योग्य नहीं समझे गये उनको नौकरी में नहीं रखा जा सका ।

*५०—श्री वंश नारायण सिंह—क्या सरकार को मालूम है कि जिन राज्य कर्मचारियों ने अवकाश ग्रहण कर लिया है, नियमानुसार उन सबको पेंशन दे दी गई है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—ऐसे अधिकतर कर्मचारियों को नियमानुसार पेंशनें दे दी गई हैं। बहुत थोड़े बचे हुये कर्मचारियों के मामलों में आवश्यक कार्यवाही हो रही है।

*५१-५२—श्री भगवान सहाय—[२० मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

मऊ (आजमगढ़) में रंगाई व धुनाई का कारखाना

*५३—श्री रामसुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मंत्री १-४-५४ के प्रश्न संख्या ९ से ११ के उत्तर के संबंध में बतायेंगे कि मऊ (आजमगढ़) में रंगाई धुनाई का कारखाना चालू नहीं है ? यदि हां, तो कब से चालू हो जाने की आशा है ?

श्री हुकुमसिंह—इस कारखाने में हाथ से रंगाई का काम १९४९-५० से चालू है। ब्लीचिंग और फिनिशिंग का कारखाना शीघ्र चालू हो जाने की आशा है।

*५४—श्री राम सुन्दर पाण्डेय—क्या उद्योग मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कारखाने में काम करने वाले कर्मचारियों का वेतन ६ मास से बाकी है ?

श्री हुकुमसिंह—कारखाने के कर्मचारियों को मार्च सन् १९५४ तक का वेतन दिया जा चुका है।

राजनैतिक पीड़ितों को पेंशन

*५५—श्री जोरावर वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९५२-५३ और ५३-५४ ई० में प्रदेश में कितने राजनैतिक पीड़ितों को पेंशनें दी गई हैं ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—१९५२-५३ में ५३ और ५३-५४ में ६६।

पकड़ी नउनियां, जिला गोरखपुर के वन का क्षेत्रफल

*५६—श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के पकड़ी रेंज के समीपस्थ मौजा पकड़ी नउनियां में कितने क्षेत्रफल का वन है और वह वन किसका है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—पकड़ी नउनियां के वन का क्षेत्रफल २२९.६ एकड़ है और यह वन सरकारी है।

*५७—श्री द्वारिका प्रसाद पाण्डेय—[३ जून, १९५४ के लिये स्थगित किया गया।]

*५८-५९—श्री खुशीराम (जिला अल्मोड़ा)—[२७ मई, १९५४ के लिये स्थगित किये गये।]

*६०—श्री रणंजय सिंह (जिला सुल्तानपुर)—[१४ मई, १९५४ के लिये प्रश्न संख्या ८४ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

जिला बदायूं में सहसवान से गिन्नौर तक पक्की सड़क की आवश्यकता

*६१—श्री मुश्ताक अली (जिला बदायूं)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि जिला बदायूं की प्लानिंग कमेटी ने सरकार से यह सिफारिश की है कि सहसवान से गिन्नोर तक पुख्ता सड़क बनवा दी जाय ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां ।

राम नगर में फूड प्रिजरवेशन फैक्टरी की योजना

*६२—श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली) (अनुपस्थित) —क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि रामनगर में फूड प्रिजरवेशन फैक्टरी की योजना कब तक पूरी हो जायगी ?

श्री हुकुमसिंह—योजना तैयार है । रामगढ़ की फैक्टरी जुलाई से जबकि सेब का मौसम आरम्भ होता है, चलना शुरू कर देगी और यदि हो सका तो इससे पहले भी ।

*६३—श्री धर्मदत्त वैद्य (अनुपस्थित)—अब तक इस फैक्टरी ने क्या प्रगति की है और इस पर अब तक कितना व्यय किया जा चुका है ?

श्री हुकुमसिंह—बिल्डिग १४-४-५४ को तैयार हो गयी । अब मशीनें लग रही हैं ।

अब तक कुल लगभग २ १/४ लाख रुपया व्यय हो चुका है ।

*६४—श्री धर्मदत्त वैद्य (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस फैक्टरी में क्या-क्या कार्य किया जायेगा, और इस फैक्टरी द्वारा निर्मित वस्तुओं के विक्रय का क्या प्रबन्ध किया गया है ?

श्री हुकुमसिंह—इस फैक्टरी में सेब तथा अन्य फलों की लुगदी तैयार की जायगी । इस प्रकार ५०-६० फीसदी फल जो अच्छे नहीं होते, जिन्हें चिड़ियां खा लेती हैं, या जो अत्यधिक पक जाते हैं, या जो ओलों इत्यादि से बेकार हो जाते हैं, काम में आ जायेंगे । कच्चे फलों को भी ठीक करके चारे के काम में लाया जायगा ।

यह लुगदी लकड़ी के बैरल (डिब्बों) में भर कर मैदान में ऐसे व्यवसायियों के पास भेज दी जायगी, जो इसका मुरब्बा और चटनी बनावेंगे ।

विक्रय के लिए केन्द्रीय सरकार के मार्केटिंग एडवाइजर से बातचीत हो रही है । इस प्रदेश के तथा अन्य प्रदेशों के व्यवसायियों से भी बातचीत की गयी है । वे लोग फैक्टरी में तैयार हुई लुगदी के लेने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यह सस्ती पड़ेगी ।

*६५-६६—श्री हरिप्रसाद—[२० मई, १९५४ के लिए स्थगित किये गये ।]

सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद का हेडक्वार्टर

*६७—श्री इसरारुल हक़ (जिला आगरा) (अनुपस्थित)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट फिरोजाबाद का मुस्तकिल हेडक्वार्टर उसकी बढ़ती हुई आबादी और जरूरियात को देखते हुए फिरोजाबाद ही में रखना उसके जेरेगौर है ?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—सरकार सब-डिवीजनल मैजिस्ट्रेट, फिरोजाबाद को आगरे से हटा कर फिरोजाबाद ले जाना चाहती है किन्तु सब-डिवीजनल आफिसर की अदालत, उसके कार्यालय और निवासस्थान व अदालती हवालात (judicial lock up) के लिए

इमारतें बनाये बिना वह ऐसा नहीं कर सकती। सरकार को खेद है कि धन की कमी के कारण इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करना सम्भव नहीं है।

*६८—श्री बाबूनन्दन—[१८ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या ८५ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

नीरा से गुड़ बनाने की योजना

*६९—श्री बाबू नन्दन—क्या सरकार ने नीरा से गुड़ बनाने की योजना कार्यान्वित कर दी है? यदि हां, तो प्रदेश के किन-किन जिलों में?

श्री हुकुमसिंह—(अ) जी हां।

(ब) कानपुर, फर्रुखाबाद, मेरठ, बिजनौर और नैनीताल जिलों में।

*७०—श्री शिवराज सिंह यादव (जिला बदायूं)—[२५ मई, १९५४ के लिए प्रश्न संख्या १३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

*७१—श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या वह Second five year plan तैयार कर रही है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां। सरकार सेकिंड फाइव इयर प्लान तैयार कर रही है।

*७२—श्री शिवराज सिंह यादव—क्या सरकार इस प्लान की तैयारी के सम्बन्ध में जिला नियोजन समितियों से भी सुझाव मांगने का विचार रखती है?

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त—जी हां। सरकार द्वितीय पंचवर्षीय योजना के सम्बन्ध में जिला नियोजन समितियों से भी सुझाव मांगने का विचार रखती है। इन सुझावों के मांगने की विधि व प्रकार सरकार के विचाराधीन है।

*७३—श्री झारखंडे राय—[३ जून, १९५४ के लिए स्थगित किया गया।]

फिरोजाबाद की लाइम फैक्ट्री को कोयले का कोटा

*७४—श्री इसरारुल हक़ (अनुपस्थित)—क्या सरकार मेहरबानी करके बतायेगी कि फिरोजाबाद में किन-किन लाइम फैक्टरियों को किस हिसाब से कोयले का कोटा दिया जाता है?

श्री हुकुमसिंह—इस समय फिरोजाबाद की किसी भी लाइम फैक्टरी को कोयले का कोटा नहीं दिया जाता है?

*७५—श्री इसरारुल हक़ (अनुपस्थित)—क्या सरकार को इल्म है कि इन फैक्टरियों में से कई एक बन्द हो गयी हैं, परन्तु वह अपना कोयले का कोटा बराबर उठाती हैं?

श्री हुकुमसिंह—प्रश्न नहीं उठता।

मिलों में गन्ना न पहुंचने से शक्कर के उत्पादन में क्षति

*७६—श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस वर्ष प्रदेश की शक्कर मिलों में गन्ना पहुंचना रोकने से कितने मिल कितने दिनों के लिए बन्द किए और शक्कर के उत्पादन में कितनी क्षति पहुंची?

श्री हुकुमसिंह—प्राप्त सूचना के अनुसार प्रदेश में ६ मिलें १ दिन, ३ मिल, २ दिन, १ मिल ३ दिन, १ मिल ७ दिन तथा ३ मिलें ८ दिन पूर्णतः बन्द रहीं। इसके अतिरिक्त १६ मिलें कुछ समय के लिए आंशिक रूप से बन्द रहीं। इन मिलों के बन्द रहने के कारण फरवरी के प्रथम पक्ष में लगभग २.२५ लाख मन शक्कर का उत्पादन कम हुआ। लेकिन कुल शक्कर उत्पादन को कितना नुक्सान पहुंचा, यह अनुमान लगाना अभी सम्भव नहीं है।

*७७—श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले वर्षों में गन्ने का क्या मूल्य निश्चित किया गया और वह मूल्य किन कारणों से घटाया गया ?

श्री हुकुमसिंह—गत तीन वर्षों में गन्ने का न्यूनतम मूल्य निम्न प्रकार निर्धारित किया गया—

		रु०—आ०—पा०	
१९५१–५२	..	१—१२—००	प्रति मन।
१९५२–५३	..	१—३—००	प्रति मन रेल।
		१—५—००	प्रति मन गेट।
१९५३–५४	..	१—५—००	प्रति मन रेल।
		१—७—००	प्रति मन गेट।

प्रश्न का दूसरा भाग केन्द्रीय सरकार से सम्बन्धित है।

*७८—श्री हरिश्चन्द्र वाजपेयी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पिछले दो वर्षों में इस प्रदेश के मिलों द्वारा कितनी शक्कर बनायी गयी और इस वर्ष कितनी शक्कर बनने का अनुमान है ?

श्री हुकुमसिंह—पिछले दो वर्षों में उत्तर प्रदेश के मिलों ने निम्नलिखित मात्रा में शक्कर उत्पादन किया—

१९५१–५२	..	२२७.४४ लाख मन।
१९५२–५३	..	१९०.६२ लाख मन।

इस वर्ष अनुमान किया जाता है कि लगभग १५० लाख मन शक्कर का उत्पादन होगा।

वित्त समिति, सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति तथा विभिन्न स्थायी समितियों के निर्वाचन में प्राप्त नाम-निर्देशनों के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष—वित्त समिति में १४ सदस्यों का निर्वाचन होने वाला था। इसमें २१ नाम आये हुये हैं नामजदगी में। वह २१ नाम इस प्रकार हैं—

१—श्री नरेन्द्र सिंह विष्ट
२— ,, महाराज सिंह
३— ,, बलदेव सिंह
४— ,, विष्णु शरण दुब्लिश
५— ,, शुगन चन्द्र
६— ,, वीरेंद्र वर्मा
७— ,, राधा कृष्ण अग्रवाल
८— श्री काली चरण टंडन
९— ,, मोहम्मद सुलेमान अधमी
१०— ,, भगवती प्रसाद शुक्ल
११— ,, गंगा प्रसाद
१२— ,, धर्मसिंह
१३— ,, नारायण दत्त तिवारी
१४— ,, जयेन्द्र सिंह विष्ट

[श्री अध्यक्ष]

१५— ,, जोरावर वर्मा
१६— ,, तेज बहादुर
१७— ,, झारखंडेराय
१८— ,, तेज प्रताप सिंह
१९—श्री रामसुमेर
२०— ,, जयपाल सिंह
२१— ,, पुत्तू लाल

इसमें श्री वीरेंद्र वर्मा का नाम शायद दो मर्तबा आ गया है । इस तरह स २१ नामों की नामजदगी हुई है। अगर ७ सदस्यों के नाम वापस नहीं हुये तो फिर इसका चुनाव होगा। कल तक नाम वापस लेने की मियाद है।

सार्वजनिक लेखा समिति—इसमें २० सदस्यों का निर्वाचन होना है और २६ नाम आये हुये हैं। वह इस प्रकार हैं—

१—श्री सुखीराम भारतीय
२— ,, राम स्वरूप गुप्त
३— ,, रामजी लाल सहायक
४— ,, नन्दकुमार देव वाशिष्ठ
५— ,, बृजवासी लाल
६— ,, केशव गुप्त
७— ,, सैयद मुहम्मद वसी नकवी
८— ,, केशव प्रसाद पांडेय
९— ,, मिही लाल
१०— ,, पद्मनाथ सिंह
११— ,, इर्तिजा हुसेन
१२— ,, अशरफ अली खां
१३— ,, रतनलाल जैन
१४—श्री गोवर्द्धन तिवारी
१५— ,, धनुषधारी पांडेय
१६— ,, देवदत्त मिश्र
१७— ,, देवेन्द्रप्रताप नारायण सिंह
१८— ,, मदनमोहन उपाध्याय
१९— ,, महराजकुमार बालेन्दुशाह
२०— ,, जोरावर वर्मा
२१— ,, राम सुमेर
२२— ,, हरदयाल सिंह
२३— ,, तेजप्रताप सिंह
२४— ,, तेजबहादुर
२५— ,, झारखंडेराय
२६— ,, चिरंजीलाल जाटव

इनमें से अगर ६ नाम वापस नहीं हुये तो फिर चुनाव होगा। कल तक इसकी भी मियाद है।

प्राक्कलन समिति—इस समिति में २५ सदस्य चुने जाने हैं और ३७ नामों की नामजदगी हुई है। वह इस प्रकार है—

१—श्री लक्ष्मण दत्त भट्ट
२—,, व्रज विहारी मेहरोत्रा
३—,, भगवती प्रसाद शुक्ल
४—,, लक्ष्मी शंकर यादव
५—,, वंशीधर मिश्र
६—,, कालिका सिंह
७—,, रामस्वरूप भारतीय
८—,, शिव नारायण
९—श्री नारायण दीन
१०—,, कैलाश प्रकाश
११—,, दीन दयालु शर्मा
१२—,, नवल किशोर
१३—,, जगदीश प्रसाद
१४—,, बाबू लाल मित्तल
१५—,, आचार्य जुगल किशोर
१६—,, शांति प्रपन्न शर्मा

१७—श्री इस्तफा हुसैन
१८—,, शिव कुमार शर्मा
१९—श्रीमती एस० एस० जहां बेगम
२०—श्री रामनारायण त्रिपाठी
२१—,, राजा वीरेंद्रशाह
२२—,, शिवप्रसाद
२३—,, शिवराज सिंह
२४—,, गंगाधर मैठाणी
२५—,, महावीरप्रसाद शुक्ल
२६—,, रामसुमेर
२७—,, पुत्तूलाल
२८—श्री जयपाल सिंह
२९—,, रामेश्वर प्रसाद
३०—,, तेजप्रताप सिंह
३१—,, तेजबहादुर
३२—,, झारखंडेराय
३३—,, जोरावर वर्मा
३४—,, चिरंजीलाल जाटव
३५—श्रीमती लक्ष्मी देवी
३६—श्री उल्फत सिंह चौहान
३७—,, रामहेत सिंह

इसमें १२ सदस्य अगर नाम वापस नहीं लेंगे तो इसका भी चुनाव होगा।

स्थायी समितियां—अब यह १८ स्थायी समितियां हैं। इनमें १२ स्थायी समितियों में जो १४ नाम होने चाहिये वह १४ ही नाम हैं, लेकिन बाकी ६ समितियों में १४ से अधिक हैं। लेकिन नाम वापस लेने का अधिकार सबको होने के कारण मैं अभी "निर्वाचित हुये" घोषित नहीं करूंगा, केवल नाम पढ़कर सुना दूंगा, जिनकी नामजदगी हुई है।

सार्वजनिक निर्माण समिति—इसमें १४ सदस्यों की नामजदगी हुई है :—

१—श्री मेहरबान सिंह
२—,, राजकुमार शर्मा
३—,, जटाशंकर
४—,, गुप्तारसिंह
५—,, मुन्नूलालू
६—,, राजाराम शर्मा
७—,, रामवचन यादव
८—श्री बद्रीनारायण मिश्र
९—,, दाताराम
१०—,, केशव राम
११—,, मथुराप्रसाद त्रिपाठी
१२—,, रामेश्वर लाल
१३—,, रामसनेही भारतीय
१४—,, राजाराम अरोरा

पुलिस स्थायी समिति—इसमें १५ सदस्यों की नामजदगी हुई है —

१—श्री संग्राम सिंह
२—,, रामदुलारे मिश्र
३—,, राम प्रसाद
४—,, बसंतलाल शर्मा
५—,, प्रभूदयाल
६—,, रामनरेश शुक्ल
७—,, द्वारिका प्रसाद पांडेय
८—,, कृष्ण स्वरूप भटनागर
९—श्री व्रजभूषण मिश्र
१०—श्रीमती चन्द्रावती
११—,, यशोदा देवी
१२—श्री हबीबुर्रहमान
१३—,, रामसुन्दर पांडेय
१४—,, सुरेश प्रकाश सिंह
१५—,, जयपाल सिंह

[श्री अध्यक्ष]

सार्वजनिक निर्माण विभाग (सिंचाई) स्थायी समिति--इसमें १४ सदस्य नामजद हुए हैं--

१--श्री गुरुप्रसाद पाण्डेय
२--,, राजनारायण सिंह
३--,, बलभद्र प्रसाद शुक्ल
४--,, सियाराम चौधरी
५--,, शिवराम राय
६--,, शिववचन राय
७--,, मोहन सिंह
८--श्री रमेश वर्मा
९--,, नत्थू सिंह
१०--,, अवधेश प्रताप सिंह
११--,, रघुनाथ प्रसाद
१२--,, भोला सिंह
१३--,, रामनरेश शुक्ल
१४--,, शिवराजबली सिंह

सहकारी स्थायी समिति--इसमें १४ सदस्यों की नामजदगी हुई है--

१--श्री उमाशंकर तिवारी
२--,, भगवती प्रसाद दुबे
३--,, हरी सिंह
४--,, बैजनाथ सिंह
५--,, जवाहरलाल
६--,, मिजाजी लाल
७--,, राजाराम अरोरा
८--श्रीमती सज्जन देवी महनोत
९--श्री तेज बहादुर सिंह
१०--,, रामशंकर लाल
११--,, रामसुभग वर्मा
१२--,, तेजप्रताप सिंह
१३--,, महावीरप्रसाद श्रीवास्तव
१४--,, फतेहसिंह राणा

सूचना स्थायी समिति--इसमें भी १४ सदस्यों की नामजदगी हुई है--

१--श्री तुलसी राम
३--,, फजलुल हक
३--,, बेचनराम
४--,, राजवंशी राय
५--,, रघुवीर सिंह
६--,, बसंत लाल
७--श्रीमती सावित्री देवी
८--श्री रामदास
९--,, नागेश्वर द्विवेदी
१०--,, रामचन्द्र विकल
११--श्रीमती चन्द्रवती देवी
१२--श्री कल्याण राय
१३--,, नरोत्तम सिंह
१४--,, देवदत्त शर्मा

श्रम स्थायी समिति--इसमें १५ सदस्यों की नामजदगी हुई है--

१--श्री हरदेव सिंह
२--,, तुलाराम रावत
३--,, मुरलीधर कुरील
४--,, रामलखन मिश्र
५--,, हरख्याल सिंह
६--,, रामचरण लाल गंगवार
७--,, शिवराज बली सिंह
८--,, विजय शंकर सिंह
९--,, जगन्नाथ मल्ल
१०--,, बासुदेव मिश्र
११--,, भीमसेन
१२--श्रीमती यशोदा देवी

१३—श्री वीरेन्द्रपति यादव
१४— ,, हरी सिंह
१५—श्री गंगा प्रसाद

स्थानीय स्वशासन स्थायी समिति—इसमें १४ सदस्यों की नामजदगी हुई है :—

१—श्री ब्रह्मदत्त दीक्षित
२— ,, कुंवर कृष्ण वर्मा
३— ,, महन्त जगन्नाथ बख्श दास
४— ,, ब्रजविहारी मिश्र
५— ,, बाबूराम गुप्त
६— ,, शिवशरण लाल श्रीवास्तव
७— ,, मकसूद आलम
८—श्री सुरजूराम
९— ,, हरिश्चन्द्र अष्ठाना
१०— ,, महावीर प्रसाद श्रीवास्तव
११— ,, वीरसेन
१२— ,, मलखान सिंह
१३— ,, देवदत्त शर्मा
१४— ,, बैजनाथ सिंह

माल की स्थायी समिति—इसमें १५ सदस्यों की नामजदगी हुई है —

१—श्री लाल बहादुर सिंह
२— ,, मथुरा प्रसाद पांडेय
३— ,, केवल सिंह
४— ,, निरंजन सिंह
५— ,, शिवस्वरूप सिंह
६— ,, रामशंकर रविवासी
७— ,, गेंदासिंह
८— ,, शम्भूनाथ चतुर्वेदी
९—श्री रामप्रसाद सिंह
१०— ,, विशम्भर सिंह
११— ,, मकसूद आलम खां
१२— ,, द्वारिका प्रसाद
१३— ,, नेकराम शर्मा
१४— ,, ब्रजविहारी मिश्र
१५— ,, जोरावर वर्मा

सार्वजनिक निर्माण (विद्युत) स्थायी समिति—इसमें १४ सदस्यों की नामजदगी हुई है —

१—श्री कल्याण राय
२— ,, अब्दुल लतीफ खां
३— ,, घासी राम
४— ,, भगवान सहाय
५— ,, कल्याण चन्द मोहिले
६— ,, पुत्तूलाल
७— ,, नौरंग लाल
८— श्री राम प्रसाद देशमुख
९— श्रीमती प्रकाशवती सूद
१०— श्री वासुदेव मिश्र
११— ,, पुलिन बिहारी बैनर्जी
१२— ,, सुल्तान आलम खां
१३— ,, हरिश्चन्द्र अष्ठाना
१४— ,, भगत दयाल दास

सामान्य प्रशासन स्थायी समिति—इसमें १६ सदस्यों की नामजदगी हुई है।

१— श्री परमानन्द सिन्हा
२— ,, गनेश प्रसाद पांडे
३—श्री गनेश चन्द काछी
४— ,, महमूद अली खां

[श्री अध्यक्ष]

५—श्री शिवमंगल सिंह
६— ,, वंशनारायण सिंह
७— ,, भगवती दीन तिवारी
८— ,, राजनारायण सिंह
९— ,, महमूद अली खां
१०— ,, जयराम वर्मा
११—महाराजकुमार बालेन्दुशाह
१२— ,, बाबूराम गुप्ता
१३— ,, ब्रह्मदत्त दीक्षित
१४— ,, लक्ष्मी रमण आचार्य
१५— ,, जयपाल सिंह
१६— ,, जोरावर वर्मा

शिक्षा स्थायी समिति—इसमें १५ सदस्यों की नामजदगी हुई।

१—श्री गंगाधर शर्मा
२— ,, मोहम्मद नसीर
३— ,, उमाशंकर मिश्र
४— ,, तेजा सिंह
५— ,, नरदेव शास्त्री
६— ,, वीरेन्द्रपति यादव
७— ,, सहदेव सिंह
८— ,, राम स्वरुप
९—श्री विश्राम राय
१०— ,, परिपूर्णानन्द वर्मा
११— ,, देवराम
१२— ,, सत्य सिंह राणा
१३— ,, गंगा सिंह
१४— ,, रघुवीर सिंह
१५— ,, वीरसेन

न्याय तथा विधान सम्बन्धी स्थायी समिति—इसमें १४ सदस्य निर्वाचित हुए—

१—श्री शम्भूनाथ चतुर्वेदी
२— ,, अंशमान सिंह
३— ,, बलवीर सिंह
४— ,, द्वारका प्रसाद
५— ,, लक्ष्मी रमण आचार्य
६— ,, शिवनाथ काटजू
७— ,, शिव बख्श सिंह
८—श्री वंशीदास धनगर
९— ,, केदार नाथ
१०— ,, जयराम वर्मा
११— ,, अब्दुल लतीफ़ खां
१२— ,, भगवती दीन तिवारी
१३— ,, ज्वाला प्रसाद सिनहा
१४— ,, नरदेव शास्त्री

चिकित्सा और स्वास्थ्य सम्बन्धी समिति—इसमें १४ सदस्य निर्वाचित हुए—

१—श्री कन्हैया लाल वाल्मीकि
२— ,, पुलिन बिहारी बनर्जी
३— ,, बाबू लाल कुमेश
४— ,, नेत्रपाल सिंह
५—श्री उमा शंकर
६— ,, धर्म दत्त वैद्य
७— ,, राजेन्द्र दत्त
८—श्री श्रीनाथ भार्गव
९— ,, मदन गोपाल वैद्य
१०—डा० जवाहर लाल रस्तोगी
११— ,, अवधेश प्रताप सिंह
१२—श्री राम शंकर द्विवेदी
१३— ,, मुहम्मद नसीर
१४— ,, गुरु प्रसाद

उद्योग स्थायी समिति—— इसमें १४ सदस्य निर्वाचित हुये हैं :——

१——श्री सत्य नारायण
२—— ,, हरदयाल सिंह पिपल
३—— ,, रामअवध सिंह
४—— ,, राजकिशोर
५—— ,, उदयभान सिंह
६—— ,, गजेन्द्र सिंह
७—— ,, अब्दुल समद
८——श्रीमती प्रकाशवती सूद
९——श्री ऐजाज़ रसूल
१०—— ,, शिवराज बली सिंह
११—— ,, उम्मेद सिंह
१२—— ,, महमूद अली ख़ां
१३—— ,, भगवान सहाय
१४—— ,, शिवराम राय

कृषि तथा पशुपालन स्थायी समिति——इसमें १४ सदस्यों की नामजदगी हुई है :——

१——श्री रमेश चन्द्र शर्मा
२—— ,, पहलवान सिंह
३—— ,, राघवेन्द्र प्रताप सिंह
४—— ,, लुत्फ़ अली ख़ां
५—— ,, तिरमल सिंह
६—— ,, महावीर सिंह
७—— ,, अवधशरण वर्मा
८—— श्री शंकर लाल
९—— ,, भगवती प्रसाद दुबे
१०—— ,, लाल बहादुर सिंह
११—— ,, श्रीचन्द
१२—— ,, श्रीनिवास
१३—— ,, सच्चिदानन्दनाथ त्रिपाठी
१४—— ,, झारखंडे राय

वन स्थायी समिति——इसमें १४ सदस्य निर्वाचित हुये हैं——

१——श्री रघुराज सिंह
२—— ,, हरिप्रसाद
३—— ,, महादेव प्रसाद
४—— ,, सत्यसिंह
५—— ,, खुशीराम
६—— ,, बेनीसिंह
७—— ,, चन्द्रहास
८—— श्री मुन्नूलाल
९—— ,, रामस्वरूप
१०—— ,, रघुनाथ प्रसाद
११—— ,, कमाल अहमद रिज़वी
१२—— ,, बसन्तलाल शर्मा
१३—— ,, दीनदयालु शास्त्री
१४—— ,, राजाराम शर्मा

विकास व नियोजन स्थायी समिति——इसमें १६ सदस्यों की नामजदगी हुई है——

१——श्री चिरंजीलाल पालीवाल
२—— ,, रामहेतसिंह
३—— ,, दीपनारायण वर्मा
४—— ,, बलवन्तसिंह
५—— श्री व्रजभूषण मिश्र
६—— ,, भृगुनाथ चतुर्वेदी
७—— ,, किन्दरलाल
८—— ,, लेखराज सिंह

[श्री अध्यक्ष]

६—श्री गुरुप्रसाद सिंह
१०— ,, मदनमोहन उपाध्याय
११— ,, फतेहसिंह राणा
१२— ,, परमानन्द सिन्हा
१३—श्री करनसिंह
१४— ,, तेज बहादुर
१५— ,, नेकराम शर्मा
१६— ,, वीर सेन

हरिजन सम्बन्धी स्थायी समिति—इसमें १४ सदस्यों की नामजदगी हुई है—

१—श्री भीमसेन
२— ,, कन्हैयालाल
३— ,, चुन्नीलाल
४— ,, बेचनराम
५— ,, तुलाराम (इटावा)
६— ,, रामदास
७— ,, सेवाराम
८—श्री मुरलीधर कुरील
६— ,, गुल्जार
१०— ,, पुत्तूलाल
११— ,, रामलाल
१२— ,, तुलाराम (लखनऊ)
१३— ,, गौरीराम
१४— ,, सुरजू राम

श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति के प्रतिवेदन पर विचार

श्री अध्यक्ष—अब मैं माननीय उपाध्यक्ष जी से कहूंगा कि वे अपनी रिपोर्ट पेश करें।

उपाध्यक्ष (श्री हरगोविन्द पन्त)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी से संबंधित विशेषाधिकार के प्रश्न पर उत्तर प्रदेश विधान सभा की विशेषाधिकार समिति ने जो प्रतिवेदन उपस्थित किया है, उस पर विचार किया जाय।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—प्वाइंट आफ़ आर्डर। श्रीमन्, मैं आपसे व्यवस्था जानना चाहता हूं और आपका ध्यान समिति की रिपोर्ट के पेज ४३ की तरफ़ दिलाना चाहता हूं जिसमें अन्त में लिखा है, "ठीक है, तो इसी प्रकार रिपोर्ट तैयार की जायगी।" फिर नीचे ब्रैकेट्स में लिखा है, "प्रतिवेदन तैयार करके समिति के सदस्यों के पास हस्ताक्षरार्थ भेज दिया गया।" तो श्रीमन्, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कोई कमेटी जब तक खुद कोई फैसला न करे और उसकी रिपोर्ट मेम्बरों के कमरों में हस्ताक्षर के लिये भेज दी जाय तो वह कमेटी की रिपोर्ट कैसे मान ली जायगी, जैसे हाउस को अपना फैसला यहां सदन में लेना चाहिये और

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अगर हमारे पास दारुलशफा में कोई बिल दस्तखतों के लिये भेज दिया जाय तो मैं समझता हूं कि दस्तखत भले ही हम कर दें लेकिन उन दस्तखतों से कोई काम बनने वाला नहीं है। तो कमेटी की रिपोर्ट कमेटी की मीटिंग के सामने नहीं आयी। हाउस आफ कामन्स में यह होता है कि कमेटी की रिपोर्ट सभापति तैयार करते हैं और उसके बाद वह रिपोर्ट समिति के सामने आती है और एक एक पैराग्राफवाइज ली जाती है। तो हाउस आफ कामन्स की प्रणाली के अनुसार भी यह ग़लत है। तो मैं चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में चूंकि विशेषाधिकार समिति ने कोई प्रोसीडेंट तो निश्चित नहीं किया इसलिये आप व्यवस्था दें कि यह रिपोर्ट जिस पर सदस्यों के कमरों में भेज कर हस्ताक्षर कराये गये हैं क्या समिति की रिपोर्ट मानी जा सकती है।

दूसरे यह कि मेरी चिट्ठियां जो मैंने इस कमेटी के सामने भेजी थीं मुझे ऐसा लगता है कि वे पढ़ कर सुनायी नहीं गयीं क्योंकि प्रोसीडिंग्स में भी वे नहीं हैं और न उनका कहीं जिक्र है। इसलिये मैं समझता हूं कि कमेटी के सामने जो हमारा केस है वह पूरा नहीं आया। तो इस सम्बन्ध में मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष--माननीय अध्यक्ष महोदय, इस इंक्वायरी के सम्बन्ध में तीन मुख्य प्रश्न थे उन पर....

श्री अध्यक्ष--मैं इनके बारे में जानना चाहता हूं जो प्रश्न उठाये गये हैं।

श्री उपाध्यक्ष--जी हां, उसी के सम्बन्ध में कह रहा हूं कि तीन मुख्य प्रश्न थे। उनके संबंध में कमेटी की राय ली गई थी और उनका विभाजन भी इस प्रतिवेदन में दिया गया है, उनका निश्चय होना चाहिये। कमेटी ने माना कि अब रिपोर्ट तैयार होनी चाहिये और जो अस्वीकृति की राय देना चाहेंगे वह दे सकेंगे। इसलिये यह समिति के ही सदस्यों का निश्चय है और उसके अनुसार ही यह कार्यवाही की गई है।

दूसरे प्रश्न के विषय में यह कहना है कि हमारी समिति ने अपना प्रतिवेदन आपके ही द्वारा इस सदन के लिये भेजा है और जितने भी कागजात हमारे सामने आये थे वह सब के सब हमने भेज दिये। कौन से पत्र छापे जायं और कौन से शामिल किये जायं, इसका निश्चय करना अध्यक्ष का काम है। उसके अनुसार जो पत्र मुनासिब समझे गये, छापे गये हैं, बाकी पत्र जिनके विषय में कोई माननीय सदस्य जानना चाहें, वह आपकी अनुमति से देख सकते हैं। रहा यह जैसा कि कहा जाता है कि उनके पत्र पर विचार नहीं किया गया, यह बात सही नहीं है। कमेटी के सामने जितने भी कागजात आये वह सब को दिखाये गये और उन पर विचार किया गया। मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष--माननीय नारायणदत्त जी तिवारी ने दो आक्षेप किये हैं और वह मेरा इस सम्बन्ध में निर्णय चाहते हैं कि वैधानिक रूप से यह समिति की रिपोर्ट मानी जाय या न मानी जाय। पहला आक्षेप यह है कि समिति की जो रिपोर्ट तैयार हुई वह समिति के सामने, समिति की बैठक बुलाकर, नहीं रखी गई बल्कि दस्तखत बाद में कराये गये और यह वैधानिक दृष्टि से ठीक है या नहीं क्योंकि उनका कहना है कि समिति का कोई ऐसा निर्णय नहीं था कि बाद में दस्तखत करा लिये जायं। जब इसके

[श्री अध्यक्ष]

विपरीत भी कोई नियम नहीं है और उसका प्रोसीजर इस किस्म का नहीं है कि रिपोर्ट समिति की बैठक में आनी ही चाहिये ऐसी अवस्था में केवल समिति के सदस्यों का ही यह अधिकार था कि वह कोई निर्णय करते। जब समिति के सदस्यों ने इस रिपोर्ट के ऊपर हस्ताक्षर कर दिये और उसके बाद कोई आक्षेप समिति के सामने वह नहीं लाये और न समिति के अध्यक्ष के सामने लाये ऐसी अवस्था में किसी दूसरे सदस्य को आक्षेप करने का अधिकार नहीं है। प्रोसीजर जो समिति के सदस्यों को सर्वमान्य था उसके ऊपर उपाध्यक्ष ने प्रकाश डाला है। जहां तक निर्णय का सम्बन्ध है वह रिपोर्ट में मौजूद है और बैठक में निर्णय हुआ है। ऐसी अवस्था में इस रिपोर्ट को अवैध नहीं कहा जा सकता है और यह समिति की रिपोर्ट मानी जायगी।

दूसरा जो आक्षेप उठाया गया है उसकी जिम्मेदारी मेरी है कि कौन से पत्र और कौन-कौन सी बातें जो समिति के सामने आई थीं, वह छापी जायं। मैंने इस सम्बन्ध में जो और जगह प्रथा थी उसको देखकर, क्योंकि कोई उसके लिये निश्चित प्रोसीजर मौजूद नहीं था, यह निर्णय किया कि चूंकि सब के सब कागजात के छपवाने में व्यर्थ ही खर्चा होता है इसलिये जितनी सामग्री आवश्यक हो, सदस्यों की जानकारी के लिये और जो रिवाज और जगह मौजूद है उसके अनुसार कार्य होना चाहिये। इस रिपोर्ट में जो सदन में प्रश्न उपस्थित किया गया था वहां से लेकर किस तरह से वह प्रिविलेज कमेटी के सामने गया और इस संबंध में क्या-क्या चर्चा सदन में हुई वह इस रिपोर्ट में सब बातें आ चुकी हैं, और जो कागजात पेश किये गये हैं उनके सम्बन्ध में यह भी नियम रखा गया कि जिन लोगों ने गवाहियां दीं जिस बैठक में, उनका जिक्र उसमें आ जाना चाहिये और जो प्रश्न उठ चुके हैं वह आ जाने चाहियें। लेकिन अगर और कोई अपने विचार पेश करता है, ऐसे खतों के सम्बन्ध में कहीं भी, जो मैंने दूसरी रिपोर्ट देखी, उनमें कहीं भी कोई तरीका नहीं देखा कि वे पत्र छापे गये हों। दूसरे, पहले भी एक आध बार रिपोर्ट छपी, उसमें यह पाया गया कि जो सदस्यों ने आपस में बातचीत की और विवाद किया वह भी छप गया, लेकिन यह विवाद गुप्त ही रहना उचित है। मैंने इंगलैण्ड की पार्लियामेंट की रिपोर्ट को देखा, उनमें केवल यह दर्ज है "प्रश्न पर समिति में चर्चा हुई या विचार हुआ, या इतने सदस्य उसमें मौजूद रहे और उन्होंने विचार-विनिमय किया।" इस तरह की रिपोर्टें मैंने देखी हैं। तो संक्षेप में यह बता देने को थी इससे भी बहुत कुछ काम छपाई का हल्का हो जाता है।

तो प्रोसीजर को तय करना मेरा काम होने के कारण और छपाई के सम्बन्ध में मेरी जानकारी होने के कारण मेरी आज्ञा के अनुसार यह रिपोर्ट छपी है। इसलिए यह वैधानिक प्रश्न नहीं उठ सकता है कि यह रिपोर्ट मुकम्मिल नहीं है। तिस पर भी माननीय सदस्यों के सूचनार्थ श्री नारायणदत्त तिवारी के भेजे हुए पत्र मेज पर रख दिये हैं, जो असेम्बली के टेबिल पर हैं। जो माननीय सदस्य चाहें वह देख सकते हैं, लेकिन अवैधानिक या अधूरी इस रिपोर्ट को नहीं कहा जा सकता।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)--आपसे निवेदन करना चाहता था कि जो दो घंटे का समय इस कार्य के लिए रखा गया है वह कम मालूम होता है। वह बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि पहले इस पर थोड़ी चर्चा हो जाय। उसके बाद अगर आवश्यकता होगी तो बढ़ा दिया जायगा। श्री उपाध्यक्ष अपना भाषण जारी रखेंगे।

राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)---मैं एक प्रस्ताव रखना चाहता था।

श्री अध्यक्ष---अभी उसका समय नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष---इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि मुझे अधिक कहने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि इस प्रतिवेदन की छपी हुई प्रतियां कई दिनों से माननीय सदस्यों के सामने मौजूद हैं और इस समिति ने पूरी ८ बैठक इस प्रश्न पर विचार करने के लिये कीं और ऐडवोकेट जनरल की अनुमति हमने इसमें हासिल की। जो कुछ शहादत और बयान हुए उस पर विचार करके बहुमत से कोई फैसला उसमें किया गया है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस पर मुझे और अधिक कहने की आवश्यकता नहीं है। मैं केवल प्रस्ताव करता हूं कि इस पर विचार किया जाय।

श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसके लिये कुछ समय निर्धारित कर दिया जाय, ताकि अधिक से अधिक लोगों को भाग लेने का मौका मिले। उसके लिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि १० मिनट का टाइम कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष---तो इसमें सब की अनुमति है?

तो ठीक है, इसी तरह से सब को टाइम दिया जाय।

श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैजाबाद)---अध्यक्ष महोदय, आज जो प्रथा इस सम्बन्ध में पालन की गयी है वह पहले जब रिपोर्टें पेश की गयीं उससे कुछ भिन्न सी है। पिछली मर्तबा जो रिपोर्टें पेश की गयीं तो फार्मल रेजोल्यूशन किसी सदस्य की तरफ से आया और उस पर बहस हुई। अब माननीय उपाध्यक्ष ने यह रिपोर्ट पेश कर दी। तो पूरी रिपोर्ट एक रेजोल्यूशन की शक्ल में हाउस के सामने है और उसके खंडों या अंशों या पैराग्राफों पर संशोधन देने का भी अधिकार होगा, या किस तरह से उस पर विचार होगा, इस पर आपकी राय जानना चाहता था।

श्री अध्यक्ष---नियम ५३ में यह दिया हुआ है---

"After the report of the Privileges Committee has been placed on the table of the House, the Chairman of the Committee or any member of the Committee or any member of the House may move that the report of the Committee be taken into consideration forthwith or at some future time within which the report may be printed and copies supplied to members."

दूसरे नियम ५७ में यह दिया हुआ है---

"After any of the following motions is agreed to by the House—

(1) Motion under rule 48 that the matter be taken into consideration; or

(2) Motion under rule 53 that the report of the Privileges Committee be taken into consideration; or

(3) Motion under rule 54 that the report of the Secretary be taken into consideration; or

(4) Motion under rule 55 that the petition be taken into consideration; or

[श्री अध्यक्ष]

(5) Motion under rule 6 that the question of the breach of privilege, as contained in the report of the Committee, be taken into consideration; any member may move a substantive motion indicating the commission of a breach of privilege and also suggesting the action to be taken by the House, and any other member may , move an amendment to the said motion. After a brief discussion of the motion and the amendments, if any, the Speaker shall put the question."

तो इन नियमों में स्पष्ट है कि रिपोर्ट पहले सदन के सामने विचारार्थ आती है। अगर सदन ने यह स्वीकार किया कि अभी इस पर विचार कर लिया जाय तो उसी वक्त विचार होगा और कोई प्रस्ताव जोकि नियम ५७ के अनुसार आना चाहिये वह आयेगा। लेकिन सदन ने अगर यह विचार किया कि आज नहीं विचार करना है तो यह सदन यह भी निर्णय कर सकता है कि आज न विचार करके किसी दूसरे रोज उसके ऊपर विचार कर लिया जाय। इसलिये आज यह प्रस्ताव सदन के सामने है कि विचार किया जाय या न किया जाय। पहले इसमें अगर सदन राजी हो जाता है कि विचार किया जाय तो कोई प्रस्ताव आ सकता है इसके बारे में। (थोड़ी देर रुककर) तो किसी का कोई प्रस्ताव नहीं है?

राजा वीरेन्द्रशाह---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके अभी सूचना देने पर मैं, श्रीमन्, यह प्रस्ताव करता हूं कि यह विशेषाधिकार की रिपोर्ट आज न ली जाय क्योंकि हम लोग मोशन इस वक्त नहीं दे सकेंगे कल के लिये इसे इसी समय के लिए रख दिया जाय ताकि प्रस्ताव अगर हम लाना चाहेंगे तो ला सकेंगे और उसके साथ साथ अमेंडमेंट भी दे सकेंगे और उसके ऊपर सदन विचार करेगा।

श्री कृष्णशरण आर्य (जिला रामपुर)---अध्यक्ष महोदय, १३ मार्च की बैठक में आपने यह निश्चय किया था कि श्री नारायणदत्त तिवारी की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में सूचना न देने का जो कारण था, वह नियम के अनुसार प्रारम्भिक विश्लेषण के बाद सदन के विशेषाधिकार की अवहेलना थी और उसी के सम्बन्ध में एडवोकेट जनरल की कोई सम्मति प्रिविलेज कमेटी के सामने नहीं आ सकी है। इसलिये मैं प्रस्ताव करता हूं कि ऐडवोकेट जनरल की सम्मति आने तक के लिये इस विचार को पोस्टपोन किया जाय।

श्री अध्यक्ष---मूल प्रस्ताव यह है कि विचार किया जाय। उसके ऊपर दो संशोधन हैं। एक वीरेन्द्रशाह जी का और दूसरा श्री कृष्णशरण आर्य का। तो मैं पहले श्री कृष्णशरण आर्य जी का संशोधन लेता हूं।

प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर विचार तब किया जाय जब कि ऐडवोकेट जनरल की राय इस विषय पर ले ली जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि इस रिपोर्ट पर आज विचार न किया जाय। बल्कि कल किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४

*खंड १४ (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष––उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४ पर जैसा कि वह संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित हुआ है, विचार जारी रहेगा।

विशेषाधिकार का प्रश्न उठाने के लिये श्री मदन मोहन उपाध्याय की प्रार्थना

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)––अध्यक्ष महोदय, मैंने एक विशेषाधिकार का प्रश्न कल उठाया था और आज के लिए आपने उस पर अपना निर्णय देने को कहा था। तो वह कब लिया जायगा जरा उसकी सूचना दे दें।

श्री अध्यक्ष––वह तो कल ही लिया जायगा। आज तो उसको इसलिए टाला गया कि माननीय वित्त मंत्री जी ने कल कहा था कि वह आज के दिन उपस्थित नहीं होंगे और उनके पास नोटिस भेज भी दी गयी। गृह मंत्री उस वक्त मौजूद नहीं थे। आज आ गये हैं। मैं समझता हूं कि प्रश्नों के बाद पहले ही इसको कल ले लिया जायगा। उसके बाद रिपोर्ट पर विचार होगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी की गिरफ्तारी से सम्बद्ध विशेषाधिकार के प्रश्न पर विशेषाधिकार समिति का प्रतिवेदन

महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी-गढ़वाल)––श्री नारायण दत्त तिवारी जी के प्रश्न के सम्बन्ध में जो कुछ निश्चय हुआ वह कुछ स्पष्ट नहीं है। कुछ ऐसे वातावरण में हुआ कि मालूम नहीं हो सका कि क्या निश्चय हुआ। इसलिए कृपया जो निश्चय हुआ है उसकी घोषणा कर दी जाय।

श्री अध्यक्ष––निश्चय यह हुआ है कि बजाय आज के कल इसके ऊपर विचार किया जायगा।

मैं इसके ऊपर फिर पूरी राय ले लेता हूं क्योंकि मैंने संशोधित प्रस्ताव के ऊपर राय नहीं ली थी। मुझ से थोड़ी सी गलती हो गयी।

प्रश्न यह है कि विशेषाधिकार समिति की रिपोर्ट पर सदन कल विचार करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

मुख्य मंत्री (श्री गोविन्द वल्लभ पन्त)––आज करीब १५,२० मिनट इसके ऊपर खर्च हो चुके। इसके लिए जो २ घंटे का समय नियत था उसमें से कल १५,२० मिनट काट दिये जांय।

श्री अध्यक्ष––वह तो समय बढ़ाने के लिए कह रहे थे। तो बढ़ाने और घटाने दोनों को सेट असाइड कर दिया जाय।

श्री गोविन्द वल्लभ पन्त––रूल में लिखा है कि बहुत ब्रीफ डिस्कशन के बाद मामला खत्म हो जायगा। दो घंटे जरूरत से ज्यादा होते हैं।

श्री अध्यक्ष––दो घंटे से कम हो सकता है अगर बहस बीच में खत्म कर दी जाय।

---

†संयुक्त प्रवर समिति द्वारा संशोधित विधेयक, २२ अप्रैल, १९५४ की कार्यावाही में छपा है।

*४ मई, १९५४ की कार्यवाही में छपा है।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (संशोधन) विधेयक, १९५४
खंड १४ (क्रमागत)

*श्री रामनारायण त्रिपाठी (जिला फैज़ाबाद)--अध्यक्ष महोदय,कल मैंने इस सम्बन्ध में अपने दोनों प्रस्तावों को रखते हुए यह निवेदन किया था कि पहले प्रस्ताव से तो मैं यह चाहता हूं कि पंचायतों में कम से कम एक आधार पर पेटीशन न रखा जाय ।

अध्यक्ष महोदय, शान्ति नहीं है ।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्य जब यहां से जायं तो धीरे से जायं तो ज्यादा अच्छा है और कृपा करके आपस में बात न करें ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--पहले संशोधन के द्वारा इस सदन से निवेदन किया था कि कम से कम प्रापर ऐक्सेप्टेंस आर रिजेक्शन आफ ए नामिनेशन पेपर के आधार पर कोई एलेक्शन पेटीशन न माना जाय और दूसरे संशोधन में मैंने इस बात का सुझाव दिया था कि अगर यह रखना आवश्यक ही हो जाय तो ऐसी हालत में जिस दिन इस बुनियाद पर कोई नामिनेशन पेपर रिजेक्ट हो जाय उसके तीन दिन के अन्दर अगर नियत अधिकारी के पास कोई दरख्वास्त इस संबंध में आ जाती है तो वह एलेक्शन रोक दिया जाय और इस मामले पर निर्णय होने के बाद फिर आगे एलेक्शन कराया जाय ।

श्री अध्यक्ष--माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आपस में बातें बहुत हो रही हैं । मैं समझता हूं कि आपस में बातें नहीं करना चाहिये । अब मैं नाम ले दूंगा जो माननीय सदस्य बात करेंगे ।

श्री रामनारायण त्रिपाठी--पहले संशोधन के बारे में मैंने यह कहा कि यह मामला प्रदेश की ३५ हजार ग्राम पंचायतों से संबंध रखता है । अगर ३५ हजार ग्राम पंचायतों में २०-२० मेम्बर भी मान लिये जायं और एक-एक जगह के लिये १०,१५ या २० नामजदगी के पर्चे आ जायं तो इस तरह से मेरा ख्याल है कि दो-तीन लाख नामजदगी के पर्चों को देखना होगा । इसकी संभावना है कि गलत तरीके से पर्चे भरे जायेंगे, वे खारिज कर दिये जायेंगे जिससे कि बड़ी अव्यवस्था सी होगी । मेरा निवेदन यह था कि जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के चुनाव में रिटर्निंग आफिसर स्वयं ही नामिनेशन पेपर भर देते थे और टाउन एरिया, विधान सभा और लोक सभा के चुनावों में इस बात की व्यवस्था की गयी थी कि नामजदगी के पर्चे भरे जायं, लेकिन टेक्निकल ग्रांउड पर वापस कर दिये जायं उनको दुरुस्त करने के लिए उसी तरह से यहां भी यह व्यवस्था कर दी जाय कि जो लोग चुनाव कराने जायेंगे उनके पर्चे रिटर्निंग आफिसर्स भर देंगे और वही सही माने जायेंगे । क्योंकि जितने उम्मीदवार टाउन एरिया, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, विधान सभा और लोक सभा में कुल मिला कर होंगे उनसे कई गुना ज्यादा नामजदगी के पर्चे गांव सभाओं के चुनावों में आयेंगे ।

दूसरा संशोधन यह है कि अगर इम्प्रापर एक्सेपटेंस और रिजेक्शन के आधार पर तीन दिन के भीतर कोई शख्स पिटीशन दायर करता है तो जिस एलेक्शन से वह पिटीशन सम्बन्धित हो उसे रोक दिया जाय और उस मामले के निर्णय के बाद ही एलेक्शन कराया जाय । पता नहीं कितनी कांस्टीट्यूएंसी होंगी या इसकी संभावना है कि पूरी गांव सभा को एक ही जगह इकट्ठा करके पूरा गांव पंचायत का एक ही जगह चुनाव करा लिया जाय। अगर यह व्यवस्था की कि २५ पंच चुनने हैं और उनमें एक भी नामजदगी का पर्चा रद्द कर दिया गया और एलेक्शन दुबारा हुआ तो पूरी पंचायत का एलेक्शन रद्द समझा जायगा और दुबारा एलेक्शन कराना पड़ेगा। अगर छोटे-छोटे क्षेत्र बना कर गांव सभाओं का चुनाव कराया गया और तीन उम्मीदवार हैं और तीन सीट्स हैं और अगर एक का भी नामजदगी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

का पर्चा रद्द हो गया और इलेक्शन न रोका गया तो बाद में वह चुनाव फिर तीनों जगहों का कराना होगा। इसलिये मेरा दूसरा संशोधन भी उचित मालूम होता है और उसमें कोई दिक्कत नहीं मालूम होती। मैं समझता हूं कि मेरे कल और आज के भाषणों का अर्थ माननीय मंत्री जी ने अच्छी तरह से समझ लिया होगा और मुझे उम्मीद है कि वह मेरा पहला नहीं तो दूसरा संशोधन अवश्य मान लेंगे।

*स्वशासन मंत्री (श्री मोहनलाल गौतम)---माननीय अध्यक्ष महोदय, जो व्यवस्था म्युनिसिपल बोर्ड के इलेक्शन्स में की गई थी कि रिटर्निंग आफिसर्स स्वयं पर्चे को देख लें और अगर कोई गलती रह गई हो तो उसे दुरुस्त कर लें, वही ठीक इसमें भी मालूम होती है इतना कहना मुनासिब न होगा कि उस तरीके ने बहुत अच्छा नतीजा दिखाया और बहुत थोड़े पर्चे गलत तरीके से खारिज हुये या गलत तरीके से मंजूर हुये। इसलिये, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि इस प्रदेश में म्युनिसिपल बोर्ड्स के इलेक्शन्स में जिस प्रकार से असेम्बली और पार्लियामेंट के एलेक्शन में गलत तरीके से पर्चे मंजूर होने या नामंजूर होने से जितने इलेक्शन पिटीशंस हुये और जितनी परेशानी हुई वह म्युनिसिपल बोर्ड्स के इलेक्शंस में नहीं हुई। ऐसा मेरा ख्याल है। अगर इससे काम चल जाय तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह कह सकता हूं कि इस तरह की हिदायत फिर भी जानी चाहिये। मैं इतना निवेदन और कर दूं कि शायद यह भी नामुनासिब न हो कि अगर इस तरह से प्रपोजल प्रपोज करने वाले के सेकेन्ड करने वाले न हों तब भी इसकी कोई जरूरत नहीं है। जो खड़ा होना चाहे वह खड़ा हो जाय और बाकी वोटर उसको सेकेन्ड कर दें यह हो या न हो इसमें कोई गुंजाइश प्रपोजल को सही होने की हो या न हो और उसका सेकेन्ड करने वाले भी सही हो या न हों। लेकिन यह प्राविजो इसका इसलिये किया जा रहा है कि इतना होते हुये भी ऐसा हो सकता है कि चाहे वह २-४ मामले ही हों कि किसी का सही पर्चा खारिज हो और सही खारिज हुआ और गलत मंजूर हो गया। मैं इस पर अपनी राय जाहिर नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे सामने यह समस्या है कि एक जगह पर शिड्यूल कास्ट की रिजर्व सीट पर एक मुसलमान एलेक्ट हो गया। अब प्रश्न यह है कि वह आ सकता है या नहीं मुमकिन है कि ऐसे २-४ ही केसेज हों, लेकिन फिर भी हो सकता है कि उसके लिये ला में प्राविजन तो होना ही चाहिये। एक दफा इलेक्शन डिक्लेयर हो जाय तो उसके लिये दो ही तरीके हैं। या तो उसको एक्जिक्यूटिव अधिकार से रिमूव कर दें या उसका एलेक्शन पिटीशन के जरिये करायें। एलेक्शन में जो कुछ भी गलती हों वह पीटीशन के जरिये ही दुरुस्त हों यह सही तरीका है। अगर यह इसमें से निकाल दिया जायगा तो राम नारायण जी यह कहेंगे कि रिटर्निंग अफसर जो चाहेगा करेगा और जिसको चाहेगा उसको खारिज कर देगा और इसके बाद बड़ी मुसीबत हो जायगी। तो मैं यह समझता हूं कि इसमें तो उनका भी फायदा है और सबका फायदा है कि खामख्वाह रिटर्निंग अफसर नामजदगी को गलत तरीके से खारिज कर दे तो तब यह एलेक्शन पिटीशन के जरिये फैसले का प्राविजन होना चाहिये।

अगर ३ दिन की बात रखी जाय कि इस तीन दिन के अन्दर हो जाय तो तीन दिन के अन्दर मुमकिन है न हो पाये। एलेक्शन पीटिशन के बजाय बहुत झंझट बढ़ जायगा। बड़े इलेक्शन का इन्तजाम होना आसान होता है, लेकिन इसमें दिक्कत बढ़ जायगी और अगर यह प्रैक्टिकल न हुआ तो बाद में इस तरह की हिदायत दे सकते हैं और इसके लिये रूल्स में प्राविजन करने में मुझे आपत्ति नहीं है। इलेक्शन में जितनी भी सहूलियत हों, ईमानदारी और सही तरीके से फेयर एलेक्शन करने की मेरी हमेशा कोशिश रहती है। इन शब्दों के साथ मैं यह आशा करता हूं कि राम नारायण जी इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री रामनारायण त्रिपाठी---माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो बात कही और जो आश्वासन दिया और इसके संबंध में यह मसला उनके विचाराधीन है तो मैं

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामनारायण त्रिपाठी]

इस बात की संभावना देखते हुये कि शायद नियमों में व्यवस्था करते समय इस बात पर वह गौर करेंगे और इस प्रकार की व्यवस्था जैसी हम चाहते हैं वह कर देंगे, इसलिये मैं इस संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कुवंर कृष्ण वर्मा (जिला सुल्तानपुर)---मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12 c की उपधारा (2) A की पंक्ति १ में से अंक (1) हटाकर पंक्ति ३ में शब्द "gratification" के बाद रख दिया जाय और भाग (b) की पंक्ति २ में शब्द "as a reward to" अपने स्थान पर से हट.कर उसके नीचे क्लाज (२) के रूप में कायम किये जांय और 12 c (1) (b) (ii) के बाद नया उप-खंड (iii) "by wrong counting or recording of votes" शब्द रखकर बढ़ा दिया जाय। अगर मेरा संशोधन स्वीकार हो जाता है तो १२-सी की उपधारा (१) में जो दिया हुआ है कि किन-किन बातों पर इलेक्शन पैटीशन दायर होगा उसमें (१) (बी) में जो (ii) है उसके नीचे मैं यह बढ़ाना चाहता हूं कि "(iii) by wrong counting or recording of votes" पिछले एलेक्शन में यह देखा गया था कि हाथ उठाकर जो चुनाव होता है उसमें अकसर कर्मचारी या तो गलती करते हैं किसी भूल में या बहुत से कर्मचारी अगर मिला लिये जाते हैं तो वह गलती जानबूझकर कर देते हैं हालांकि एक तरफ बहुमत है, ज्यादा हाथ उठे हैं, लेकिन वे जानबूझ कर उसे कम दिखा देते हैं। तो या तो वैसे ही उससे गलती हुई या जानबूझ कर उन्होंने ज्यादा को कम लिख दिया। इसके लिये कोई बात इसमें नहीं रखी गई थी कि इसकी क्या दवा है। इसके ऊपर इलेक्शन पैटीशन आ सकता है या नहीं, या उसके लिये क्या इलाज है? असलियत यह है कि इस बात पर बहुत ज्यादा असंतोष गांवों में है कि हाथ उठाकर वोट में बेईमानी होती है जिसका कोई इलाज नहीं रखा गया है। इसी वजह से बहुत से माननीय सदस्य भी हाथ उठाने के खिलाफ रहे और वे च.हते थे कि बाई बैलट इलेक्शन हो। अगर यदि बैलट से नहीं होता तो बहुत जरूरी है कि ऐसा प्रावीजन इसमें हो ताकि यह बेईमानी दूर हो सके।

दूसरा अंग मेरे संशोधन का क्लाज (२) की परिभाषा पर है।

*श्री अब्दुल मईज खां (जिला बस्ती)---आन ए प्वाइन्ट आफ आर्डर, सर। श्रीमन्, इस संशोधन में २,३ बातें इकट्ठा की गई हैं। खंड (ए) के बाद खंड (बी) में भी संशोधन रखा गया है। लेकिन उसके नीचे आप देखेंगे कि खंड (ए) के सिलसिले में जो संशोधन नीचे आये हैं वे आउट आफ आर्डर हो जायेंगे, दोनों असंगत भी हैं। इस संशोधन की आखिरी जो लाइन है यानी १२-सी (१) बी (ii) के बाद नया खंड (iii) जोड़ने के बारे में है वह एक बिलकुल नया संशोधन है। श्रीमान् जी नियम १७७ के सब-क्लाज (३) (४) के अनुसार जो बाद का संशोधन ५४ ककक पर है वह आउट आफ आर्डर हो जाता है।

श्री अध्यक्ष---यह उचित है। आप अपने संशोधन के उसी भाग को पेश करें जो पहले हिस्से से संबंध रखता है।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा---श्रीमान् मेरा यह आखिरी संशोधन जो धारा १२-सी (१) (बी) (ii) से संबद्ध है उसी को मैं पेश करता हूं यानी इसके बाद नया उपखंड (iii) "by wrong counting and recording of votes" शब्द रखकर बढ़ा दिया जाय।

*श्री मोहनलाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर कहीं रिकार्डिंग आफ वोट्स बैलट पेपर के जरिये से हो तब तो कहीं उसकी लिखा पढ़ी होती है तथा उसकी वैरीफिकेशन भी हो सकती है लेकिन जहां हाथ उठाकर वोटिंग होती है उसकी वैरीफिकेशन नहीं हो सकती

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वहां सही तरीके पर वोट्स का काउन्टिग हुआ है, यह साबित नहीं हो सकता। मान लीजिये किसी आदमी के ७०० के खिलाफ ३ वोट्स ही आये हैं वह भी यह कह सकता है कि गलत तौर पर काउंटिंग हुआ है। इस प्रकार से पैसे वाले गरीब आदमियों को परेशान कर सकते हैं क्योंकि यह साबित ही नहीं हो सकता कि जो गिनती हुई थी वह सही हुई थी या गलत। अतः इससे मुकदमेबाजी बहुत बढ़ जायगी और उससे गरीब आदमियों को परेशानी होगी। मुझे अफसोस है कि मैं इसको स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा--बहरहाल जो खराबी थी उसके लिये मैंने ध्यान आकर्षित कराया है और मैं यह जरूर चाहूंगा कि रूल्स बनाते वक्त यह ध्यान में रखा जाय और मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं --

खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12—C की उपधारा (2) (A) की पंक्ति १ में से अंक '(1)' हटा कर पंक्ति ३ में शब्द "gratification" के बाद रख दिया जाय और भाग (B) की पंक्ति २ में शब्द "as a reward to" अपने स्थान से हटाकर उसके नीचे क्लाज (2) के रूप में कायम किये जायं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सब-क्लाज (२) में एक भाग ए रखा गया है और उसके नीचे एक भाग बी रखा गया है। यह भाग जो ए है उसमें हम यह देखते हैं कि उपभाग (१) तुरन्त ही कायम किया गया है लेकिन भाग ए का उपभाग (२) कहीं पर नजर नहीं आता। इसलिये भाग ए के बाद (१) जो अंक रखा गया है वह कंस्ट्रक्शन के लिहाज से ग़लत रखा हुआ है। वहां पर भाग (१) के माने यह होते हैं कि उप-भाग (२) भी कोई है लेकिन चूंकि भाग ए का कोई उपभाग (२) नहीं है इसलिये यह उपभाग (१) वहां पर रखना अच्छा नहीं मालूम होता है और कंस्ट्रक्शन के लिहाज से नहीं होना चाहिये। हम भाग (स) को पढ़ते हैं--

"(1) Bribery, that is to say, any gift, offer or promise by a candidate or by any other person with the connivance of a candidate of any gratification to any person whomsoever, with the object, directly or indirectly, of inducing-"

अब इनडयूसिंग के नीचे भाग (ए) और (बी) रखे गये हैं। तो अब इनडयूसिंग ही दूसरे भाग को गवर्न करता है। or as a reward to जो भाग (बी) में है वह किससे गवर्न होगा। यह असल में बिल्कुल डिसकनेक्टेड है। यह इनडयूसिंग से गवर्न नहीं हो सकता है। असल में इसका मतलब यह था कि "ग्रेटिफिकेशन ऐज रिवार्डेड टु" यह वहां से कनेक्टेंट होता है इसलिये मैंने यह रखा है। और जो शब्द हैं "एज ए रिवार्ड टु" यह अलग नीचे रख दिए जायं। इस तरह से कांस्ट्रक्शन बदल दिया जाय तो ठीक होगा। इसस यह कनेक्ट हो जायगा अनकनेक्टेड नहीं रहेगा।

श्री मोहनलाल गौतम--मैं अध्यक्ष महोदय, श्री कुंवर कृष्ण वर्मा का ध्यान पीपिल्स रिप्रिजेन्टेशन ऐक्ट की धारा १२३ की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि :

"The following shall be deemed to be corrupt practices for the purposes of this Act : —

(1) Bribery, that is to say, any gift, offer or promise by a candidate or his agent, or by any other person with the connivance of a candidate or his agent,

[श्री मोहन लाल गौतम]

of any gratification to any person whomsoever, with the object, directly or indirectly, of inducing—

(*a*) a person to stand or not to stand as, or to with-draw from being, a candidate at an election; or

(*b*) an elector to vote or refrain from voting at an election or as a reward to—

(i) a person for having so stood or not stood, or for having with-drawn his candidature; or

(ii) an elector for having voted or refrained from voting."

इस तरह से हमने वहां से वैसे ही इसे रखने की कोशिश की है और जैसा वह चाहते हैं वह उससे भिन्न हो जायगा। इसलिये इस बहस में जाने की जरूरत नहीं है कि वह गलत है या सही। मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि पीपिल्स रिप्रिजेन्टेशन ऐक्ट से इसको हूबहू रख दिया गया है ताकि आसानी रहे। इसलिये आशा है कि श्री कुंवर कृष्ण जी अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—मैं इसे वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-c की उपधारा (2) के खंड (A) (1) के भाग (b) के उपभाग (1) की पंक्ति १ में शब्द "from" के स्थान पर शब्द" for" रख दिया जाय तथा पंक्ति ३ में शब्द "Candidatures" के स्थान पर शब्द "Candidature" रखा जाय।

मैं समझता हूं कि "from" शब्द ठीक नहीं बैठता है अगर वहां "for" कर दिया जाय तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष—वह तो जो पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में है उसी के अनुसार होगा।

श्री कुंवर कृष्ण वर्मा—"फ्राम" के स्थान पर "फार" होना चाहिये और "कैंडीडेचर्स" के स्थान पर "कैंडीडेचर" होना चाहिये क्योंकि ये दोनों ग्रेमेटिकली भी रांग हैं।

श्री मोहनलाल गौतम—यह तो आप स्वयं ही कर देंगे आपको ही इसका अधिकार है।

श्री अध्यक्ष—क्या पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट में कैंडीडेचर है?

श्री मोहनलाल गौतम—उसमें तो "कैंडीडेचर" है।

श्री अध्यक्ष—वह ठीक कर दिया जायगा। कोई बात नहीं है। उसे पेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

*श्री जोरावर वर्मा (जिला हमीरपुर)--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करना चाहता हूं।

खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12-C की उपधारा (2) के भाग (b) के प्रोवाइजो के भाग (ii) को निकाल दिया जाय।

यह भाग (ii) इस प्रकार हैः

"(ii) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure, shall be deemed to interfere with the free exercise of the electoral right of such candidate or elector within the meaning of this clause."

अध्यक्ष महोदय, यह सेक्शन म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या असेम्बलियों के जितने एलेक्शंस हैं उनमें कहीं भी इस प्रकार की कोई धारा नहीं है और मैं समझता हूं कि इसकी आवश्यकता नहीं है। यह धारा हमको हमारे समाज को बाबा आदम के जमाने की ओर ले जाती है। इस धारा को हम रख कर यह साबित कर रहे हैं कि हमारा समाज अब भी १०वीं शताब्दी में है। इस बीसवीं शताब्दी में अगर कोई महन्त गंडा दे देंगे या पंडित जी पूजापाठ कर देंगे या मौलवी साहब फतवा पढ़ देंगे तो मैं समझता हूं कि इससे एलेक्टोरेट को कोई खास बात नहीं होने जा रही है और इसे यदि रख भी दिया जाय तो उससे जो सफल कैंडीडेट होंगे उनको अलग करने के लिये एक अच्छा बहाना होगा। वह भी कहेंगे कि पंडित जी उसे श्राप दे देंगे लिहाजा वह उनके खिलाफ कोई पेटीशन न करे तो मैं समझता हूं कि इस प्रकार की चीज रखना अधिक अच्छा नहीं लगता। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि यदि वे इसे स्वीकार कर लें तो अधिक अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह और जगह चाहे हो या न हो लेकिन यहां पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन ऐक्ट के दूसरे भाग का जो प्रोवाइजो है उसका दूसरा भाग इस प्रकार है :

"(ii) induces or attempts to induce a candidate or an elector to believe that he, or any person in whom he is interested, will be come or will be rendered an object of divine displeasure or spiritual censure."

तो जो आइडिया उसमें है वही इसमें रख दिया गया है। ऐसा विचार है और अच्छा होगा कि एलेक्शन पेटीशन्स का जो प्रोसीजर है उसको सब को एक ही लाइन्स पर रख दिया जाय और एक ही तरह की व्यवस्था हो जाय इसलिये रख दिया है। मुझे आशा है कि जोरावर सिंह जी इसे वापस ले लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा--मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री जोरावर वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-G की उपधारा (5) की पंक्ति ३ में से शब्द "Summary" निकाल दिया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

अध्यक्ष महोदय, मूल धारा इस प्रकार से है :

"Without prejudice to the generality of the powers to be prescribed under sub-section (4) the rules may provide for the summary hearing and disposal of an application under sub-section (1)."

अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने अभी कहा कि पेटिशन्स के सम्बन्ध में सबूत मिलना बहुत मुश्किल है और अगर समरी शब्द भी यहां पर रख दें तो क्या उससे न्याय होगा, यह सभी माननीय सदस्य समझ सकते हैं। माननीय सदस्यों को याद होगा कि पहले अंग्रेजी जमाने में जब सत्याग्रह चल रहे थे तो जेलों में ही समरी हियरिंग हुआ करती थी, बिना किसी बात को जाने हुये और बिना फैक्ट्स के। उसमें कभी तीन महीने की सजा हो जाती थी, कभी ५ महीने की सजा हो जाती थी। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि अगर समरी शब्द इसमें से निकाल दिया जाय तो अधिक अच्छा होगा ताकि पेटीशन्स में लोगों को, जो बातें हों, जो फैक्ट्स हों, उनको सामने रखने का मौका मिले और उससे सच्चा न्याय हो सके। मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

*स्वशासन मंत्री के सभा सचिव (श्री कृपाशंकर)––इसमें जानबूझ कर समरी रक्खा गया है ताकि इसमें बहुत बड़े कानूनी दांव पेंच न हो सकें बल्कि आसानी से समरी ट्रायल करके उसका फैसला कर दिया जाय। यह तो आसानी के लिहाज से ही रखा गया है क्योंकि ट्रिब्यूनल्स में जो होता है उसका बड़ा लम्बा प्रोसीजर चलता है इसलिये उसमें बड़ी दिक्कत हो जायगी। इसलिये समरी लफ्ज का होना बहुत ही जरूरी है इस वास्ते मैं समझता हूं कि माननीय जोरावर वर्मा जी इसको वापस ले लेंगे।

*श्री जोरावर वर्मा––अध्यक्ष महोदय, माननीय सभा सचिव जी ने जो बताया कि इसमें समरी शब्द इन्टेंसली रक्खा गया है और इसे निकाल देने से कुछ मामला बढ़ जायगा, मेरी समझ में ऐसा नहीं है क्योंकि समरी हियरिंग में न्याय नहीं होता है, यह सभी लोग जानते हैं फिर भी अगर उनका ऐसा विचार है तो मैं जानता हूं कि अगर इसे वापस न लूं तो यह पास होगा ही नहीं। इसलिये मेरे लिये यही अच्छा है कि मैं इसको वापस ले लूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २० मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविन्द पन्त, की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

*श्री जोरावर वर्मा––उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करना चाहता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-G की अन्तिम पंक्ति में शब्द 'State' के बाद 'fullstop' लगा दिया जाय और उसके बाद के शब्द "or in any specified area thereof" निकाल दिये जायं। उपाध्यक्ष महोदय, उसी के साथ साथ मेरा यह दूसरा संशोधन है कि अगर आपकी आज्ञा हो तो साथ–साथ पेश कर दूं––

श्री उपाध्यक्ष––ठीक है।

श्री जोरावर वर्मा––उपाध्यक्ष महोदय, यह 12-G इस प्रकार है ––

"12-G. Notwithstanding anything contained in sections 11-A,11-B, sub-section (3) of section 12 and section 45 the State Government may at any time order a general election of Presidents of Gaon Sabhas and members of Gaon Panchayats including panches of Nyaya Panchyats in the whole state or in any specified area thereof".

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दूसरा संशोधन यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित नई धारा 12-G के अन्त में 'fullstop' हटा कर निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं--

"in extraordinary circumstances only."

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन है कि इसमें स्टेट जो शब्द है उसके बाद फुलस्टाप लगा दिया जाय और "in any case specified area there of" निकाल दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि कोई भी जो ला हो वह पूरे प्रान्त, पूरे सूबे के लिये एक सां हो। लेकिन इस ऐक्ट से जो व्यवस्था रखी जा रही है कि किसी भी एरिया, किसी जगह पर जब सरकार की इच्छा हो तो उस एरिया की पंचायतों को डिजाल्व कर दिया जाय। मालूम पड़ता है कि कुछ सरकार को इसमें पता नहीं क्या गुंजाइश है। इस सम्बन्ध में जो यह क्लाज है वह बड़ा असंगत सा लगता है क्योंकि किसी एरिया का क्या मतलब है। कहीं कोई पार्टी हार गई या किसी विशेष व्यक्ति जो प्रभावशाली हो उसका असर हो गया तब उस एरिया का इलेक्शन कैन्सिल कर दिया जाय तो उसका असर दूसरी जगह पर पड़ेगा। तो मेरा दूसरा संशोधन इसकी जगह पर यह है कि अगर माननीय मंत्री जी को संशोधन रखना ही है तो "or in any specified area there of" निकाल दिया जाय और उसके स्थान पर "in extraorninary circumstances only." जोड़ दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, प्रान्त में अगर कोई ऐसी परिस्थिति आ जाये कि पंचायतों को डिजाल्व करने की आवश्यकता हो तो ऐसी परिस्थिति में तो यह कहा जा सकता है कि पंचायतें डिजाल्व कर देना किसी हद तक ठीक है, लेकिन बिना किसी स्पेशल परिस्थिति के जब जी चाहे सरकार का तब पंचायतों को डिजाल्व कर दिया जाय, यह मैं समझता हूं राज्य के लिये उचित नहीं जंचता। इसलिये मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि जो मेरे दो संशोधन हैं अगर वे उनको उचित समझें तो इनको मान लें, इससे यह क्लाज़ सार्थक हो जाता है।

*श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दो संशोधन माननीय जोरावर वर्मा ने पेश किये हैं उनमें एक तो यह है कि or in any specified area there of निकाल दिया जाय। इसका अर्थ यह होगा कि पूरे स्टेट में अगर ६५ हजार गांव सभायें हैं तो उसमें से एक भी कम न हों और अगर एक भी कम हो तो वह इस कानून के खिलाफ हो जायगा। यह इसमें इसलिये रखा गया है कि अगर किसी जिले में परिस्थिति ऐसी हो, जैसे पहाड़ के जिलों की अवस्था अलग है, अगर वहां न रखना चाहें तो ऐसा कर सकें। इसलिये इस दृष्टिकोण से कानून बनाने में इस तरह की कंटिंजेन्सी को बग़ैर देखे हुये कानून अधूरा रह जायगा।

उनका जो दूसरा संशोधन है कि "in extraordinary circumstances only." जोड़ दिया जाय, मैं समझता हूं कि कोई भी गवर्नमेंट अगर जनरल इलेक्शन्स आर्डर करती है और कहती है कि जो मियाद थी ५ साल की उससे पहले दोबारा इलेक्शन हों तो एक्सट्राआर्डिनरी सर्कम्स्टांसेज तो होने ही चाहिये। अब एक्स्ट्राआर्डिनरी सर्कम्स्टांसेज रख देने से इसकी कोई डेफिनीशन तो है नहीं इसलिये उसकी जज भी गवर्नमेंट ही होगी कि एक्सट्राआर्डिनरी सर्कम्स्टांसेज हैं या नहीं। इसलिये इसके रखने का कोई जस्टिफिकेशन तो है नहीं। लिहाजा यह दोनों संशोधन मुझे स्वीकार नहीं हैं लेकिन जहां तक उनकी स्पिरिट का ताल्लुक है उससे मुझे कोई खास मतभेद नहीं है।

---

*वक्ता ने भाषण का पनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय (जिला आजमगढ़)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो दोनों संशोधन माननीय जोरावर वर्मा ने उपस्थित किये हैं उनका मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। अब तक की चुनाव की पद्धति जो हमारे प्रदेश ही में नहीं सारे भारतवर्ष में और दुनिया में है वह यही है कि किसी भी पंचायत का, किसी भी संगठन का चुनाव इतने दिनों पर हो। लेकिन अफसोस है कि पिछले पंचायत राज ऐक्ट में इस तरह की धारा रहते हुये भी कि चार साल के बाद, तीन साल के बाद पंचायतों का चुनाव होग वह धारा निकाल कर और निकाल कर ही नहीं बल्कि संशोधन करके ऐसी धारा रखी जा रही है, जिससे मैं समझता हूं कि जनता की भावना का समर्थन नहीं होगा। उपाध्यक्ष महोदय, यह मानी हुई बात है कि सरकार के दिल में जब अस्थिरता आती है, उसके पैर के नीचे से जमीन निकलने लगती है तभी इस तरह की बातें सोचने के लिये वह उतारू हो जाया करती है और यह धारा ही यह साबित करती है कि सरकार का दिल इस तरह का है कि वह तैयार नहीं है एक साल, दो साल, पांच साल या जितना समय सरकार निर्धारित करे उसमें गांव पंचायत के पंच, सरपंच और सदस्य स्थिर होकर अपने गांव के बारे में कुछ निर्माण कार्य ऊंचा या नीचा, जो भी करना चाहते हों . . . . . .

श्री मोहन लाल गौतम--प्वाइन्ट आफ आर्डर सर, मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्य को यह अंदाज नहीं है कि इस वक्त टाइप आफ पंचायत का डिस्कशन या कितने दिनों तक पंचायतों को बढ़ाते चले जायं, यह सवाल पेश नहीं है। जो अमेंडमेंट है उसी पर यदि माननीय सदस्य बोलें तो ठीक है।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--उपाध्यक्ष महोदय, इसमें यह है कि जब चाहे तब सरकार चुनाव करा सकती है, इसके माने यह हो जाते हैं कि सरकार की मनोवृत्ति जिस पंचायत या जिले के लिये यह होगी कि सारी पंचायतें या कुछ पंचायतें ऐसी हैं जो ठीक काम नहीं करती हैं तो उनका चुनाव हो सकता है। मैं समझता हूं कि यही मतलब माननीय जोरावर वर्मा के संशोधन का था और यही हमारे कहने का मतलब है।

श्री मोहन लाल गौतम--उनका संशोधन यह नहीं है, जो आप कह रहे हैं।

श्री राम सुन्दर पाण्डेय--उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि जो मैं कह रहा था वह ठीक है और सरकार को इस तरह की भावना नहीं रखनी चाहिये कि जब चाहे तब चुनाव करायें। इस धारा के संशोधन के माने यह हो जायेंगे कि कोई भी पंचायत या सरपंच अपनी जनता की निगाह में अगर ईमानदारी से काम करता होगा तब भी उसका कार्यकाल खतरे में ही रहेगा। मैं समझता हूं कि यह लोकतंत्र के विपरीत बात है और सरकार के दिल में यह भावना भी लोकतंत्र के खिलाफ इसलिये है कि छोटी छोटी बातों को लेकर सरकार चुनाव कराया करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात तो यह है कि अब तक इस सदन में इस पंचायत राज विधेयक के संबंध में जो भाषण हुये हैं और संशोधित विधेयक स्वीकार किया जा रहा है उसके देखने से पता चलता है कि सरकार ऐसे लोगों के इशारे पर काम करेगी जो पंचायत राज के सिद्धांत के विपरीत होंगे और मैं समझता हूं कि आगे चलकर ऐसे लोग जो पंचायतों में किसी तरह से आजायेंगे और ईमानदार होंगे इस प्रकार के बार-बार के चुनाव के कारण परेशान होंगे और पंचायतों के महत्वपूर्ण काम में शामिल नहीं हो सकेंगे। मैं समझता हूं कि इस धारा को जो माननीय मंत्री जी ने रखी है, निकाल दिया जाय और एक निश्चित समय निश्चित कर दिया जाय कि इतने दिनों के बाद चुनाव होगा। इन शब्दों के साथ मैं श्री जोरावर वर्मा के संशोधन का समर्थन करता हूं।

*श्री जोरावर वर्मा--उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि यह इसलिये रखा गया है कि हमारे प्रांत में जैसे पहाड़ी देश हैं या पंचायत जहां पहले बन गई हैं उनको

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

डिजाल्व करने के लिये इस क्लाज का रखना आवश्यक है। इसलिये मैंने दूसरे क्लाज को रखा था "in extraordinary circumstances" मैं समझता हूं कि यह पहाड़ी परिस्थिति है, अगर जाड़ों में चुनाव हो रहा है तो मैं समझता हूं कि इस क्लाज की पूर्ति हो सकती है और अगर ऐसा नहीं है और जब सरकार चाहे और जब मंत्री जी की इच्छा हो तब गांव पंचायत डिज ल्व कर दी जाय। मैं समझता हूं कि पंचायत राज ऐक्ट और डेमोक्रेसी का यह एक बहुत बड़ा मजाक होगा और उसके कोई अर्थ नहीं रह जायेंगे। आखिर इसकी रचना क्यों की जा रही है, पंचायतें क्यों बनाई जा रही हैं या फिर डेमोक्रेसी क्या है। मैं समझता हूं कि जैसे नवाबी चाल-ढाल या राजा की इच्छा है, जब चाहा तब हुक्म जारी कर दिया इस प्रकार की प्रवृत्ति इस क्लाज में प्रगट होती है, जो डेमोक्रेसी और पंचायत राज के विरुद्ध पड़ती है इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि अगर वह इस क्लाज को स्वीकार कर लें तो अच्छा होगा।

*श्री मोहनलाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पुराने नवाब और राजाओं की तरह निरंकुश होता अगर यह माननीय सदन मेरे ऊपर अंकुश न रख पाता। लेकिन चूंकि सदन का बहुत कुछ अंकुश है और उसी के मातहत मुझे काम करना होता है और इस सदन को अधिकार है कि जब तक चाहे मुझे रहने दे और जब चाहे न रहने दे, इसलिये मेरे पास इतना अधिकार नहीं है जितना कि जोवावर वर्मा जी ने मुझे देने की कोशिश की है। और जितने अधिकार मुझे मिले हैं वह एक तरह से सदन के अधिकार हैं, क्योंकि मेरे कामों पर सदन को छानबीन करने का पूरा अधिकार है। इसलिये उस निरंकुशता को न समझ कर और मेरे अधिकारों को सदन के समझ कर और यह समझ कर कि इस सदन को कानून बदलने का भी अधिकार है, इस चीज पर गौर होना चाहिये। तो यह संशोधन इस प्रकार का है कि जब सारी स्टेट में चुनाव करने हैं, अगर सब में न करना चाहें तो इसका अधिकार वह नहीं देना चाहते। दूसरे माननीय सदस्य तो किसी और ही चीज पर बोल गये। वह नहीं समझे कि माननीय जोरावर वर्मा क्या कहते हैं। वह कहते हैं कि सरकार जब चाहे चुनाव कर दे, लेकिन अगर उसके किसी हिस्से में कराना चाहें तो नहीं कर सकते। वह मुझे पूरा अधिकार देना चाहते हैं चुनाव करने का, लेकिन अगर किसी एक दो जगह को छोड़ कर चुनाव कराना चाहूं तो यह अधिकार मुझे देने के लिये तैयार नहीं हैं। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री उपाध्यक्ष--क्या आप संशोधन को वापस लेना चाहते हैं।

श्री जोरावर वर्मा--जी हां, वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री तेज प्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो क्लाज 12-G है, मैं आपकी आज्ञा से संशोधन पेश कर रहा हूं कि इसे निकाल दिया जाय।

इसको कई बार पढ़ने के बाद मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर यह संशोधन आया क्यों? इस क्लाज के द्वारा हमारी राज्य सरकार यह अधिकार चाहती है कि प्रधानों, उपप्रधानों, ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों के चुनाव जब चाहें करा सकें। चुनाव तो आखिर होगा ही, ऐसी व्यवस्था है और उनका कार्य-काल भी निश्चित कर दिया गया है। लेकिन इस बात को समझने में जरा दिक्कत महसूस होती है कि जब भी चाहे फिर से चुनाव सरकार करा सकती है। ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों के जो पेनल में होंगे उनका चुनाव गांव सभायें करेंगी, फिर कुछ ऐसे प्राविजंस हमारे इस विधेयक में रखे गये हैं कि जब भी चाहें, जब भी अविश्वास हो तो ग्राम पंचायतों के सदस्यों को, न्याय पंचायतों के मेम्बरों को, प्रधानों और उपप्रधानों को निकाला जा सकता है। शायद मैं गलत कह गया। न्याय पंचायतों के बारे में तो प्राविजन नहीं है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री तेजप्रताप सिंह]

मैं चाहता तो यह था कि म इसे स्वीकार कर सकता। गांव पंचायतों और न्याय पंचायतों के सदस्यों, प्रधानों और उपप्रधानों को ग्राम सभायें ही रखती हैं, जिन्होंने गांव पंचायतों का निर्माण किया है, न्याय पंचायतों के लिये चुनाव किये हैं। उनके निकालने का अधिकार ग्राम सभाओं को ही होना चाहिये। यदि वे अविश्वास के काबिल होती हैं, उनका विश्वासपात्र नहीं रह जाता है तो गांव सभा को पूरा अधिकार होना चाहिये कि वह अपनी व्यवस्था स्वयं कर सके और उनको हटा सके। ऐसे प्राविजंस रखे जायं उनके रिमूवल के, उनके पुनः चुनाव के, तब तो एक चीज समझ में आती है कि जो ग्राम पंचायतें हैं और जिस ग्राम राज्य की बात को लेकर यह विधेयक माननीय सदन ने पास किया है और जो शक्ति ग्राम भाइयों को दी है, उन्हीं में वह शक्ति भी रखते कि जब भी न्याय पंचायत उनका विश्वास खो देती तो वह उसको हटा सकते। राज्य सरकार आखिर किस कारण से इस अधिकार को लेना चाहती है, यह हो सकता था कि जब चाहें ग्रामीण लोग या गांव सभायें उनको निकाल दें, ऐसी व्यवस्था उसमें रखी जाती या प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी को ही ऐसी शक्ति दी जाती कि वह किन्ही कारणोंवश अगर चाहे तो उनको रिमूव कर सकती तो वह भी चीज मानी जा सकती थी कि इनमें यह ऐब हैं, इसलिये उनको प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी हटा देती है। लेकिन अमतौर से एक ऐसी जनरल शक्ति लेने का यह क्लाज कुछ समझ में नहीं आता कि इसकी उपयोगिता क्या है। मैं तो पूछना चाहूंगा माननीय मंत्री जी से कि आखिर कौन सी कल्पना है इसके बारे में, इस पर वह प्रकाश डालें। इसकी उपयोगिता पर प्रकाश डालें।

न्याय पंचायतों के पंचों के बारे में रिमूवल का जो मूल अधिनियम में क्लाज था वह हटाया जा रहा है। ऐसा प्रस्ताव है। मेरी समझ में नहीं आया कि आखिर रिमूवल तो होना ही चाहिये, अगर कोई पंच ठीक काम नहीं करता है तो उसको हटाने का अधिकार देना ही चाहिये, चाहे वह प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी हो या गांव सभा हो जिन्होंने भी उनको चुना हो मूल रूप में तो उन्हीं को उसका अधिकार होना चाहिये। मगर उनके अधिकार की बात कहीं आती नहीं। उनके अधिकार की बात होती और प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी द्वारा भी उनके लिये प्राविजन होता तो मुझे कोई ऐसी आपत्ति न होती। वह प्राविजन तो मुझे दिखाई नहीं दिया और यह प्राविजन सामने आ जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट जब चाहे तब हटा सकती है आखिर वह कौन सी काल्पनिक एक्स्ट्राआर्डिनरी सर्कम्स्टांसेज हैं या हो सकती हैं, यह कुछ मेरी समझ में नहीं आता और यदि ऐसी कोई सर्कम्स्टांसेज आती भी हैं जिसकी कि आज कल्पना नहीं की जा सकती तो आखिर यह माननीय सदन है, इसके सामने वह चीज लायी जा सकती है। हर राज्य ऐसे मौके पर कोई न कोई विधेयक लाकर उनका सामना करता है। मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री इस पर प्रकाश डालेंगे कि आखिर इसकी उपयोगिता क्या है और ऐसे रिमूवल आदि के लिये गांव सभाओं को सारी शक्ति देने वाले क्लाज आखिर इस विधेयक में क्यों नहीं रखे गये हैं जिसके द्वारा गांव सभाओं को पूरा अधिकार प्राप्त होता कि जिसको उन्होंने चुना है, अगर वह काम ठीक नहीं कर रहे है तो उनको वह हटा दे अथवा प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी ही कुछ कारणों को देखते हुये गम्भीर आरोपों पर उनको निकाल सके। ऐसी चीजें इसमें नहीं है। गांव पंचायतों के लिये प्रधान और उप प्रधान के लिये और आखिर गांव सभा ही ग्राम पंचायत को भी बनायेंगी, उनके मेम्बरों को चुनेंगी और न्याय पंचायत के लोगों को भी चुनेंगी आंशिक रूप में लेकिन उनको इन्हें हटाने का अधिकार नहीं प्राप्त है। यह बात कुछ समझ में नहीं आती। फिर ग्राम पंचायतें ही तो गांव सभाओं का काम करेंगी, उनके प्रधान को हटाने का जब अधिकार आपने उनको दे दिया है तो फिर इस व्यवस्था को अपने हाथ में क्यों लेना चाहते हैं। मुझे इसकी उपयोगिता नहीं समझ में आती है। इसलिये मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इस पर प्रकाश डालेंगे।

श्री मदन मोहन उपाध्याय---जो संशोधन माननीय तेजप्रताप सिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं, हम उपाध्यक्ष महोदय यह नहीं समझ पाये कि ज॰ चाहे प्रान्तीय सरकार पंचायतों का, किसी विधान में नहीं लिखा हुआ है कि असेम्बलियों का भी चुनाव जब सरकार चाहे तो करवा दे। मैंने भी विधान पढ़ रखा है। एक साल का एक्सटेंशन हो सकता है जब कि कोई लड़ाई हो और डिफेंस के लिये ऐसा करना जरूरी हो। असेम्बली का चुनाव उन दिनों न हो सकता हो तो उस वक्त एक साल की मियाद बढ़ सकती है। यह तो मैं मान सकता हूं। लेकिन जब चाहें, अभी चुनाव हुआ उनके आदमी नहीं छांटे गये और कह दिया कि फलां जगह फिर चुनाव होगा। यह ऐसा अधिकार क्यों लिया जा रहा है मेरी समझ में नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में विश्वास रखने वाली कोई भी पार्टी इस तरह का विचार ही नहीं कर सकती है। एक तरफ तो जब हमने कहा कि तीन साल के लिये आप बुलाइये, आगे उनका टर्म नहीं बढ़ाना चाहिये, उस वक्त माननीय मंत्री जी ने कहा कि तीन साल बहुत कम होते हैं। एक साल उसके जमने में लगता है, एक साल नये चुनाव की तैयारी में लगता है। एक ही साल बचता है काम करने के लिये। आज प्रान्तीय सरकार अपने हाथ में यह अधिकार लेना चाहती है कि अगर उनकी मर्जी के मुताबिक चुनाव नहीं हुआ है तो दोबारा चुनाव करवा सकते हैं। इसमें साफ लिखा है :—

"Notwithstanding anything contained in sections 11-A, 11-B, sub-section (3) of section 12 and section 45 the State Government may at any time order a general election of Pradhans of Gaon Sabhas and members of Gaon Panchayats including Panches of Nyaya Panchayats in the whole State or in any specified area thereof."

हम माननीय मंत्री जी से जानना चाहते थे कि वह हमको बतलाते कि इसका कारण क्या है। वह दो चार मिसालें ही हम को दिखला देते तो हमें तसल्ली हो जाती। लेकिन यह हमारी बदकिस्मती है कि हम लोगों को पहले बोलना पड़ता है और माननीय मंत्री जी बाद को बोलते हैं। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि हमारे और भी साथी बोलने वाले हैं, इसके पहले कि वह बोलें माननीय मंत्री जी कारण स्पष्ट कर दें। नहीं तो फिर यही पूछेंगे कि आखिर यह जो प्राविजन रखा जा रहा है यह क्यों रखा जा रहा है। मैं समझता हूं कि जब तक माननीय मंत्री जी कारणों को नहीं बतलाते उस समय तक इतना बड़ा अधिकार कि पंचों का नये सिरे से चुनाव करवा दें, न्याय पंचायत का नये सिरे से चुनाव करवा दें, मैं समझता हूं कि इतना बड़ा अधिकार देना ठीक नहीं है। इसलिये मैं इसका समर्थन करता हूं कि इसे निकाल दिया जाय।

श्री शिव नारायण (जिला बस्ती)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने विरोधी दल के माननीय सदस्यों की स्पीचेज सुनीं। उन्होंने यह पूछा कि सरकार ने इसको क्यों रखा है। मैं उनको बतलाता हूं कि सरकार ने इसको क्यों रखा। सरकार ने इसलिये रखा है कि किसी गांव पंचायत में तेजप्रताप सिंह जी ने कहा कि मेरी समझ में नहीं आता, मैं उनको समझा रहा हूं जिन हिस्सों में करप्शन है, बददयानती है, नाना प्रकार की शिकायतें आती हैं, इसके लिये सरकार अपने हाथ में अंकुश रखती है, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के हाथ में पूरी शक्ति नहीं देती कि वह जो चाहे करे। गवर्नमेंट ने खुद अपने हाथ में ब्रेक रखा है। अगर किसी गांव में झगड़ा फिसाद हो, दस आदमी एक तरफ हो जायं और पचास आदमी दूसरी तरफ हो जायं इसलिये हमने गांव समाज को वह अधिकार नहीं दिया है बल्कि गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है। प्रेस्क्राइब्ड आथारिटी को भी इसीलिये नहीं रखा है। नाना प्रकार की शिकायतें आती है। रिश्वत का खुला बाजार है। इस बिल के दौरान में माननीय सदस्यों ने कहा उधर से कि जब प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी नामिनेट करेगी तो बड़ी रिश्वतें होंगी। तो रिश्वत चलेगी। इन तमाम ऐबों को बचाने के लिये सरकार ने अपने हाथ में यह ताकत रक्खी है और पंचायतों के हाथ में उसको नहीं छोड़ा। यह चीज बहुत सुन्दर है और मैं समझता हूं कि माननीय मदन मोहन उपाध्याय मेरी बातों को समझ गये होंगे और उम्मीद है कि अब श्री तेज प्रताप सिंह अपना संशोधन वापस ले लेंगे।

*श्री अवधेश प्रताप सिंह (जिला फैजाबाद)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तेज प्रताप सिंह के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमान माननीय मंत्री बुद्धिमान व्यक्ति हैं और उनका सम्बन्ध लोकल बाडीज से बहुत दिनों से है। मैं समझता हूं कि इस वक्त केबिनेट में वही एक ऐसे व्यक्ति होंगे जिनको इस विषय में सबसे अधिक ज्ञान हो सकता है और मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं लेकिन श्रीमन्, मुझे आश्चर्य तो तब होता जब माननीय शिवनारायण जी आगे अग्रसर हुए उनका फर्ज पूरा करने के लिये, इसी तरफ आश्चर्य नहीं हुआ बल्कि उस तरफ भी आश्चर्य होता है। अगर वह कोई उन्नतिशील पद पर जाना चाहते हैं तब तो दूसरी बात है परन्तु जो कुछ उन्होंने कहा मैं ध्यानपूर्वक सुनता रहा और आशा करता था कि इससे कुछ निकलेगा, लेकिन सारांश कुछ भी नहीं निकला और एक 'निस्सार सी बात रही और अंधकार ही बढ़ा।

जहां तक इस संशोधन का सम्बन्ध है मैं यह आशा करता हूं कि ऐसे अधिकार सरकार क्यों अपने हाथों में रखना चाहती है। जैसा कि माननीय शिवनारायण जी ने कहा यह अधिक उत्तम होता कि वह अपने आप पर ही अंकुश रखते और सरकार के लिये प्रयत्न न करते। श्रीमान्, विधान सभा में ही नहीं, हर जगह, संविधान में भी प्रेसीडेंट और गवर्नर को बहुत से अधिकार दिये जाते हैं, लेकिन हर देश में ऐसी चीजों का प्रयोग तभी किया जाता है जब कोई एमरजेंसी हो या कोई नेशनल डिजास्टर फोरसी किया जाता हो। श्रीमान्, जहां तक सरकार का सम्बन्ध है मैं यह समझ रहा हूं कि संभवतः वह कभी इसका प्रयोग भी न करे और प्रयोग करने की नौबत भी आये तो वह भी कुछ स्पेसिफाइड एरियाज में। श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह पढ़ना चाहता हूं---

"Notwithstanding anything contained in sections 11-A, 11-B sub-section (3) of section 12 and section 45 the State Government may at any time order a general election of (President or Vice-President) Pradhan or Up-Pradhan, then that Office shall also be filled as far as may be in the manner laid down in and under section 11-A or section 11-B as the case may be."

मैं यह समझता हूं कि "इन दी होल स्टेट" की नौबत नहीं आयेगी और अगर माननीय मंत्री जी ने इसको न रक्खा होता तो इस पक्ष से इतना विरोध न होता। जहां तक "एनी टाइम" का सम्बन्ध है इसमें भी आपत्ति पैदा होती है। ऐट एनी टाइम के रखने से तो हर तीसरे महीने गांव पंचायतें बदलती रहेंगी और वह हालत हो जायगी जैसे बहुत सी रियासतों में मैनेजर हर तीसरे महीने बदल दिये जाते थे। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान इन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं और आशा करता हूं कि वह इसमें कुछ संशोधन कर देंगे।

*श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी इन्तजार में था कि माननीय स्वशासन मंत्री माननीय तेज प्रताप सिंह जी के उत्तर में कुछ कहेंगे और फिर उनके उत्तर को मैं समझने की कोशिश करता, लेकिन माननीय तेज प्रताप सिंह जी और मदन मोहन जी उपाध्याय के निवेदन के बाद माननीय स्वशासन मंत्री ने कुछ कहने की मेहरबानी नहीं की और न उस तरफ के माननीय सदस्यों ने ही कुछ इस पर रोशनी डालने की कोशिश की। अगर माननीय शिवनारायण जी ने कुछ कहा तो वह ऐसा कहा कि जिसको बहुत ऊंचे लोग ही समझ सकते हैं। मेरी समझ में वह बात नहीं आयी। इसलिये मैं उनसे माफी चाहूंगा। मैं सरकार की इस तरह की

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पावर लेने का विरोधी हूं और मैं समझता हूं कि इस विधेयक में सरकार ने इतनी जगह पर ऐसी पावर ले रखी है कि उसको उतने से सबर करना चाहिये। और अगर सरकार को सबर नहीं है तो फिर इस बेसबरी का नतीजा क्या होगा। दुनियां में जो बेसबर होते हैं उसका नतीजा कुछ अच्छा नहीं होता है। यों तो मैं इस वक्त हजार कहूं लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि माननीय मंत्री जी भी इस विधेयक से पूरी तरह से इत्तफाक नहीं करते हैं। फिर भी सरकार चाहती है कि यह विधेयक पास हो जाय क्योंकि इस विधेयक के पास करने में सरकार अपने को मजबूत होने की उम्मीद करती है। जो माननीय तेज प्रताप सिंह जी ने कहा और माननीय मदन मोहन जी ने कहा उसका कोई उत्तर न देकर केवल यह कह देना कि इस तरह की कानूनी आवश्यकता है यह कुछ तर्कसंगत बात नहीं मालूम होती है।

मैं माननीय स्वशासन मंत्री जी और दूसरे माननीय सदस्यों की सेवा में यह कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में कई जगह उन्होंने इस तरह के अधिकार लिये हैं कि जिसको पाने के बाद उनको सबर करना चाहिये। पहली बात तो यह है कि जो न्याय पंचायत बनेंगी उसके बारे में हम फैसला कर चुके हैं कि वह न्याय पंचायत चुनी हुई नहीं होंगी। वहां पर गांव सभा के जरिये से गांव पंचायतों का चुनाव किया जायगा जिसमें से पांच आदमी न्याय पंचायत में जायेंगे। इस उसूल को हम मान चुके हैं कि उसमें से पांच आदमी की नामजदगी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी द्वारा होगी जो न्याय पंचायत बना दी जायगी। तो हम उनको चुना हुआ नहीं कह सकते। वह नामजद ह। तो गांव पंचायत का एक अंग जो बड़ा महत्वपूर्ण अंग है वह अंग चुना हुआ नहीं होगा। यह निश्चित हो चुका है। इस विधेयक के जरिये से हम इस बात को पास कर चुके हैं। अब दूसरी तरह हम गांव सभा की तरफ देखें। गांव सभा के निर्माण का अंग हम दो दिन पहले इस विधेयक में पास कर चुके हैं। खंड १३ (८) को अगर देखा जाय जिस पर काफी बहस हुयी उसको देखने के बाद यह मालूम होगा कि उसमें भी एक बड़ी पावर सरकार ले रही है। खंड १३ (८) में यह लिखा हुआ है कि –

13-(8) "Where a Gaon Sabha has failed to elect the full number of members prescribed under sub-section (2) it shall be called upon to elect the remaining number of members. but if it again fails to elect the full number of remaining members it shall be lawful for the State Government or such authority as may be prescribed to fill in the seats so remaining vacant by nomination from amongst the members of the Gaon Sabha and any number so nominated shall be deemed to have been duly elected".

नामिनेट किये जायंगे और वह डयूली एलेक्टेड समझे जायंगे और मैं तो इसकी कल्पना नहीं करता था कि कोई गांव ही पूरी सभा नहीं बनायेगा। लेकिन माननीय स्वशासन मंत्री और कुछ दूसरे सदस्यों ने यहां पर कुछ कहा जिससे स्पष्ट हो गया कि उनकी कल्पना यह भी है कि सूबे में कुछ ऐसे गांव भी हो सकते हैं जहां कि पूरा का पूरा गांव पंचायत बनाने के लिये तैयार नहीं होगा तो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी बना देगी। अब माननीय स्वशासन मंत्री जी के कहने के अनुसार अभी केवल ४–५ गांव सभायें ऐसी मिली हैं। परन्तु इस विधेयक के पास होने के बाद सैकड़ों ऐसे गांव निकल सकते हैं। फिर १४ के उपखंड १२ (H) में रिक्त स्थानों की पूर्ति की व्यवस्था है और उसमें भी प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को ही अधिकार है। प्रधान और उप-प्रधान के चुनाव में तो ११-ए और ११-बी के मुताबिक काम होगा।

श्री मोहनलाल गौतम--मैं माननीय गेंदा सिंह जी से प्रार्थना करूंगा कि उसे रिड्राफ्ट करने की कोशिश की है और आगे अमेंडमेंट आया है अगर कुछ कहना हो तो अपना संशोधन दे दें।

श्री गेंदा सिंह--मुझे बड़ी खुशी है कि उस पर कुछ विचार होगा। फिर अगर हम ५० खंड को देखें तो वहां भी कैजुअल वैकेंसी के लिये इसी प्रकार की गुंजाइश है कि उसे प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी ही करे। मेरे कहने की मंशा माननीय मंत्री जी की सेवा में यह है कि लगभग हर जगह नहीं तो बहुत अधिक जगह ऐसी पावर प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के लिये उस विधेयक में सुरक्षित रखी गयी है।

फिर जो चुनावों में गड़बड़ियां होंगी उनका भी फैसला करने का सारा अख्तियार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को ही है। इसमें यह डिबार कर दिया गया है कि कोई चुनाव का मामला, खंड १४ के १२-आई के अनुसार दीवानी अदालत में जाय। फिर इतने अधिक अधिकार लेने के बाद माननीय स्वशासन मंत्री जी से मैं सब्र करने की दरख्वास्त करता हूं और जैसा मैंने पहले ही कहा, यह मैं जानता हूं कि वह इस विधेयक के बहुत से भागों से पूर्णतया सहमत नहीं हैं लेकिन चूंकि सरकार ऐसा चाहती है तो वह भी कर रहे हैं। तो मैं तो यहां तक कहने के लिये मजबूर हूं कि चारों तरफ से जितने भी अधिकार सरकार ले सकती है, उसके लेने में उसने कोई कोताही नहीं की। सरकार ने इस विधेयक को बनाते समय इस बात की पूरी कोशिश रखी है कि कोई अधिकार प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से बच न जावे। जहां देखता हूं वहीं प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी सब कुछ कर सकती है, और दीवानी अदालत में भी उनका फैसला क्वेश्चन नहीं किया जा सकता है। ऐसी व्यवस्था इस विधेयक में रखी गई है। मैं समझता हूं कि यह जनता के हित में बात नहीं है। मैं इस विधेयक के बनानेवालों के दिमाग की तारीफ़ जरूर करता हूं कि उन्होंने आम जनता से अधिकारों को खूब छीना और कम से कम हमारे सामने ऐसा विधेयक आज तक नहीं आया इस एसेम्बली की सदस्यता के जीवन में, इसके कहने में कोई संकोच नहीं, जिसमें इतनी मजबूती के साथ सरकारी अधिकारियों को लादने की चेष्टा की गयी हो। मैं इस समय सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके यह जो खंड है उसे माननीय मंत्री जी पास न करायें और उनको जो अख्तियारात और जगहों पर मिले हैं उन्हीं को काफी समझें। इसमें तो यह भी है, जैसा कि और माननीय सदस्यों ने निवेदन किया, सरकार जिस वक्त चाहे उस उक्त प्रदेश में जनरल एलेक्शन करा दे। सरकार किसी समय अगर ऐसा समझती है कि गांव पंचायत के जनरल इलेक्शन्श होने चाहिये और ऐसी परिस्थिति किसी समय अगर सामने आती है तो सरकार मौजूद है यह विधान सभा मौजूद है, ये दोनों रहेंगे और उनको रहना है, मैं समझता हूं और माननीय स्वशासन मंत्री जी की जिन्दगी में विश्वास करता हूं कि वे भी जिन्दा रहेंगे और मैं भी यहां मौजूद हूंगा, हम सब भी यहां होंगे, अगर उस समय आप इस दफा को लेकर आयेंगे तो उस स्थिति का ज्ञान हमको भी होगा। आज उस समय कहेंगे कि सारे प्रदेश में पंचायतों का चुनाव करा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि उस समय ज्यादा बहस की जरूरत न होगी। और जिस तरह माननीय मंत्री जी हम से यह पास करा लेते हैं कि ३ बरस के चुनाव के बाद ६ वर्ष बाद पंचायतों का चुनाव होगा उसी तरह से यह विधान सभा फिर भी कर सकती है। जैसा कि माननीय मंत्री जी इस समय कह रहे हैं उस वक्त ऐसा ही कह कर चुनाव करा सकते हैं। माननीय स्वशासन मंत्री की नाराजगी की बात रहती तो समझ में आ सकता था, वैसे उनकी नाराजगी से भी कुछ बन बिगड़ सकता है लेकिन मैं इतना ही समझता हूं कि वे पूरी तरह से अपने मतको चलाने में असमर्थ

हैं क्योंकि उनका अपना मत तो १३ आदमियों की कमेटी में व्यक्त हो गया था लेकिन वहाँ जो बात तय की गयी थी उसका उल्टा उनके ऊपर लादा जा रहा है और वे उस बोझे को ढोने के लिये मजबूर हैं। न ढोयें तो जायें कहां। माननीय स्वशासन मंत्री जी चाहते ही रहेंगे उनको ऐसा करना ही पड़ेगा, यह बड़ी बेइंसाफी की बात हो रही है।

माननीय स्वशासन मंत्री जी के ऊपर यह बोझा लादा जायगा और पापग्रहों की ओर से लादा जायगा। कुछ शुभ ग्रहों की ओर से लादा जाता तो हमें हर्ष होता और उसके लक्षण भी शुभ होते लेकिन पापग्रह उनपर वह बोझा लादते रहेंगे और वे उसके लिये मजबूर हो जायेंगे। मैं इससे बिल्कुल नहीं डरता हूं कि पंचायतों में पार्टीबन्दी होगी और उसमें कांग्रेस का बहुमत होगा मैं केवल ईश्वर से इतना ही मनाता हूं कि सच्ची कांग्रेस का बहुमत हो जाय तो उससे देश का कल्याण हो जाएगा लेकिन वह कांग्रेस है कहां? कांग्रेस की सरकार है और वह उन पापग्रहों की है जो कलेक्टर के नाम से मशहूर हैं। जो जनरल इलेक्शन होगा वह इन पापग्रहों के इशारे पर होगा और वह इशारा अच्छा नहीं है। मैं बहुत ही आग्रह पूर्वक और जितनी भी हमारे अन्दर ताकत और बुद्धि है उन सब को खर्च करके कह देना चाहता हूं कि कम से कम इस खंड का पास कराने की तकलीफ माननीय स्वशासन मंत्री जी न उठायें। कैबिनेट को भी मनायें कहीं-कहीं तो अपनी राय को भी प्रिवेल करें उनके ऊपर भी। सब की राय उनके ऊपर प्रिवेल हो जाती है और यह देख कर उनके ऊपर हमें बड़ी दया आती है। पुरानी याद आती है कि हमारे आगे चलने वाली की यह दुर्गति हो रही है कि अपनी राय मना ही नहीं पाते। एक भी राय उनकी नहीं मानी जाती है। मैं कहता हूं कि एक राय भी तो हमारे आगे चलने वाले की मान ली जाय। यह बड़ा भारी अप्रजातांत्रिक है। और राज्यों के भी पंचायत कानून को मैंने पढ़ा है लेकिन जहां तक मैंने इस किताब को पढ़ा है उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि मेरे सूबे के मुकाबिले में इस तरह का कोई सेक्शन मध्य भारत, बिहार, उड़ीसा या बम्बई में नहीं बनाया गया है। उपाध्यक्ष महोदय, हमको कहीं भी नहीं मिला कि किसी राज्य में इस तरह का कोई कानून बनाया गया है।

न्याय पंचायतों के बारे में भी मैं क्या कहूं, उसकी चर्चा छोड़ देता हूं क्योंकि उसकी चर्चा यहां बहुत हो चुकी है। तो जब और कहीं इस तरह का कानून नहीं बनाया गया है तो फिर सिर्फ यू० पी० में ही इस तरह का कानून क्यों बनावें? उत्तर प्रदेश अपने को प्रगतिशील कहता है तो अगर उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार का प्रतिगामी कानून बना और वह भी माननीय स्वशासन मंत्री जी के मंत्रित्व में बना तो मुझे कष्ट होगा और जो हमारे साथ बैठे हुये हैं उन सभी को कष्ट होगा। और मैं अपने दिल की बात कहता हूं कि अगर माननीय स्वशासन मंत्री जी अपने मित्रों को नहीं मना पाये तब यह पास तो हो ही जायगा, लेकिन मैं सोचता हूं कि माननीय मंत्री जी को अपने मित्रों को मनाना चाहिये। अगर सारे सूबे भर में जनरल एलेक्शन हो तो इसका उत्तर माननीय मंत्री जी यही देंगे उपाध्यक्ष महोदय, कि भाई शायद इसकी जरूरत भी न पड़े, क्यों घबड़ाते हो? अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो मैं कहता हूं कि काहे को वक्त खराब किया जाय, फिर जिस वक्त जरूरत पड़ेगी उस वक्त विचार कर लिया जायगा और मेरा विश्वास है कि उस समय भी माननीय स्वशासन मंत्री जी और हम लोग विचार करने की हैसियत में होंगे कि इस सूबे का भला बुरा सोच सकें। मैं इतना ही कह कर दरख्वास्त करता हूं कि माननीय सदन और माननीय मंत्री जी से कि वे कम से कम इस खंड को न पास करायें।

*श्री जोरावर वर्मा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय तेज प्रताप सिंह जी के संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैंने जैसा पहले कहा था कि संशोधन का समर्थन

*वक्ता ने भाषण का वर्ती जे भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री जोरावर वर्मा]

यह धारा बड़ी कम्पलीकेटेड है और यदि मैं यह कहूं कि माननीय मंत्री जी यह धारा जोड़ कर इस पंचायत राज रूपी नवजात शिशु के गले में फांसी लटका रहे हैं तो कोई गलत न होगा। अगर पंचायत राज के गले में यह फांसी लटका दी गयी तो आज जो एलेक्शन हो गया उसको कल ही माननीय मंत्री जी एक ही आर्डर में खतम कर देंगे। तो मैं समझता हूं कि इस तरह का बन्धन, और इस तरह की फांसी पंचायत राज के गले में लटका दी जा रही है। अगर इस फांसी को निकाल दिया जाय तो मैं समझता हूं कि पंचायत राज के साथ में न्याय होगा, डमोक्रेसी के साथ न्याय होगा। इसमें यह भी नहीं बतलाया गया है कि कब माननीय मंत्री जी की कृपा दृष्टि सारे प्रान्त या उसके किसी एक भाग के ऊपर होगी जब वे ग्राम पंचायतों को डिजाल्व कर देंगे। पता नहीं कि उनको क्या शक हो गया है। कुछ मेरी समझ में नहीं आता कि कुछ सिंहासन थोड़ा बहुत डोलने लगा है या कुछ ऐसे आसार नजर आने लगे हैं जिसकी वजह से माननीय मंत्री जी ऐसा कर रहे हैं। उनके पहले के माननीय मंत्री खेर जी द्वारा इस ऐक्ट में बहुत कुछ सुधार की कोशिश की गयी है फिर क्यों यह फांसी लटकायी जा रही है जिससे उस ऐक्ट के अस्तित्व को और जो उसकी स्थिति है उसको खतरे में डाल रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, अगर इस एक्ट में कम से कम इतना लिखा होता कि ऐसा हो सकता है "रीजंस टु बी स्पेसिफाइड" कम से कम कुछ रीजन दिया गया होता, कुछ कारण बतलाया गया होता कि इस परिस्थिति में इतने समय में हम ऐसा कर सकते हैं तो सम्भवतः यह धारा जस्टीफाइड होती। लेकिन किसी भी प्रकार की कोई भी बात इसमें ऐसी नहीं है जिससे माननीय मंत्री जी इस पर जिद कर रहे हैं सिर्फ इसलिये कि उनके साथ मेजारिटी है, बहुमत है और उससे वह इसको पास करा सकते हैं इसके अलावा मैं समझता हूं कि इसमें कोई जस्टीफिकेशन नहीं है। मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर फिर से विचार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैंने इसीलिये जो संशोधन थे वह वाया मीडिया था। माननीय मंत्री जी ने सम्भवतः उनको समझा नहीं। मैंने कहा था कि अन्त में फुलस्टाप लगाया जाय और उसके बाद इन एक्स्ट्राआर्डिनरी सरकमस्टांसेज तो अधिक अच्छा होगा। पता नहीं कि उन्होंने किस ढंग से उसको इंटरप्रेट किया और उसका अर्थ उलटा लगाया। मैं समझता हूं कि इस धारा को इस ऐक्ट में से निकाल लें तो अधिक अच्छा होगा।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अब तक के भाषणों को सुनने के बाद मैं यह नहीं समझ सका कि इस खंड के इस पंचायत राज्य अमेंडिंग बिल में रखे जाने की क्या जरूरत थी। कौन सी ऐसी विशेष परिस्थिति आज हमारे देश में या हमारे प्रदेश में है जिससे इस कानून में इस चीज को रखने की जरूरत पड़ी कि किसी समय भी पांच वर्ष के अन्दर सरकार अगर चाहे तो पूरे प्रदेश में या उसके किसी भाग में चुनाव करा सकती है। सोचने से यह मालूम होता है कि इस सरकार की सारी चेष्टा एक तरफ को जा रही है कि मौजूदा सामाजिक व्यवस्था और उसकी समर्थक मौजूदा सरकार इन दोनों को स्थायी बनाया जाय। किसी आंधी तूफान से बचने की तमाम रक्षापंक्तियां यह सरकार अपने चारों ओर खड़ा कर रही है और उसी दशा में यह भी एक प्रयत्न है। इस विधेयक में से कम्पलसरी लेबर को निकाल कर जो थोड़ा अच्छा काम किया गया था उसको न्याय पंचायतों के सदस्यों को नाम्जदगी का प्रस्ताव रख कर तथा उसी के साथ-साथ पूरे प्रदेश में या प्रदेश के किसी जिले में या किसी जिले के किसी हिस्से में अगर सरकार समझती है कि एक स्थान की पंचायतें उनके विरोधियों के हाथों में है या वह सरकार के गलत कदमों का या गलत आदेशों का जो दिये जा रहे हैं, पालन नहीं करती है, तो उनका नया चुनाव कराने की व्यवस्था करके उसको खत्म किया जा रहा है।

श्रीमन्, सरकार के पास जिलों से या प्रान्त के किसी हिस्से से जो खबरें आती हैं उनमें से आम तौर पर उन्हीं पर विश्वास किया जाता है जो जिला अधिकारियों की होती हैं, जिला कलेक्टरों की होती हैं और जिला कलेक्टर तो मैं समझता हूं कि छोटे हिटलर बनाये जा रहे हैं, एक्यावन जिले में एक हिटलर ने दुनिया में क्या किया इसका इतिहास साक्षी है लेकिन यह सरकार ५१ लिटिल हिटलर्स हमारे सूबे में बना रही है और इस सरकार ने उन छोटे हिटलरों को जितने अधिकार दिये हैं और आगे भी जितने अधिकार देना चाहती है और दिये जा रही है, मैं समझता हूं कि उसका परिणाम इस सरकार के लिये भी घातक होगा उन्हीं की रिपोर्टों पर मुनहसिर कर के उन्हीं से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह सरकार प्रदेश के किसी भी भाग में चुनाव कराने का विचार रखती है। मैं समझता हूं कि इस धारा के स्वीकार हो जाने के बाद तमाम वह प्रगतिशील तत्त्व जो इस ऐक्ट में पहले से थे काफी हद तक खत्म हो जायंगे और इस बिल के बनाने वाले महाशयों ने बहुत सोच समझ कर के बहुत अच्छी तरह से विचार करके तमाम उन चीजों को जो पिछले ऐक्ट में अच्छी थीं जिनसे कि जनता को अपनी मनोभावनाओं को प्रकट करने का मौका मिलता था छोटे-छोटे घटकों में सत्ता को प्राप्त करने का अवसर मिलता था उनको खत्म करके सारी ताकतों को सेंट्रलाइज करने और केन्द्रीयकरण करने की कोशिश की गई है। एक हाथ से चीज देकर दूसरे हाथ से लेने की चेष्टा दिखलाई पड़ती है। सम्पूर्ण विधेयक में शब्दों की और खंडों की कमी नहीं है लेकिन इस तरह की क्लासेज जोड़ कर जो चीजें एक जगह दी जाती हैं वह दूसरी जगह छीन ली जाती हैं यही प्रक्रिया पूरे विधेयक में दिखाई पड़ती है। मैं आप के द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार ने यह तय कर लिया है कि इस बिल को उसी रूप में पास करना है जिस रूप में यह सरकार द्वारा बनाया गया है तब तो सारी बहस बेकार है लेकिन अगर विरोधी लोग कोई अच्छा सुझाव देते हैं उसको मानने की उदारता अगर सरकार में हो तो उन की बातों की ओर भी सरकार को जरूर ध्यान देना चाहिये और गौर करना चाहिये और खासकर मंत्री महोदय को जो किसी जमाने में समाजवादी विचार के रहे हैं, उन के मंत्रिकाल में ऐसा विधेयक पेश हो और उस में ऐसी प्रतिक्रियावादी या रीएक्शनरी धारायें जोड़ी जायं और ऐसा अवसर दिया जाय, यह देखकर मुझे अफसोस होता है। अन्त में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर ऐसे कानून बनते रहेंगे और इस तरह की धारायें और कानून अगर जनता के ऊपर लादे जायेंगे तो जनता को मौजूदा शासन में जो थोड़े बहुत अधिकार मिले हैं या कुछ आजादी मिली है उसका भी अपहरण हो जायगा अगर इस तरह से बैकडोर से अधिकार छीने जायेंगे। इन शब्दों के साथ में मंत्री महोदय से अपील करूंगा कि वह ठंडे दिल से गौर करें और इस धारा को निकालने की कोशिश करें

श्री रामलखन मिश्र (जिला बस्ती)---मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रश्न उपस्थित किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---अभी श्री बालेन्दुशाह को समय देने के बाद, मैं प्रश्न उपस्थित करने की बात को देखूंगा।

*महाराजकुमार बालेन्दुशाह (जिला टेहरी गढ़वाल)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि बावजूद बहुमत दल के सदस्यों की चेष्टा के कि इस महत्वपूर्ण बिल के महत्व को न समझकर बार बार क्लोजर मूव करने के भी और उस के महत्व को और गम्भीरता को घटाने की कोशिश के भी मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिये मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूं। मैं प्रस्तुत संशोधन का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस संबंध में बहुत बहस हो चुकी है और कोई नया तर्क इस के समर्थन में देना संभव नहीं है। फिर भी मैं

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[महाराज कमार बालेन्दुशाह]

आपके द्वारा माननीय मंत्री जी को और बहुमत दल के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि इस धारा के द्वारा जो मंत्री जी अपने हाथ में अधिकार रखना चाहते हैं कि जब कभी वह चाहें, बिना किसी कारण दिये हुये दोबारा चुनाव करा सकते हैं। यह एक बहुत ही कन्ट्रोडिक्टरी धारा है। यह किसी विशेष सिद्धांत के हिसाब से ही नहीं बल्कि यह तो जनतंत्र राज्य के सिद्धांत के ही खिलाफ जाती है और पब्लिक गवर्नमेंट के खिलाफ पड़ती है, इस में आटोक्रेसी की बू आती है। मैं ज्यादा न कहकर आप के द्वारा मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित कराना चाहता हूं कि इस तरह से वह बड़ी एनामलस चीज पैदा करने जा रहे हैं। कोई इल्लीगल तो नहीं किन्तु आश्चर्य की बात है कि जब प्रधान की अवधि का प्रश्न इस सदन में आता है और जब कि विरोधी दल के सदस्य यह कहते हैं कि संभवतः चुनाव अनुचित हों, सम्भवतः गलत व्यक्ति चुने जायं और संभवतः केवल सरकार के हित के लिये यह उचित हो कि उनकी अवधि ५ साल के बजाय ३ साल रख दी जाय. उस समय मंत्री महोदय ताव में आते हैं और बड़े जोश से कहते हैं कि बारम्बार चुनाव करने के लिये हमारे पास पैसा नहीं है। मंत्री महोदय यह भी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों को एक बार चुन लिया जाय उनको कांस्ट्रक्टिव वर्क करने के लिये समय दिया जाय। उन्होंने और उनके साथियों ने यह भी कहा कि यदि तीन वर्ष रख दिये जाते हैं तो पहला वर्ष चुनाव के हलचल में ही बीत जायगा और तीसरा वर्ष भी उसी प्रकार बीतेगा। उसका परिणाम यह होगा कि केवल बीच का ही एक वर्ष काम करने के लिये रहेगा। कहां तक इस तर्क में जोर है यह समय इस पर विचार करने के लिये नहीं है। इसका निर्णय हो चुका है किन्तु इसका उल्लेख यहां मैं इसलिये कर रहा हूं कि यह एक अजीब सी बात है कि जब उसी कारण को सामने रखते हुये और उन्हीं संभावनाओं को ध्यान में रखते हुये यहां से सुझाव हुआ कि अवधि पांच साल के बजाय तीन साल कर दी जाय तो उसका मंत्री महोदय विरोध करते हैं और आज जबकि प्रश्न यह है कि जब एक बार चुनाव हो गया हो मैं आपका ध्यान इस तरफ भी आकर्षित करूंगा कि किन-किन हैंडीकैप्स में यह चुनाव होगा और कितना इंडेपेंडेंट चुनाव हम इसको मान सकते हैं। यह एक प्रश्न है तो जैसा कि मैं पहले कह रहा था कि यह एक बड़ी कंट्राडिक्टरी पोजीशन है कि मंत्री महोदय उनकी अवधि लम्बी भी चाहते हैं किन्तु साथ ही उनकी विधि एक से ओवरनाइट समाप्त करने का अधिकार भी अपने हाथ में रखना चाहते हैं। कहां तक उचित और कहां तक आवश्यक अधिकार वह अपने हाथ में ले रहे हैं जैसे कि हमारे पहले एक वक्ता ने बतलाया।

दुर्भाग्यवश मंत्री महोदय के कुछ न बोलने के कारण हमको इस संबंध में भी जैसे कि और धाराओं के संबंध में करना पड़ा, केवल मात्र अनुदान पर बहस करनी पड़ रही है। उपाध्यक्ष महोदय, विशेष कारण से मैंने आपसे बोलने की आज्ञा मांगी और मैं आशा करता हूं कि विशेषकर माननीय गेंदा सिंह जी की तरफ से जो तर्क मंत्री महोदय के सम्मुख प्रस्तुत किये गये उनको न दोहरा कर केवल उनकी ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करके और यह प्रश्न जो मैंने उठाया कि यह कंट्रोडिक्ट्री पोजीशन जो मंत्री महोदय क्रियेट कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि इसमें कोई इल्लीगलिटी नहीं होगी किन्तु इससे यह अवश्य प्रतीत होगा कि मंत्री महोदय को जहां तक जनता में अविश्वास है वह तो स्पष्ट ही है। जिस प्रकार से उन्होंने प्रेस्क्राइब्ड एथारिटी का नाम बारम्बार रक्खा है उसका यहां जिक्र न करके--किन्तु यह भी स्पष्ट हो जायगा कि मंत्री महोदय को अधिक--जैसा कि मेरे साथी अवधेश प्रताप सिंह जी ने कहा, मैं भी उनसे सहमत हूं कि पंचायत राज के संबंध में अनुभव है किन्तु फिर भी अनुभव कुछ ऐसा प्रतीत होता है कि वह पंचायतराज विभाग के मंत्री होने के बावजूद, गुस्ताखी माफ हो यहां, और और जगह बारम्बार घोषणा करने के बावजूद कि वह यह देखना चाहते हैं कि पंचायत राज और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और और जगहों में डिसेंट्रलाइजेशन फूले और फले, मैं नहीं समझ पाता और मैं न मानूंगा कि इस प्रकार मंत्री महोदय कोई सही कदम उठा रहे हैं।

यदि मंत्री महोदय यह चाहते हैं और यदि उनकी यह हार्दिक इच्छा है कि इस ओवर सेंट्रलाइजेशन के युग में जब पूरा देश इस सेंट्रलाइजेशन की पीड़ा से रो रहा है, इस संबंध में एक

बार नहीं, कई बार यहां इस सदन में चर्चा हो चुकी और बारम्बार यही मांग हुई कि राज शासन डीसेंट्रलाइज्ड किया जाय। इस मांग के जवाब में माननीय स्वशासन मंत्री और माननीय मुख्य मंत्री ने इन्हीं शब्दों में उत्तर दिया कि डीसेंट्रलाइजेशन तो बहुत हद तक इस सूबे में प्रचलित है। मैं पूछता हूं कि क्या यही एक मिसाल है जिसे रखा है ? कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश में डीसेंट्रलाइजेशन पहले ही से स्थापित है। यदि यही डीसेंट्रलाइजेशन है तो मैं समझता हूं कि यह उसका एक परवर्टेड इन्टरप्रेटेशन होगा। यदि यह डीसेंट्रलाइजेशन है तो मैं समझता हूं कि इससे बेहतर तो वही पहले का सेंट्रलाइजेशन था। क्योंकि इस डीसेंट्रलाइजेशन का नतीजा यह होगा कि वह सेन्ट्रलाइजेशन तो अभी लखनऊ में सेंट्रलाइज है वह सेन्ट्रलाइजेशन और उसकी जो बुराइयां हैं वह अब उसी प्रकार से जिले-जिले में पहुंचाई जा रही हैं। यह डीसेंट्रलाइजेशन किसी भी सूरत से नहीं होगा और मैं मंत्री महोदय का ध्यान इसी ओर आकृष्ट करता रहूंगा और कर रहा हूं कि डीसेंट्रलाइजेशन को वे उसी रूप से कार्यान्वित करें। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश की जो बहुत सी पैम्फलेट छपी हैं उनमें से एक पैम्फलेट जिसमें माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखा है "सरवे आफ दी वर्किंग आफ दी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट" की चन्द लाइनें पढ़ना चाहता हूं। उसमें लिखा है पंचायत और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के संबंध में "A social experiment pregnant with great possibilities was under taken for the formation of Panchayats with a view to the decentralisation of functions of day to day administration." बहुत सही कहा।

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक से इसकी पूर्ति हो रही है ? क्या यह पंचायत राज संशोधन विधेयक में किसी प्रकार से भी जो मंत्री महोदय ने इन्टरप्रिटेशन किया डीसेन्ट्रलाइजेशन आफ डे टु डे एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है ? मैं पूछना चाहूंगा कि क्या यही डीसेंट्रलाइजेशन का तरीका है, चुनाव करके उसको रद्द कर दिया जाय ? चुने हुये व्यक्तियों से कहा जाय कि तुम ५ साल के लिये चुने जाते हो और किसी कारण किसी व्यक्ति की शक्ल से नफरत हो गई है तो उनका चुनाव रद्द कर दिया गया। क्या यही डीसेंट्रलाइजेशन इन डे टु डे एड-मिनिस्ट्रेशन होगा ? मेरा विचार है कि ऐसा कहने का कोई भी साहस नहीं रखेगा। उपाध्यक्ष महोदय, इस संबंध में मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि जब क्वालिफिकेशंस को बदल दिया गया है यानी पहले ३० वर्ष की आयु और शिक्षित होना आवश्यक क्वालिफिकेशन रखी गयी थी। अब मैं उस निर्णय को उस समय चैलेंज करना आवश्यक नहीं समझता, यह मेरा फर्ज नहीं है। जब उचित समय था उसको चैलेंज कर चुका हूं और अब जनता उचित समय पर चैलेंज करेगी और हमें विश्वास है कि मंत्री महोदय ने हालांकि हमारी आवाज ठुकराई परन्तु हमें यह भी विश्वास है कि जनता की आवाज नहीं ठुकरायेंगे। किन्तु इस संबंध में मैं जो कह रहा था वह यह कि इस विधेयक की और जितनी धाराओं को हम पहले देख चुके हैं उनका एक सारांश निकलता है और वह यह कि शुरू से आखिर तक एक बात यह कि इलेक्शन के सिद्धांत को बारम्बार ठुकराया जा रहा है। हां, मैं जानता हूं कि इसका उत्तर यह दिया जायगा कि गांव सभा इलेक्शन द्वारा गांव पंचायत को छांट रही है और यही कहेंगे संभवतः मंत्री महोदय कि इलेक्शन्स की प्रणाली यहां स्थापित की गई है, किन्तु मेरा विचार यह है कि इस प्रकार के एक कम्पैरेटिवली अनइम्पार्टेंट इलेक्शन के अधिकार जनता को देकर और जहां कि अधिक महत्व है—हालांकि हमें अभी तक कोई ऐसा कारण नहीं दिखा कि क्यों वहां भी इलेक्शन न हो पाया किन्तु उसका निर्णय हो चुका, तो वहां इलेक्शन्स को न स्वीकार करके और केवल इलेक्शन्स को ही अस्वीकार नहीं किया गया बल्कि साथ ही साथ वैसी अवस्था में और वैसे स्थान में पूर्ण रूप से नियुक्ति का अधिकार अपने हाथ में रख कर और उस नियुक्ति को अपने हाथ में रखने के बावजूद भी आगे आकर एक ऐसा क्लाज रखना कि उस नियुक्ति को भी वे रद्द कर दें, इससे यह स्पष्ट है कि हरएक कदम पर एक किस्म का सेफगार्ड रखा गया है ताकि यदि किसी कारण पहली फोर्टरेस से कुछ गलती हो जाय और एनिमी आगे बढ़ जायं तो सेकेंड लाइन आफ डिफेंस उसके पीछे ढकेले। मैं आगे बताऊंगा, अभी तो हम कुल १२ वीं

[महाराजकुमार बालेन्दुशाह]

धारा तक पहुंचे हैं। बारम्बार यह कोशिश प्रत्यक्ष है और यदि मंत्री महोदय यह कहेंगे कि इस पंचायत राज संशोधन विधेयक से अब उत्तर प्रदेश में पंचायत राज का निर्माण होगा, अब उत्तर प्रदेश की पंचायतें सुचारू रूप से चलेंगी, अब जनता इन पंचायतों को सहयोग देगी तो मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय भूल करेंगे।

इस संबंध में इतना और मैं कहना चाहूंगा हालांकि हमारे मंत्री महोदय का पंचायत राज के बारे में बहुत अनुभव है, मैं मानता हूं कि मंत्री महोदय ने अनुभव प्राप्त करने के लिये बहुत लम्बा चौड़ा दौरा किया है किन्तु यथाशक्ति ही वे दौरा कर सके और मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय यह स्वीकार करेंगे कि उत्तर प्रदेश के पूरे ५१ जिलों का दौरा वे न कर पाये। इसलिये यह भी संभव है कि जिस अनुभव से मंत्री महोदय ने इस विधेयक को हमारे सामने रखा वह सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश के संबंध में सही नहीं हो सकता या संभव है कि जिन जिलों की परिस्थिति को मंत्री महोदय और उनके विभाग ने ध्यान में रख कर इस विधेयक को ड्राफ्ट कराया है शायद उन परिस्थितियों के लिये यह विधेयक, मैं नहीं जानता कि सही है या नहीं, हो सकता है कि अच्छा हो। किन्तु मैं पूछूंगा कि क्या मंत्री महोदय को यह मालूम नहीं कि हालांकि एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है फिर भी यह तो नहीं कहा जा सकता कि क्योंकि एक मछली उस तालाब को गंद करेगी ही इसलिये पहले से ही उसको गंदा कर दिया जाय। उपाध्यक्ष महोदय, मैं मान सकता हूं कि बहुत जगह पंचायत राज अभी भी अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है। मैं यह भी मानने के लिये तैयार हूं, हालांकि मैं मानना नहीं चाहता कि जो यहां पर मंत्री महोदय ने एक बार हमको कहा था कि न्याय पंचायतें बहुत अच्छी तरह से काम करती हैं और उनके लगभग ९०, ९५ प्रतिशत फैसले अपहेल्ड रहे, मैंने उस बार उनके लिये ताली बजाई थी, और मैं चाहता हूं कि यह सही निकले किन्तु मैं साथ ही साथ यह भी कहूंगा कि संभवत: ये आंकड़े पूर्ण रूप से सही न हों। किन्तु मैं इससे यह बहस निकालना चाहता हूं कि यदि ये आंकड़े गलत भी हों फिर भी जो कुछ मंत्री महोदय ने पिछले दिनों किया और जो अभी तक इस विधेयक के प्रस्तुत करने से पहले तक पंचायत राज्य के निर्माण के लिये किया उसके लिये वे अवश्यमेव धन्यवाद और बधाई के पात्र हैं। मैं उनसे यही कहूंगा कि इस एनोमलस और कंट्राडिक्टरी विधेयक को जिसका परिणाम यह होगा कि पंचायत राज में जनता का अविश्वास फैलेगा, वह एक बार फिर जहां-जहां आवश्यक हो उसको संशोधित करके जनता के बीच इस रूप में भेजें। मंत्री महोदय को अधिकार है, बहुमत उनके साथ है, इस सदन में अवश्य है और भविष्य में कहां तक बहुमत उनके साथ रहेगा मैं इस संबंध में कोई भविष्यवाणी नहीं कर सकता हूं। मंत्री महोदय स्वयं ही और उनके कारनामे इसमें भविष्यवाणी करेंगे। हमारा कर्तव्य यह है कि अपने विचारानुसार हो सकता है कि हमारे विचार गलत हों लेकिन मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय हमें बतलायें और यह न कहें क्योंकि इस संबंध में कोई बहस नहीं की गई या कोई तर्क नहीं दिया गया, इसलिये मैं उत्तर देना अनावश्यक समझता हूं, यह कोई उत्तर नहीं होगा। एक महत्वपूर्ण विषय पर पंचायत राज्य की स्थापना पर, यह उत्तर आपने बारम्बार और मैं समझता हूं कि भविष्य में और धाराओं के ऊपर, संभव है क्योंकि दुर्भाग्यवश तर्क बहुत सीमित है। विरोधी दल को जब ऐसे विधेयक का सामना करना पड़ता है तो उसके सामने और क्या विचार हों। जो चीज बुरी है उसको बुरी बतलाये हमारा कर्तव्य है कि उसको हम भाषा में बदलकर भले ही बतला दें लेकिन बुरेपन की बात तो हम कहेंगे ही। इसका परिणाम अवश्य यह होगा कि यहां पर जो बहस होती है वह काफी होती है और एक प्रकार से दुहराना होगा। मगर उसका अर्थ यह नहीं है कि दुहराने के कारण मंत्री महोदय उसे महत्वपूर्ण न समझें। इसका यह अर्थ है क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है और हम गुस्ताखी करते हैं कि मंत्री महोदय का और सदन का समय लेते हैं। आपकी आज्ञा लेकर बारम्बार दुहराने की प्रार्थना करते हैं और आज्ञा मांगते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने कहा--विधेयक पारित हो सकता है और हो जायगा किन्तु मैं चाहता था क्योंकि मुझे भी हालांकि मंत्री महोदय के बराबर कभी भी मैं इतना अनुभव

प्राप्त नहीं कर पाऊंगा लेकिन मुझे भी इस डिसेंट्रलाइजेशन के विषय पर बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। हमारे प्रदेश में सुचारू रूप से राज्य का शासन करने के दो ही तरीके हैं। एक तो यह कि डिसेंट्रलाइजेशन किया जाय और दूसरा वह होगा कि इस प्रदेश का विभाजन किया जाय। यह मंत्री महोदय के हाथ में है। मुख्य मंत्री से अधिक उनके हाथ में यह अधिकार है कि इस प्रदेश में डिसेंट्रलाइजेशन की नींव सही रूप में पड़े। यह नहीं कि बाहर से दिखाने के लिये गांव पंचायत, टाउन एरियाज म्युनिसपल तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की स्थापना कर दी जाय किन्तु उन्हें कंगाल बना दें और दूसरी तरफ लायबिलिटीज बढ़ा दें और अधिकार देने के प्रश्न में साफ रखें।

अध्यक्ष महोदय मैंने बहुत समय लिया। अब इतना ही कहकर अपना भाषण समाप्त करता हूं। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय हमारे विचारों पर ध्यान देंगे चाहे हमारे विचार तर्क हीन ही क्यों न हों लेकिन वह इस बात को अवश्य ध्यान में रखेंगे कि हमारा एक मत से विचार है कि यह विधेयक और चाहे जो कुछ हो लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन उससे बिलकुल नहीं हो रहा है।

श्री राम लखन मिश्र--उपाध्यक्ष महोदय, मेरा विवादान्त का प्रस्ताव रखा जाय।

श्री उपाध्यक्ष--प्रश्न यह कि प्रस्तुत संशोधन पर विवाद समाप्त किया जाय।

[प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ--

पक्ष में--९२

विपक्ष में--१३]

श्री तेज प्रताप सिंह--माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैंने प्रार्थना की थी माननीय स्वशासन मंत्री जी से कि कुछ इसका उत्तर देते, मुमकिन है कि मेरी समझ में आ जाय,लेकिन मेरा दुर्भाग्य, उन्होंने यह जरूरत नहीं समझी। मैं इसकी चेष्टाओं या कुचेष्टाओं की ओर संकेत नहीं करना चाहता, यह ठीक भी नहीं है और न इससे लाभ हो सकता है। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि इस क्लाज के द्वारा अविश्वास की भावना जो ग्रामों और गांव सभाओं के प्रति झलकती है वह निश्चित है और इससे भला नहीं हो सकता। भविष्य की आशंकाओं की कल्पना करना मुमकिन है दूरंदेशी हो, लकिन मैं तो इसे खतरनाक समझता हूं जब कि हमारे में वह शक्ति है कि हम कभी भी उसका मुकाबिला कर सकते हैं। इस माननीय सदन को वह शक्ति प्राप्त है कि जब भी कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो हम उसका मुकाबला कर सकते हैं और उसको संभालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसी हालत में पहले से ही किन्हीं आशंकाओं के आधार पर, कुछ सोच करके, हम ऐसी धारायें यहां रखें, यह मेरी समझ से ठीक नहीं है। शक्तिवान होना तो ठीक ही है, होना ही चाहिये। लेकिन दूसरों को अशक्त करके, निर्जीव करके शक्ति का अर्जन करें इसमें कोई लाभ मुझे प्रतीत नहीं होता। आगे जिन्हें हमें साथ लेना है, पंच वर्षीय योजना द्वारा देश का उत्थान करने के लिये जिनके सहयोग की हमें आवश्यकता है उनको हम अपने साथ न लेना चाहें और उन पर विश्वास न करें तो यह कोई अच्छी चीज नहीं है। देश के उत्थान के लिये बहुत आवश्यक है कि हम जनता का सहयोग प्राप्त करें, उनमें वह जीवन डालें, उनमें वह इंसेंटिव दें कि वह हमारे साथ चल करके उन योजनाओं को सफल बनावें। यदि हम उन्हें निर्जीव करते हैं तो उनका सहयोग हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। आखिर शक्तिवान ही तो हमें सहयोग दे सकते हैं, भावना के साथ हमारे साथ चल सकते हैं और तभी हमारा देश आगे बढ़ सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि इस प्रकार उनको यह अंतिम शक्ति न देना कि वह अपने पंचों को या उन लोगों को हटा सकें, यह ठीक नहीं है।

दूसरे आगे क्या परिस्थितियां होंगी उनका भी समय से बहुत पहले इलाज सोच रखना मैं समझता हूं कि यह खुद मर्ज को पैदा कर देने वाला है। इससे बहुत बड़ी संभावना

[श्री तेज प्रताप सिंह]

है कि हम में वह कमजोरियां पैदा हों कि हम उन परिस्थितियों को सम्हाल न सकें, उधर हमारा संकेत करना ही ठीक नहीं है। आखिर पेसिमिस्ट होना, निराशावादी होना हमारे देश के लिये लाभदायक नहीं है और मैं तो समझता हूं कि इस धारा द्वारा जो निराशावादिता की झलक दिखलाई पड़ती है उसे हमें हटाना चाहिये। हमारे देश ने पहले ऐसे कार्य किये हैं जिन पर हमें गर्व हो सकता है, होना भी चाहिये। आज नैतिक स्तर हमारा चाहे जितना गिरा हो, हमारी स्थिति चरित्र के विषय में चाहे जितनी खराब हो लेकिन आशावादी होना कि हम आगे भी बड़े कार्य कर सकते हैं, यह तो एक आवश्यक चीज है। हमें आशावादी होना ही चाहिये और मैं माननीय मंत्री जी से इतनी प्रार्थना जरूर करूंगा कि वह कुछ इसके बारे में निवेदन करें, कुछ बतलाने की कृपा करें। हमारे माननीय साथियों ने जो इसमें हिस्सा लिया और जो अपनी भावनायें प्रगट कीं उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय शिवनारायण जी ने जो कुछ कहा उसके लिये उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। पार्टीबन्दी और करप्शन को दूर करना हमारा सबका ही फर्ज है लेकिन हम तो कोई ऐसा कदम उठायें जिससे वह चीजें दूर हों तब तो ठीक है लेकिन किसी चीज का गलत अर्थ समझ लेना यह तो ठीक नहीं है। इससे अधिक न कह कर माननीय स्वशासन मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार कर लें।

*श्री मोहन लाल गौतम--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय बालेन्दुशाह जी ने जो मेरी तारीफ की उसके लिये मैं उनको बधाई देता हूं। लेकिन अगर मैंने किसी समय यह कहा हो कि कोई नयी बात नहीं जिसका मुझे उत्तर देने की आवश्यकता हो तो मैं जानना चाहता हूं कि कौन सा ऐसा प्वाइन्ट रह गया है जिसका मैंने उत्तर नहीं दिया, उसका उत्तर देने का मैं प्रयत्न करूंगा। लेकिन मेरी दिक्कत यह हो रही है कि गेंदा सिंह जी के दिमाग में सिर्फ पंचायत राज ऐक्ट नहीं है। उनके दिमाग में बहुत सा बोझ है। वह सिर्फ पंचायत राज ऐक्ट पर नहीं बोलते बल्कि अपने इमोशंस का एक्सप्रेशन उसमें करने लगते हैं। उन्हें अपने किसी मित्र की याद आती है या क्या वह उसका इक्सप्रेशन कर रहे हैं, अगर उन सब का मैं उत्तर देने लगूं तो इस सदन की शान के खिलाफ कार्य करूंगा। इसलिये मैं उन तमाम बातों का उत्तर नहीं देना चाहता।

झारखंडे राय जी को यह डर है कि कहीं ५१ छोटे हिटलर न पैदा कर दें। उस वक्त किसी ने कहा छोटे हिटलर नहीं तो छोटे स्टैलिन ही पैदा कर दें। परन्तु कोई आवाज मेरे कान में पड़ी कि ऐसा न करना नहीं तो अनर्थ हो जायगा। जिस डिमोक्रेसी को यहां जगह दी गयी है और जिस प्रकार यहां डिमोक्रेसी चल रही है संसार साक्षी है कि यहां की डिमोक्रेसी एक सुन्दर डिमोक्रेसी है। हिटलर और स्टैलिन को जगह देने की हमारी कोई इच्छा नहीं है और न मैं चाहता हूं कि यहां हिटलर और स्टैलिन आयें। लेकिन मैं यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि झारखंडे राय जी के कहने के मुताबिक यहां ट्रांजीटरी पीरियड में डिक्टेटरशिप होनी चाहिये थी। १९४७ में रेवोल्यूशन हुआ और ऐसा रेवोल्यूशन संसार ने नहीं देखा। झारखंडे राय जी के ख्याल के मुताबिक यहां डिक्टेटरशिप होनी चाहिये थी। लेकिन मैं उनसे इत्तफाक नहीं करता, यह मेरी मजबूरी है। मेरा सिद्धांत भिन्न है, डिक्टेटरशिप को प्युपुल्स डिमोक्रेसी के नाम से बयान करने की कम से कम मेरी हिम्मत नहीं है।

जो यह रखा जा रहा है इसमें बड़े २ संदेह जाहिर किये गये, सारा विधेयक ही गंदा हो गया। बहुत से अधिकार गवर्नमेंट को मिल गये। एक बहुत बड़ी दलील यह दी गयी कि जब कई एक अधिकार हैं तो यहां अधिकार की क्या जरूरत है। मुझे डर है कि कहीं इस दलील को बढ़ा कर कभी यह न कह दिया जाय कि इतने महकमे हैं तो पुलिस के महकमे की क्या जरूरत है। जहां-जहां इंतजाम की जरूरत है यह अधिकार है। आपको अधिकार है कि हिसाब की जांच करवायें, आपको अधिकार है कि गलत

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आदमी को निकाल दें तो फिर इसकी क्या जरूरत है। मैं निवेदन करूंगा कि इसको उसकी मेरिट के साथ और अधिकारों से अलग देखा जाय। यह देखा जाय कि इसकी जरूरत है या नहीं। यह तो सभी को मालूम है कि कोई भी लेजिस्लेचर ऐसा नहीं है जिसके लिए ऐसा इंतजाम न हो कि अगर आवश्यकता पड़े तो अपने आयु-काल से पहले वह खत्म हो सके। जहां तक मेरा अन्दाजा है मोटा-मोटा पार्लियामेंट अपने आपको अपने टर्म से पहले डिजाल्व कर सकती है; गवर्नमेंट डिजाल्व कर सकती है। अभी ट्रावनकोर कोचीन में सोशलिस्ट पार्टी को भी मिनिस्ट्री मिल गयी। अगर यह प्राविजन न होता और पूरे काल तक वह लेजिस्लेचर चलता तो कम से कम पी० एस० पी० को मिनिस्ट्री मिलने का अवकाश उतने दिनों तक न होता, यह तो हुई दलीलें। हर चुनी हुई बाडी को अगर आवश्यकता पड़े तो उसके टर्म से पहले ही चुनाव करवाने का अधिकार है। लेकिन यह तो कुछ जनरल दलीलें हैं, उससे ज्यादा बहस नहीं है।

एक खास बात अभी इस वक्त कही गयी, उपाध्याय महोदय, उसको मैं आपके द्वारा इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। जो पंचायतें इस समय प्रदेश में हैं उनका चुनाव भिन्न भिन्न समय पर हुआ था। पहले इस प्रदेश में सब पंचायतों के लिये चुनाव हुआ लेकिन दो हिस्से मिर्जापुर और जौनपार अबर को छोड़ दिया गया। उनका चुनाव अलग हुआ, एक चुनाव पहले हुआ था और दूसरा यह हुआ। तीसरा चुनाव गढ़वाल का अलग हुआ, बनारस में अलग, रामपुर में अलग और झांसी के आस-पास के जो गांव हैं उनमें अलग चुनाव हुआ। इस प्रकार इस प्रदेश में समय समय पर अलग अलग कई चुनाव हुए। इस कानून के पास होने के बाद हर पंचायत की अवधि पांच साल की हो जायगी। अगर एक साथ खत्म नहीं करते तो एक साथ सबका चुनाव नहीं करा सकते। जनरल प्रिंसिपल के आधार पर यह नहीं है, न अधिकार लेने की नियत से है बल्कि वास्तविक दिक्कत यह है कि इसके बिना सारे सूबे में जो पहले अलग-अलग चुनाव अलग अलग जगहों पर हुए थे उनका चुनाव, माननीय अध्यक्ष, एक साथ नहीं हो सकता।

(इस समय ४ बज कर २ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

इस कानून के बाद हर एक की अवधि पांच वर्ष की हो जायगी और अगर एक साथ खत्म नहीं किया जाता तो ५,६ बार चुनाव कराना होगा। अगर सबको एक साथ तोड़ कर एक दफा उनका एक साथ चुनाव हो जाय तो सबकी अवधि एक दिन से ही शुरू हो सकती है। कभी-कभी ऐसा भी हो सकता है कि दिक्कतें आयें और पांच साल के पहले आवश्यकता पड़े, जैसे इस प्रदेश में जनरल चुनाव में दिक्कतें आयीं। जब चुनाव ड्यू हो तो किसान खाली न हो, फसल बोता हो या काटता हो, ब्याह होते हों। म्युनिसिपल बोर्डस के चुनाव में ये दिक्कतें आयीं और कई तारीखें बदलनी पड़ीं। बहुत सम्भव है कि पांच वर्ष से दो महीने पहले ही चुनाव करने की आवश्यकता पड़ जाय। लेकिन अगर कोई माननीय सदस्य इस भ्रम में हैं कि जब जी में आयेगा पंचायतों का चुनाव रद्द कर दिया जायगा और फिर जनरल इलेक्शन कराया जायगा और फिर अधिकार जमाया जायगा तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करूंगा कि इस भ्रम में मैं नहीं हूं कि इस प्रकार से शक्ति आती है। मैं यह समझता हूं कि जब तक गवर्नमेंट अपने किसी कार्य को जस्टीफाई न कर सके, इतने बड़े प्रदेश की ६०,६५ हजार ग्राम पंचायतों को तोड़ कर उनका जनरल इलेक्शन क्यों कराया गया, गवर्नमेंट इसका माकूल जवाब न दे सके तो इसमें बजाय ताकत आने के उल्टी घटेगी ही। चुनाव तो क्या अगर नामिनेट करने की भी बात होती तो बार-बार ऐसा करने से ताकत नहीं मिलती। लोग नाराज होंगे कि हमारा काल क्यों खत्म कर दिया गया। इससे रिसेंटमेंट बढ़ेगा और जो इस तरह का काम करने वाला होगा उसको कमजोरी मिलेगी।

मैं निवेदन करता हूं कि मैं इस भ्रम में नहीं हूं कि इस तरह के गलत काम करने से ताकत मिलेगी। ये कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिनको सोच कर यह रक्खा गया है। इस तरह का प्राविजन

[श्री मोहन लाल गौतम]

हर जगह होता है। पार्लियामेंट और असेम्बली के चुनाव तक अवधिकाल से पहले हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि मेरी सफाई हो गयी होगी जो पहले नहीं हुई थी और जिसके न होने से माननीय गेंदा सिंह जी को परेशानी थी। इस सफाई के पश्चात् मैं आशा करता हूं कि माननीय मूवर इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १४ में प्रस्तावित नयी धारा 12-G निकाल दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ---

पक्ष में---१४

विपक्ष में---९१)

श्री मोहन लाल गौतम---मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ के अधीन प्रस्तावित धारा 12-H के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय---

"12-H. If a vacancy in the Office of the Pradhan, Up-Pradhan or of a member of a Gaon Panchayat arises by reason of his death, removal, resignation or avoidance of his election it shall be filled for the remainder of his term in the manner, as far as may be, provided in section 11-A, 11-B or 12, as the case may be."

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसको रिड्राफ्ट करने में जो पहले इस धारा का कंस्ट्रक्शन था उसको कुछ सिम्पलीफाई किया गया है। दूसरी बात यह है कि एलेक्शन पिटीशन से जो जगह खाली हो गी तो उनकी वैकेंसी इस तरह की जायेगी और जो भी वैकेंसी होगी उसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि बाकी समय के लिये वह होगी और उनका चुनाव उसी तरह से होगा जैसा कि उनका एलेक्शन पहले हुआ था। उसी तरह से यह एलेक्शन भी होगा। यह केवल इसका मतलब है। इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं मालूम होती है। इसलिए मैं आशा करता हूं कि यह सदन इस संशोधन को बिना वादविवाद के मंजूर करेगा।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १४ के अधीन प्रस्तावित धारा 12-H के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय।

"12-H. If a vacancy in the Office of the Pradhan, Up-Pradhan or of a member of a Gaon Panchayat arises by reason of his death, removal, resignation or avoidance of his election it shall be filled for the remainder of his term in the manner, as far as may be, provided in section 11-A, 11-B, or 12, as the case may be."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री मदन मोहन उपाध्याय---माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह प्रस्ताव पेश करना चाहता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12-I की पंक्ति १ के शब्द "No" के स्थान पर "only a,, रख दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, यह बिल्कुल सीधासाधा प्रस्ताव है और जिस स्थान पर 'नो' रक्खा गया है वहां 'ओनली ए' रख दिया जाय। फिर यह धारा इस प्रकार से हो जायगी ---

"12-I. Only a civil court shall have jurisdiction to question the legality of any action taken or any decision given by an Officer or authority appointed under this Act, in connection with the conduct of elections thereunder."

अध्यक्ष महोदय, यह केवल एक शाब्दिक संशोधन है, माननीय मंत्री जी को इसमें ज्यादा दिक्कत भी नहीं होनी चाहिये इसको स्वीकार करने में । क्योंकि हम यह समझते हैं जैसा कि माननीय बालेन्दुशाह जी ने अपने पहले भाषण में कहा था कि जो प्राविजन इसमें रक्खे जा रहे हैं उन सब से हमारा बराबर ससपिशन बढ़ता ही जा रहा है। पंचों के इलेक्शन को रद्द करने से यह ससपीशन और भी ज्यादा बढ़ गया है। पंचायत राज के आफिसर या अधिकारी जो भी कार्य करेंगे वह गलत करेंगे, जनता के खिलाफ करेंगे, उसके लिये कोई रेमेडी हमारे पास नहीं है । लेकिन माननीय मंत्री जी चाहते हैं कि हम कोई रेमेडी भी सीक न करें, किसी सिविल कोर्ट के पास भी न जायं। वही एक ऐसी जगह है जहां इंसाफ हमें दिखायी पड़ता है, वैसे तो जुडिशियरी भी उन्हीं की है। इसलिए मैं समझता हूं कि अगर यह लगा दिया गया सिविल कोर्ट का कोई जुरिसडिक्शन न होगा तो हमारा ससपिशन और भी ज्यादा बढ़ जायगा । कोई भी पंचायत अधिकारी, प्रधान, उप प्रधान या पंचायत राज का आफिसर ऐसा कोई काम करता है जो ठीक नहीं है तो उसके लिये सिविल कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन तो अवश्य ही होना चाहिये और सिविल कोर्ट का फैसला ही उनको कुछ मनवा सकता है । मैं और ज्यादा कहना नहीं चाहता क्योंकि यह शाब्दिक संशोधन है तथा ज्यादा खतरनाक भी नहीं है। अगर माननीय मंत्री जी को कोई एतराज होगा तो उसके बारे में बाद को बतलाउंगा ।

*श्री मोहनलाल गौतम––माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्याय जी को मैं एक क्रांतिकारी कार्यकर्ता की हैसियत से तो जानता ही था लेकिन वे एक अच्छे वकील और वकीलों के पोषक हैं, यह आज ही मालूम हुआ । इस संशोधन को रख कर वे चाहते हैं कि वकीलों की चांदी हो और गरीब आदमी मिट जायं। गांव सभा में वही लोग जा सकें जो मुकदमा लड़ा सकते हों । मुझे ताज्जुब तो यह हुआ कि गरीबों के हमदर्द और गरीबों की भलाई चाहने वाले लोग यह कहें कि जब तक सबको सिविल कोर्ट में न ले जाया जायेगा, जब तक सब पैसे वाले उनको परेशान करके न निकाल दें तब तक गांव सभायें ठीक ही न हो सकेंगी । मैं नहीं समझ सका कि किसी परिणाम की वजह से या इस विधेयक को हंसी मजाक का विधेयक बनाने के लिये यह संशोधन उन्होंने दिया है या यह भी हो सकता है कि कहीं मंत्री भुलावे में आ जायं तो जनता के सामने उनको बेवकूफ बनाया जाय । यह संशोधन जिसे शाब्दिक कहा जाता है बहुत खतरनाक है। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि वह इस सदन को भुलावे में डालने में माहिर हो गये हैं। मुझे अफसोस है कि मैं इस संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता ।

श्री मदनमोहन उपाध्याय––माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे दुख है कि मंत्री जी ने मेरा यह छोटा सा शाब्दिक संशोधन मंजूर नहीं किया । लेकिन साथ ही उन्होंने यह जो कहा कि वे वकीलों के हिमायती हैं तो उन्हें मालूम है कि मैं वकील हूं। मेरा विश्वास जुडिशरी पर है और मैं मंत्री जी के मुंह से सुनना चाहता था कि उनका विश्वास जुडिशरी पर अब नहीं रहा है। मुकद्दमेबाजी रुक तो सकती नहीं है। पंचायतों के केस में अवश्य मुकद्दमे लड़ेंगे लेकिन इसका नतीजा कुछ न हो तो कोई लाभ नहीं है । लड़ें और इंसाफ मिल जाय, उसके लिये सिविल कोर्ट्स हैं। मेरी यह कभी मंशा नहीं थी कि मैं उसे केवल शाब्दिक कह कर स्वीकार करा लूं । यहां तो बहुत विद्वान् लोग बैठे हैं। इस संशोधन में केवल ४ शब्द हैं लेकिन इस तरफ के लोग भी मुझे सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं मालूम होते क्योंकि कोई बोलने को उठा ही नहीं, तो मैं अपना संशोधन वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

*श्री जोरावर वर्मा––अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन रखता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित धारा 12––I की पंक्ति ३–४ में शब्द "an officer or authority

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

[श्री जोरावर वर्मा]

appointed under this Act" के स्थान पर शब्द "the prescribed authority" रख दिये जायं।

इस विधेयक में प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी के सिवाय कोई दूसरा आफिसर दिखायी नहीं देता, इसलिए यदि इस स्थान पर भी वही रख दिया जाय तो कंस्ट्रक्शन अधिक अच्छा रहेगा और इसमें शब्द भी कम हैं। मुझे आशा है कि मंत्री जी इसे स्वीकार करेंगे।

श्री मोहनलाल गौतम--अध्यक्ष महोदय, प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी से काम चलता नहीं है क्योंकि वह कोई अलग दूसरा अफसर भी हो सकता है। मुझे इस बात की खुशी है कि जहां अब तक प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को गालियां दी जा रही थीं आखिर में मेरे साथ सहानुभूति हो गयी है कि प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी आवश्यक है। लेकिन फिर भी जो शब्द इस समय हैं उन्हीं से काम अच्छा चलेगा और मैं इस संशोधन को स्वीकार करने में असमर्थ हूं।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी को सपोर्ट नहीं करता लेकिन मंत्री जी संशोधन को मंजूर नहीं करते तो मैं वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री तेज प्रताप सिंह--आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १४ में प्रस्तावित नयी धारा १२-जे के अंतिम शब्द "prescribed" के स्थान पर शब्द "delegated by the Pradhan" रख दिये जायं। मैं समझता हूं कि माननीय स्वशासन मंत्री जी इसको स्वीकार कर लेंगे क्योंकि आखिर प्रधान और उप प्रधान में ऐसी अंडरस्टैंडिंग तो होनी ही चाहिये कि वह जो कार्य न कर सके या कुछ कार्य भार ज्यादा हो तो प्रधान, उप प्रधान को अपना पावर डेलीगेट कर सके। मैं समझता हूं कि इसमें कोई दिक्कत भी नहीं मालूम पड़ती है इसलिए मुझे उम्मीद है कि इसे स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री कृपाशंकर--अध्यक्ष महोदय, मालूम होता है कि कुछ समझने में माननीय सदस्य को गलती हुई है। आप चाहते हैं कि "prescribed" के स्थान पर "delegated by the Pradhan" कर दिया जाय। तो जब रूल्स बनेंगे उस वक्त देखा जायगा कि कौन-कौन से पावर प्रधान, उपप्रधान को डेलिगेट कर सकता है और कौन-कौन से कार्य हैं जिनके लिये पावर डेलिगेट करना ठीक होगा। इसलिये अभी इस लफ्ज का यहां रहना ही ठीक है।

श्री तेज प्रताप सिंह--मैं तो समझता हूं कि "prescribed" के स्थान पर "delegated by the Pradhan" हो जाता तो अच्छा होता लेकिन जब माननीय मंत्री जी की ऐसी ही इच्छा है तो मैं अपने संशोधन को वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १४ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १५

यू०पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १३ का संशोधन।

मूल अधिनिम की धारा १३ में शब्द "biennial" के स्थान पर शब्द "half yearly" रख दिया जाये और धारा के अन्त में निम्नलिखित प्रतिबन्धात्मक वाक्य खंड बढ़ा दिया जावे :--

"Provided that where for any reason an annual estimate of income and expenditure is not passed by a Gaon Sabha in its *Kharif* meeting, it may be passed by it at any subsequent meeting, before such date as may be prescribed under Sub-section (4) of section 41."

*श्री जोरावर वर्मा--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से यह संशोधन पेश करता हूं कि खंड १५ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:--

"मूल अधिनियम की धारा १३ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

"13. (i) The Pradhan shall present the half yearly report of business including accounts duly passed by the Gaon Panchayat before the Gaon Sabha at its *Kharif* and *Rabi* meeting summoned under section 11(1) for its acceptance.

(ii) If the Gaon Sabha, by a majority of three-fourths members present and voting, refuses to accept the report such refusal will amount a vote of no-confidence in the Gram Panchayat and the Gram Panchayat including the Pradhan and Up-Pradhan shall within a week tender its resignation to the prescribed authority.

(iii) A fresh election of the Gram Panchayat including Pradhan shall be held for the unexpired part of the term of the Gram Panchayat in the manner as may be prescribed

(vi) The Up-Pradhan shall be elected as provided in section 11 (B) 2."

अध्यक्ष महोदय, प्रधान के लिए यह आवश्यक है कि वह गांव पंचायत में जो बजट तैयार करे वह गांव सभा के सामने खरीफ और रबी की फसल में हर ६ महीने बाद पेश करे। यह उस प्रधान के लिए बन्धन अवश्य होगा और वह वही टैक्स लगायेगा जो गांव-सभा मन्जूर करेगी। हमारा पिछला अनुभव है कि गांव सभाओं ने जो टैक्स लगाये उन में से २५ प्रतिशत भी वसूल नहीं हुए क्योंकि प्रधानों और गांव-पंचायतों ने जो टैक्स लगाये उन में गांव-सभाओं की विशेष सलाह नहीं रही है और गैर उनकी इच्छा के ही वह टैक्स लगाये गये हैं और इसी कारण से इन टैक्सेज को कोई गांव सभा वसूल नहीं कर सकी है। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रधान और गांव पंचायत के लिए यह आवश्यक बन्धन हो कि वह इस प्रकार से एस्टीमेट पेश करे और उस पर गांव सभा की भी कंसेन्ट हो और अगर वह नामंजूर करदे तो उसका मतलब यह है कि वह बजट गांव-सभा की इच्छा के विरुद्ध है और जो लोग वहां मौजूद हैं उनमें से अगर तीन चौथाई बजट को पास नहीं करते हैं तो इसका मतलब यह होगा कि गांव-सभा उनमें विश्वास नहीं करती है। इसलिए मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संशोधन को स्वीकार करने की कृपा करें।

*श्री मोहन लाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर प्रेसीडेंट को हटाने की बात है तब उस का प्राविजन है जो आगे खंड १६ में आयेगा और उसमें १५ दिन की नोटिस के बाद स्पेशल मीटिंग बुलायी जावेगी और दो तिहाई मेजारिटी से उसको हटाया जा सकता है। श्री जोरावर वर्मा की मुख्य आपत्ति तो यह खत्म हुई और इस तरह से संशोधन की जान जो थी वह तो निकल गयी। जिस तरह से उन्होंने आगे रखा है उसमें है कि "report of business including accounts duly passed by the gram-panchayat before the gaon sabha जब रिपोर्ट तैयार हुई और वह पंचायत के पास गयी और एकाउन्ट पेश हुआ और उसको अगर गांव सभा ने, उसकी तीन चौथाई मेजारिटी ने अस्वीकार कर दिया तब वह प्रधान भी अलग हो जायगा और पंच भी इस्तीफा दें देंगे और नया चुनाव होगा। इस तरह के वोट आफ नो कानफिडेंस में ईशू क्लीयर होना चाहिये। रिपोर्ट में तो तमाम चीजें होती हैं, बहुत सी चीजें जो अस्वीकार हो सकती हैं। वह हिसाब भी जो पेश होगा वह भी तो वही होगा जो बजट में पास हो चुका है, उसी खर्च का वह हिसाब होगा और अगर बजट के बाहर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री मोहनल ल गौतम]

की चीज पास की है तो अलग ही सवाल उठ सकता है और सरचार्ज का मामला आ जाता है। अगर इन सब चीजों को निकाल कर प्राविजन कर दें तो नो कानफिडेंस का प्रस्ताव लाने में दिक्कत होगी और एक्जीक्यूटिव पावर उसके लिए देनी पड़ेगी और इस तरह से बहुत काफी दिक्कत पैदा होगी और इशूज साफ न होंगी । अगर आप वोट आफ नो कन्फीडेंस लाना चाहते हैं और गांव सभा से निकालना चाहते हैं तो उसके लिये प्राविजन इसमें अलग है। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि माननीय जोरावर सिंह जी जब उनके प्रस्ताव की भावना का प्राविजन हो गया है और जब इसके लाने से बहुत सी कठिनाइयां दिखायी पड़ती हैं तो अपने संशोधन को वापस ले लेंगे ।

श्री जोरावर वर्मा--मैं चाहता था कि जैसे गवर्नमेंट ने अपने यह अधिकार इसमें सुरक्षित कर लिये हैं १२ (जी) में कि वह चाहें तो गांव सभा को डिजाल्व कर दें तो मैं समझता हूं कि ६ महीने के लिये गांव सभा को अधिकार दे दें तो ज्यादा अच्छा था और ऐसा करने के लिये कोई स्पेशल मीटिंग नोकान्फीडेंस वगैरह लाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो मैं समझता हूं कि जब गवर्नमेंट को १२ (जी) के अन्दर अधिकार है तो गांव को दे दिया जाय तो अधिक अच्छा हो। लेकिन माननीय मंत्री जी इससे सहमत नहीं हैं इसलिए मैं इसको वापस लेता हूं ।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया ।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १५ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खण्ड १६

यू० पी ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १४ का संशोधन ।

१६--मूल अधिनियम की धारा १४ के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"14. The Gaon Sabha may at a meeting specially convened for the purpose and of which at least 15 days previous notice shall be given remove the pradhan and-up pradhan by a majority of two-thirds of the members present and voting. The procedure to be followed at the meeting shall be such as may be prescribed."

Remval of Pradhan and up-Pradhan.

*श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से निम्नलिखित संशोधन पेश करता हूं:--

खंड १६ में प्रस्तावित धारा १४ की पंक्ति ४ में शब्द "Vice-President" तथा शब्द "up-pradhan" निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, यह जो धारा है इसमें गांव सभा के प्रधान को निकालने का प्राविजन है लेकिन माननीय मंत्री जी ने उप-प्रधान को भी उसमें रखा है। मेरा ऐसा ख्याल है जैसा इस ऐक्ट में है और सब जगह होता है कि जो आदमी जिसको चुनता है उसी को हटाने का अधिकार होता है लेकिन उप-प्रधान को तो गांव सभा चुनती नहीं है इसलिये उसको हटाने का भी अधिकार नहीं होना चाहिये। उसके हटाने के लिए इसमें मैंने आगे एक

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

संशोधन रखा है उसे आगे बताऊंगा लेकिन उसके हटाने का प्राविजन यहां रखना अच्छा नहीं है। इसलिये मैं आशा करता हूं कि मंत्री महोदय इस संशोधन को स्वीकार करेंगे।

*श्री मोहन लाल गौतम--माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हम ऊपर धाराओं को स्वीकार कर चुके हैं कि एक प्रधान है और एक उपप्रधान है। प्रधान का चुनाव तो गांव सभा से होगा लेकिन उप प्रधान का चुनाव गांव पंचायतें करेंगी ऐसा हम स्वीकार कर चुके हैं। लेकिन जब वह चुन गया तो फिर अगर गांव सभा उसको उसके किसी ऐसे कार्य के लिये निकालना चाहती है जो अहितकर हैं तो उसको अलग करने का अधिकार उसे होना चाहिये। अब सवाल यह है कि जिसको जो चुने उसको ही निकालने का अधिकार हो ऐसा जरूरी नहीं है। जिन लोगों को जिनने चुना हो वही अलग करें और दूसरा कोई न करे ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसा होता भी है और नहीं भी होता है। इसमें कोई असंगत बात नहीं है। मुझे आशा है कि मेरी इस बात को वे स्वीकार करेंगे और फिर अगर उनके संशोधन को स्वीकार करते हैं तो फिर उप-प्रधान चाहे जितनी धांधली करे जो एक्जीक्यूटिव गांव सभा की होगी वह अपने को हेल्पलेस पायेगी और उसको अलग नहीं कर सकेगी चाहे कितना ही वह उसके कार्य को नापसन्द करे। जो बात उनको असंगत मालूम होती है उसका जवाब मैंने दे दिया। इसलिए अब मुझे आशा है कि वे अपने संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री जोरावर वर्मा--अध्यक्ष महोदय, गांव सभा को तो पूरा अधिकार गांव पंचायतों को हटाने का है, उससे अगर वह लोग चाहें तो पूरी पंचायतों को हटा दें, उससे प्रधान भी अलग हो सकते हैं और उपप्रधान भी। लेकिन अगर माननीय मंत्री जी को दिक्कत मालूम होती है तो मैं इसको वापस लेता हूं।

(सदन की अनुमति से संशोधन वापस लिया गया।)

श्री अध्यक्ष--प्रश्न यह है कि खंड १६ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खण्ड १७

१७--मूल अधिनियम की धारा १५ में--

[(१) खंड (*h*) में शब्द "*hats*" और शब्द "within" के बीच शब्द "held on land vested in the Gaon Samaj established under section 113 of the Uttar Pradesh Zamindari Abolition and Land Reforms, Act, 1950" [be] रख दिय जाँय]

(१) खंड (*h*) में शब्द "State Government" तथा शब्द "and" के बीच में शब्द "or the District Board" रख दिये जायं ;

यू०पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १५ का संशोधन।

(२) खंड (*t*) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय--

"(t) the maintenance and control of class (1) and Kaiser-Hind forests, waste lands (benap), water channels and drinking places (panghat) in the hill patties of the Kumaon Division".

श्री कृपाशंकर--अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ में उपखंड (१) के पहले निम्नलिखित नया उपखंड रखा जाय--

खंड (g) में शब्द "the disposal of" के बाद आने वाले शब्द "the dead bodies of human beings and animals" के स्थान पर "dead bodies and carcasses" रख दिया जाय।

अध्यक्ष महोदय, यह संशोधन भाषा की शुद्धि के लिये रक्खा गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष---यह नया खंड कौन सा है, ठीक समझ में बात आयी नहीं ।

श्री मोहन लाल गौतम---ओरीजिनल ऐक्ट की धारा १५ के उपखंड (g) regulating places for the disposal of the dead bodies of human beings and animals and of other offensive matter जो है उसमें शब्द "dead bodies of human beings and animals" के स्थान पर श्री कृपा शंकर जी "dead bodies and carcasses" रखना चाहते हैं। उनको "the dead bodies of human beings and animals" शब्द अच्छे नहीं मालूम हुए इसलिये वह चाहते हैं कि उनके बजाय "dead bodies and carcasses" शब्द रख दिये जायं ।

श्री अध्यक्ष---इसमें जो १७ वां क्लाज है उसमें सेक्शन १५ को आपने अमेंड किया है ?

श्री मोहन लाल गौतम---मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (g) में शब्द "dead bodies of human beings and animals" के स्थान पर शब्द "dead bodies and carcasses" रख दिये जायं । यानी प्रिंसिपल ऐक्ट की धारा १५ से इनका मतलब है ।

मूल अधिनियम की धारा १५ के खंड (g) में यह चेंजेज हो जाय, यह मतलब है ।

श्री अध्यक्ष---फिर उसके बाद मैं लूंगा क्योंकि यह बड़ा कन्फ्यूजिंग सा है ।

श्री कृपाशंकर---अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के अधीन प्रस्तावित धारा १५ के कोष्ठांकित उपखंड (१) के बाद आने वाले उपखंड (१) को पूरा रेखांकित किया जाय ।

श्री अध्यक्ष---इसको आप पूरा रेखांकित करना चाहते हैं ।

महाराज कुमार बालेन्दुशाह---अध्यक्ष महोदय, मुझे यह निवेदन करना था कि इससे पहले जो संशोधन माननीय स्वशासन मंत्री ने पेश किया था उसकी क्रम संख्या १ बनेगी क्योंकि वह "जी" है जो पहले से है यह "एच" है तो यह दो बनेगी और "आई" आता है वह नम्बर तीन बनेगा क्योंकि वह संशोधन जो मंत्री महोदय ने पेश किया था वह अमेंडिंग बिल में १७ अन्डर सेक्शन १५ आफ प्रिंसिपल ऐक्ट में बन कर आया है । "Corpses" रेखांकित दोनों के सामने आया है ।

श्री अध्यक्ष---हां, तो "H" को मैं ले रहा हूं । उसको अभी छोड़ देता हूं क्योंकि वे उसे रीड्राफ्ट करना चाहते हैं । तो आगे बढ़ रहा हूं, जरा इसको साफ कर दें । रेखांकित करने का क्या मतलब है ?

श्री कृपाशंकर---मूल अधिनियम की धारा १५ के उपखंड "एच" में ऐसा जोड़ दिया जाय ठीक होगा । खंड १७ के उपखंड "ए" में शब्द "impose" के बाद "or under the Act" रखा जाय तो ठीक होगा ।

श्री अध्यक्ष---खंड १७ के अधीन प्रस्तावित धारा १५ के कोष्ठांकित उपखंड (१) के बाद आने वाले उपखंड (१) को पूरा रेखांकित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री मोहन लाल गौतम---माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूं कि क्या इससे काम नहीं चलेगा ? खंड "H" में शब्द जो है तो उसी तरह खंड "G" में शब्द डिसपोजल के बाद आने वाला यह कर दिया जाय तो मूल अधिनियम की धारा १५ ऐसी हो जायगी । तो मेरे ख्याल में कोई क्लाज आगे जोड़ा जाय यह मेरी समझ में आ नहीं रहा है । और वह शाब्दिक होगा तो आप देख लीजियेगा ।

श्री अध्यक्ष--अगर ऐसी चीज है तो आपको अधिकार है। मुझे शिकायत नहीं मालूम होती।

महाराजकुमार बालेन्दुशाह---उसमें नम्बर का फर्क पड़ेगा। अगर पहले आता है तो नम्बर चेंज करना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष--हां, वह तो है, वह दुरुस्त किया जा सकेगा। प्रश्न यह है कि खंड १७ में उपखंड (१) के पहले निम्नलिखित नया उपखंड रखा जाय ---

"खंड (g) में शब्द "the disposal of" के बाद आने वाले शब्द "the dead bodies of human beings and animals" के स्थान पर "dead bodies and carcasses" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्म सिंह---अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (१) (अ) रख दिया जाय---

"१ (अ)---मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (o) में शब्द "and the election of Panches on the panel of the Panchayati Adalat according to the provisions of this Act and rules made thereunder" निकाल दिये जायं।

अध्यक्ष महोदय, जब हम इस धारा को पढ़ते हैं और उसके बाद में यह सोचते हैं कि जो ये न्याय पंचायतें बनायी जा रही हैं वे एक नये तरीके से बनायी जा रही हैं और जो १२ -ए है उसमें जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी रखी गयी है और जो अदालती पंचायतों का पैनेल होगा उसका कोई संबंध नहीं रहा और जो धारा ४३ है उसको अगर हम देखते हैं तो उसमें जो प्रेस्क्राइब्ड अथारिटी है उससे अगर इस चीज को रखते हैं तो हमारा जो मतलब है वह पूरा नहीं होता है। क्योंकि जब हम उस धारा को पढ़ते हैं जिसमें पावर्स, ड्यूटीज, फंक्शन ऐंड ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ ए गांव पंचायत है और फिर एडमिनिस्ट्रेशन आफ सिविल ऐंड क्रिमिनल जस्टिस इन दि इलेक्शन वगैरह है, तो यह वैसे एक टेक्निकल बात है और मैं समझता हूं कि अगर हम इसको रखते हैं तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर लें।

श्री मोहन लाल गौतम---यह बहुत सुन्दर संशोधन है और मुझे स्वीकार है और जो सुझाव माननीय सदस्य ने दिया है उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि खंड १७ के उपखंड (१) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड (१) (अ) रख दिया जाय।

"१ (अ)---मूल अधिनियम की धारा १५ की उपधारा (o) में शब्द "and the election of Panches on the panel of the Panchayati Adalat according to the provisions of this Act and rules made there under" निकाल दिये जायं।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री धर्म सिंह---अध्यक्ष महोदय, जो मैंने यहां पर संशोधन रखा है और मैंने उसकी कापी आपको दे दी थी आपकी आज्ञा से मैं उसको पेश करता हूं :---

"खंड १७ में मूल अधिनियम की धारा १५ में खंड (r) में "manure" के बाद तथा सेमीकोलन से पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं ---

"and for tanning and curing of hides"

[श्री धर्म सिंह]

इसके रखने का मतलब यह है कि अगर हम पावर्स, ड्यूटीज फंक्शन्स ऐंड ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ गांव पंचायत के डिस्क्रोशनरी फंक्शन्स को देखते हैं जो कि १६ वां प्राविजन है तो उसमें जो क्लाज है उसमें एलाटमेंट आफ प्लेस फार रेस्टोरिंग मैन्योर है और इसके साथ साथ अगर हम और आगे पढ़ते तो उसी खंड में १६ वीं में (एम) धारा है उसमें यह है कि २२० गज आबादी के बाहर चमड़े का टैनिंग और डाइंग वगैरह हो सकता है। तो अध्यक्ष महोदय, जब हमने यह प्राविजन कर रखा है कि कोई भी आदमी जो चमड़े का काम करता है उसको उस काम के करने के लिये २२० गज आबादी के बाहर करना पड़ेगा। ऐसी हालत में जब दिन प्रति दिन उनकी हालत को देखते हैं जो ग़रीब आदमी चमड़े का काम करते हैं, वह कहां करें तो एक समस्या उपस्थित हो जाती है क्योंकि ग्राम में आदमी उनको जगह नहीं देते हैं। जब समस्या को देखते हैं कि उनको जगह नहीं मिलती है और उनका काम बहुत बड़ा है और कोई भी गांव का आदमी जगह देने को तैयार नहीं होता और किसी भी क़ीमत पर उनको जमीन नहीं मिलती। ऐसी हालत में क्यों न पंचायतें इस तरह का प्राविजन करें या इस तरह का रेजोल्यूशन पास करें या कोई भी चीज करें कि जो भी आदमी चमड़े का काम करे उसके लिये जमीन का प्रबन्ध हो। क्योंकि हम देखते हैं कि जो लोग चमड़े का काम करते हैं वहीं उनका घर होता है, वहीं उनका खाना पीना होता है और वहीं उनके लिये रहन-सहन की व्यवस्था होती है और उनकी जिन्दगी बहुत खराब हो जाती है। इधर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा जब गंदगी रहती है तो उनका चालान होता है और नतीजा यह होता है कि वह इस काम को छोड़ने के लिये मजबूर हो जाता है।

अध्यक्ष महोदय, जहां तक उत्तर प्रदेश का सम्बन्ध है लाखों की तादाद में लोग इस काम को करते हैं और यदि हम इनको सहायता नहीं देते हैं तो हमारे प्रदेश की एक बहुत बड़ी तिजारत को धक्का लगेगा। मैं समझता हूं कि यह अत्यन्त उपयोगी है इसलिये इसको रक्खा जाय। मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वे इसको स्वीकार कर लें।

*श्री रामदास आर्य--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के उन भावों को सराहना करता हूं कि जिन भावों से माननीय मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया है, इसको मानने के लिये। आज हमारे प्रदेश में चमड़े की बड़ी भारी आवश्यकता है, उसको देखते हुये चमड़े के उद्योग को उन्नत करना चाहिये। आज यह हो रहा है कि अपने गांव में चमड़े के लिये स्थान बहुत ही न्यून है और बहुत से कारखाने गांवों के अन्दर आ गये हैं। इसकी वजह से दूसरे गांव वालों के स्वास्थ्य पर भी उसका बुरा असर पड़ता है क्योंकि जहां चमड़े के टैनिंग के कारख़ाने होते हैं, जहां चमड़े रंगने का काम होता है, वहां बड़ी बदबू रहती है, और जहां चमड़े को छीला जाता है, पानी में डाला जाता है वहां तो बहुत अधिक बदबू हो जाती है। इसलिये सफ़ाई के लिहाज से यह बहुत जरूरी हो जाता है कि चमड़े के कारख़ाने गांव से बाहर रक्खे जायं। जो चमड़े का काम करते हैं उसके स्वास्थ्य पर ही असर नहीं पड़ता है बल्कि दूसरे लोगों के स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ता है। गांव के पास जहां तालाब होते हैं वहां यह चमड़ा साफ़ करते हैं। उसकी वजह से पानी में बदबू हो जाती है इसलिये ऐसे पानी का प्रबंध अलग होना चाहिये ताकि जानवरों को किसी किस्म की तकलीफ न हो। इन सब आवश्यकताओं को देखते हुये और आबादी बढ़ती जाती है उसकी वजह से जो कारख़ाने पहले गांव के बाहर थे वे अब अन्दर आते जा रहे हैं। इसलिये इस बात की गुंजाइश होनी चाहिये कि चमड़े के कारख़ाने गांव से २२० गज के फासले पर हों ताकि गांव वालों का स्वास्थ्य ठीक रहे। जो लोग इस काम को करते हैं उनके खाने पीने और रहने सहने का स्थान अलग होना चाहिये। गांव समाज को अधिकार दिया जाय कि वह चमड़े के काम करने वालों को जगह दें और ऐसा मेरा ख्याल है कि अपने देश की उन्नति के लिये उनको जमीन फ्री मिलनी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

चाहिये और यदि ऐसा न हो सके तो मामूली क़ीमत ली जाय और वह जगह गांव से बाहर होनी चाहिये। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर विचार करें और इस संशोधन को स्वीकार करें। इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधन का समर्थन करता हूं।

श्री मोहन लाल गौतम—इन तमाम दलीलों के बाद जो दो माननीय सदस्यों ने दी है, मैं उनका समर्थन करते हुये इस संशोधन को स्वीकार करता हूं।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १७ में मूल अधिनियम की धारा १५ में खंड () में " manure " के बाद, तथा सेमीकोलन से पूर्व निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जायं—

"and for tanning and curing of hides."

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कृपाशंकर—मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड १७ में उपखंड (१) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (१-क) रखा जाय—

"(१-क) खंड (s) में शब्द "imposed by" के बाद शब्द "or under this Act or" रखा जाय।"

श्री अध्यक्ष—प्रश्न य है कि खंड १७ में उपखंड (१) के बाद निम्नलिखित नया उपखंड (१-क) रखा जाय—

"(१-क)खड (s) में शब्द "imposed by" के बाद शब्द "or under this Act or" रखे जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि संशोधित खंड १७ इस विधेयक का अंग माना जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

खंड १८

१८—मूल अधिनियम की धारा १६ में—

यू० पी० ऐक्ट २६, १९४७ की धारा १६ का संशोधन।

(१) खंड (*b*) में शब्द "them" और उसके बाद पड़ने वाले सेमीकोलन के बीच में शब्द "including the maintenance of pedigree bulls.'"

(२) खंड (*l*) में शब्द "sweepings" और उसके बाद पड़ने वाले सेमीकोलन के बीच में शब्द "and making arrangements for the disposal of carcasses of animals"; रख दिये जायं; और

(३) खंड (*r*) के बाद निम्नलिखित नया खंड (*s*) जोड़ दिया जाय—

"(*s*) making arrangements for the seizure and disposal of stray cattle, stray dogs, wild animals and monkeys."

श्री कृपाशंकर—मैं प्रस्ताव करता हू कि खंड १८ के उपखंड (१) की अन्तिम पंक्ति में शब्द "pedigree bull" के उपरांत सेमीकोलन रखा जाय और उप खंड के अन्त में आने वाले कोष्ठक और उसके अन्दर स्थित कोलन को हटा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि खंड १८ के उपखंड (१) की अंतिम पंक्ति में शब्द "pedigree bull" के उपरान्त सेमीकोलन रखा जाय और उपखंड के अन्त में आने वाले कोष्ठक और उसके अन्दर स्थित कोलन को हटा दिया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बजे अगले दिन ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ ;
६ मई, १९५४ ।

कैलास चन्द्र भटनागर,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ व ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७४ पर।)

लखनऊ जिले में पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत होने वाले विकास कार्य की सूची

१--सिंचाई

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिले में नहरों के विस्तार में तेजी से कार्य हुआ जिसके परिणाम स्वरूप जिले में १९५२ ई० में नहरों द्वारा १,२७,०४२ एकड़ क्षेत्रफल की सिंचाई होने लगी। इस कार्य में पुनः विस्तार हो रहा है और सन् ५६ ई० तक नहरों द्वारा प्रति वर्ष १,४४,२८१ एकड़ क्षेत्रफल की सिंचाई की जा सकेगी।

ट्यूबवेल की संख्या १९४६ में १७ से बढ़ कर १९५२ ई० में ३२ हो गई। शीघ्र ही २० नलकूपों का और निर्माण हो सकेगा। जिले में सहकारी समितियों द्वारा ७ नलकूप तथा ७ व्यक्तिगत नलकूप इस वर्ष निर्मित होंगे। शासकीय नलकूप शासकीय फार्मों और जंगलों में लगाये जा रहे हैं।

सन् १९५२ ई० में जिले में कुल १०२ पम्पिंग प्लान्ट थे। ५३, ५४ में सहकारी समितियों और पंचायतों द्वारा ६ पम्पिंग प्लान्ट चलाये गए। शासन ने १३ पम्पिंग प्लान्ट्स के लिये तकावी की सहायता जिले को प्रदान किया है।

सिंचाई के कुओं से सिंचाई हो रही है। प्रतिवर्ष १४५ कुओं के हिसाब से सिंचाई के कुओं का निर्माण हो रहा है और लगभग १२० कुओं में प्रतिवर्ष के हिसाब से बोरिंग होती है। ५२, ५६ में १७५ रहट प्रतिवर्ष के हिसाब से लगाई जायंगी।

२--कृषि

इस समय जिले में १८ स्थायी और एक घूमने वाले सीड स्टोर हैं जिनमें प्रति सीड स्टोर में १,५०० प्रति मन से ८,००० प्रतिमन तक बीज रखा जाता है। दो और सीड स्टोर बनाने का प्रयत्न जारी है। जिला नियोजन समिति ने जिले में बहुत से सीड बैंक खोलने की योजना को स्वीकृत कर लिया है जिसके अनुसार अच्छे बीजों के रजिस्टर्ड एकत्रीकरण की योजना है। इस प्रकार आशा की जाती है कि १९५६ ई० तक सिंचित भूमि का अधिक भाग उन्नतिशील बीजों से परिपूरित हो जायगा।

प्रान्तीय शासन ने भूमि और ऊसर जमीन को कृषि योग्य बनाने का कार्य बड़े स्तर पर प्रारम्भ किया है। रहीमाबाद ऊसर फार्म और रहमान खेरा भूमि संरक्षण फार्म शासन द्वारा चलाये जा रहे हैं। इसके सिवाय ७,००० एकड़ ऊसर भूमि व्यक्तिगत साधनों से किसानों द्वारा उपजाऊ बना कर कृषि योग्य की जा रही है। कानपुर सड़क पर एक ऐसे क्षेत्र में जो मुख्यतः ऊसर क्षेत्र कहा जा सकता है एक राष्ट्रीय विकास क्षेत्र खोला गया है।

कृषि के उत्पादन को ऊपर उठाने के लिये ५२,५३ में ८३६ कृषि यंत्र प्रयोग में लाये गये। सन् १९५६ तक १,५०० उन्नतिशील कृषि यन्त्रों को प्रयोग में लाने की योजना है। कृत्रिम खाद कम्पोस्ट तथा हरी खाद के प्रयोग का अधिकाधिक प्रचार किया जा रहा है। उन्नत विधियों द्वारा प्रति वर्ष १६१० कृषि प्रदर्शनों का प्रबन्ध किया जाता है।

जिले में फसल प्रतियोगिता का कार्य व्यापक स्तर पर हो रहा है। कृषि रक्षा सेवा की एक इकाई जिले में कार्य कर रही है और टिड्डियों के विनाश, गन्धी चूहे तथा मैंगों हापर के विनाश का कार्य कर रही है। मैन्गों हापर से बचाव के लिये औषधियों के छिड़काव का कार्य गहन स्तर पर प्रारम्भ किया गया है। कृषि को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों से बचाव के लिये कृषि नाशक औषधियों को सस्ते दामों पर सहकारी केंद्रों द्वारा विक्रय कराया जा रहा है तथा उनका प्रचार किया जा रहा है।

३—बागबानी और वृक्षारोपण

सिंचाई के छोटे साधनों के अधिक उपलब्ध होने के कारण साग सब्जियों का उत्पादन का प्रचार बहुत बढ़ रहा है। साग सब्जियों सम्बन्धी अनुसंधान फार्म जिले में चल रहे हैं। शहर में आलू के बीजों को सड़ने से सुरक्षित रखने के लिये एक कोल्ड स्टोरेज उपलब्ध है और देहातों में इस प्रकार के कोल्ड स्टोरेज बनाने के लिये कार्य किया जा रहा है। शिक्षण केन्द्रों में किचेन गार्डन, बागवानी और साग सब्जी को छोटे-छोटे खेतों में पैदा करने का प्रचार किया गया है।

निम्नलिखित तालिका वृक्षारोपण के विषय में है जिसमें इस छोटे से जिले में विगत तीन साल के वृक्षारोपण की स्थिति ज्ञात हो सकेगी।

वर्ष	पेड़ जो लगाये गये		पेड़ जो बचे	
	फलदार	गैर फलदार	फलदार	गैरफलदार
१९५१ ..	२४,१६८	३,७१८	१४,५७७	१,४४०
१९५२ ..	३९,११९	६,९१४	२३,३४२	३,४००
१९५३ ..	६४,३४०	१,१३,३९७	ग्रीष्म ऋतु	के उपरान्त गिना जायगा
योग ..	१,२७,६२७	१,२४,०२९		

४—गन्ना विकास

गन्ने की औसत पैदावार सन् १९४६ ई० में ३०० मन प्रति एकड़ से बढ़ कर सन् १९५२ ई० में ३४० मन प्रति एकड़ हो गई। गन्ना विभाग का एक अपना बीज भंडार, एक ट्रैक्टर तथा एक पंम्पिंग सेट है।

५—सहकारिता

इस छोटे से जिले के अन्तर्गत ५७१ सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं। ३०० नई समितियां और संगठित की जा रही हैं ताकि जिले के समस्त ग्राम सहकारी आन्दोलन के अन्तर्गत आ जावें।

१८ विकास संघ तथा १ दुग्ध संघ जिले में कार्य कर रहे हैं। जिले में एक सहकारी बैंक तथा एक जिला सहकारी विकास संघ (डी० सी० डी० एफ०) भी है जो रुपये के लेन देन का भी कार्य करते हैं। सन् १९५२, ५३ में समितियों द्वारा अपने सदस्यों को लगभग ५ लाख रुपया दिया गया। सन् १९५६ तक इसे बढ़ा कर १२ लाख प्रतिवर्ष कर देने की योजना है।

१३ बीज भंडार चालू हैं और यूनियन्स अपने बीज गोदामों के भवन भी निर्माण करा रही हैं। सन् १९५६ तक जिले में १७ बीज गोदामों के पक्के भवन बन जावेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में १० सहकारी भट्टे भी चल रहे हैं।

६—चचिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य

संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिये जिला स्वास्थ्य अधिकारी तथा संक्रामक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा गहन उपाय काम में लाये जा रहे हैं। जिनके फलस्वरूप गत दो वर्षों से संक्रामक रोग पूर्णतया नियन्त्रित है। सन् १९५२-५३ ई० में जिले भर में हैजे के ४,७०,२७५

चेचक के ३५,१०० और ताउन के ७,३९२ टीके लगाये गये इस वर्ष जिले में मलेरिया निषेधक कार्य भी हो रहा है और डी० टी० टी० के छिड़काव का प्रबन्ध भी किया गया है। चहा मारने का आन्दोलन भी स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा चलाया जा रहा है। गांवों को अधिक साफ सुथरा रखने के लिये नियोजन तथा स्वास्थ्य अधिकारियों द्वारा नालियां बनायी जा रही हैं। गलियां पक्की की जा रही हैं। लालटेंने लग रही हैं साफ पानी के कुओं का निर्माण हो रहा है और कुओं को नियमित रूप से कीटाणु मुक्त किया जाता है। गांवों में पाखाना साफ़ करने के तरीक़ों में भी सुधार करने की चेष्टा की जा रही है। प्राथमिक चिकित्सा की शिक्षा का भी आयोजन किया गया है।

७---पशु पालन

(अ) पशु चिकित्सा--

जिले को रेन्डरपेस्ट रोग से पूर्ण रूपेण मुक्त करने का आन्दोलन सफलतापूर्वक चलाया गया। ३.२ लाख टीके लगाये गये जिसके फलस्वरूप इस वर्ष केवल २ या ३ केस ही हुये। रोग को पूर्णतया नियन्त्रण में रखने के लिये प्रति वर्ष ४०,००० टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। जानवरों के इलाज तथा टीके लगाने के लिये सिरम तथा वेक्सीन बनाने के हेतु लखनऊ में एक वाइयोला त्रिवल उत्पादन सेक्शन खोला गया है।

(ब) नस्ल सुधार---

जिले के विभिन्न क्षेत्रों में नस्ल सुधारने हेतु ४६ सांड़, १६ भैंसें, २ भेड़ें, ११ बकरा, १६ सुअर और १ घोड़ा वितरित किये गये। १९५६ तक इस संख्या में क्रमशः ३०,२४,२५,३०,२० और १ की वृद्धि की जावेगी। प्रतिवर्ष ९,००० निकम्मे साँड़ों तथा बछड़ों को बधिया किया जाता है।

वैज्ञानिक तरीकों के आधार पर ३०० जानवरों के बाड़े निर्मित किये जा चुके हैं। सन् १९५६ ई० तक यह संख्या १,२०० हो जावगी। जिले में हरे चारे जैसे बरसीम के पैदा करने की ओर क़दम उठाये गये हैं और चारागाहों को भी सुधारा जा रहा है। सन् १९५६ तक ७ एकड़ भूमि में चारे की उन्नतिशील खेती होने लगेगी।

चक गजरिया में एक विशाल मिकेनाइज्ड राजकीय फार्म चलाया जा रहा है जिसमें एक बड़े कृषि फार्म के अलावा उन्नतिशील नस्लों की गायों भैंसों तथा मुर्गियों के ठाक रखने के प्रदर्शन किये जाते हैं।

८—आवागमन

लखनऊ में पक्की (मेटिल्ड) सड़कें पर्याप्त मात्रा में हैं। स्टार तथा ग्रिड फार्मूला के अनुसार लखनऊ में ६६ मील पक्की सड़कें होना चाहिये और ४३० मील कच्ची (अनमेटल्ड) सड़कें। पर इस समय लखनऊ में ११८ मील पक्की सड़कें हैं और सन् १९५६ ई० तक १७ मील और बन जायंगी।

लखनऊ में कच्ची सड़कों की कुल लम्बाई उपरोक्त फार्मूले द्वारा निर्धारित आवश्यकता से ३७२ मील कम थी। पिछले वर्ष श्रमदान द्वारा १०९ मील लम्बी कच्ची सड़कें बनाई गईं। इस वर्ष १६५ मील १ फर्लांग १०८ गज लम्बी कच्ची सड़क बनाई गई। इस प्रकार २६० मील १ फर्लांग १०८ गज कच्ची सड़क बन चुकी है। शेष चतुर्थ श्रमदान आन्दोलन के अन्तर्गत बनायी जायगी।

श्रमदान---

उपरोक्त सभी कार्य जिले में विगत वर्षों में नियोजन विभाग के प्रयास से हुये हैं। इन कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास गांव वालों के पास पहुंचने का ढंग है। और गांवों के निवासियों को अपनी स्थिति सुधारने का उत्साह दिलाना है। गांव वाले अधिक टिकाऊ सार्वजनिक कार्यों पर श्रमदान देते हैं और अपनी परिस्थितियों को सुधारने का दृढ़ निश्चय प्रकट करते हैं।

९—शिक्षा

४९ जूनियर हायर सेकेण्डरी स्कूल और ३२ हायर सेकेण्डरी स्कूल जिले में चल रहे हैं १७ पुस्तकालय तथा ४५ वाचनालय जिले में पिछले वर्ष खोले गये थे। सैनिक शिक्षा युवकों को एन० सी० सी० तथा पी० ई० सी० द्वारा दी जाती है।

नियोजन विभाग के कर्मचारियों के लिये विभिन्न विभागों के शिक्षण के लिये जिले में २ शिक्षण शिविर चलते हैं जिनमें एक बख्शी का तालाब तथा दूसरा प्रान्तीय रक्षक दल के मुख्य कार्यालय के पास है।

१०—हरिजन वेलफेयर

हरिजनों को गृह उद्योग के धन्धे चलाने के लिये आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। १४,४०८ रु० ५२, ५३ में चमड़े बढ़ईगिरी तथा अन्य कारोबार करने के लिये हरिजनों को दिया गया। इस वर्ष हरिजनों को २४,३०० रु० दिया गया है। हरिजनों की १८ सहकारी समितियां उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु काम कर रही हैं। बख्शी तालाब पर हरिजनों को वैज्ञानिक ढंग से चमड़ा साफ करना सिखाने का एक व्यापारिक केंद्र खोला गया है। इसमें प्रतिवर्ष शासन द्वारा ८५,००० रु० क्षात्रों को १ होस्टल , पुस्तकालय, रात्रि पाठशाला फीस तथा पुस्तकों को क्रय करने में व्यय होता है। यह आशा की जाती है कि ५६ तक शासन द्वारा जिले में ३ लाख रुपया इस कार्य पर व्यय होगा। शासन हरिजनों को कुओं के निर्माण के लिये काफी सहायता देती है। जिले में १०३ पानी पीने के कुओं के हेतु हरिजनों को सहायता प्रदान की गई है। भवन निर्माण के लिये भी हरिजनों को सहायता दी गई।

पंचायत

जिले में नियोजन के कार्य का सारा भार गांव सभाओं पर है। यह कहना अनुचित न होगा कि इस जिले में पंचायतों ने निर्माण कार्य में अत्याधिक रुचि दिखलायी है। पंचायतों ने प्रारम्भ से सन् १९५३ तक १८ पक्के और २१ कच्चे पंचायत घरों का निर्माण किया है। १९५३-५४ ई० में लगभग ४० पक्के पंचायत घरों का निर्माण किया जा रहा है। वर्तमान वर्ष में निर्मित इसमाइलगंज गरम्भा, बिजनौर सालेनगर तथा वरगवां के पंचायत घर उल्लेखनीय हैं। सन् १९५६ तक का लक्ष्य १८६ है।

पंचायतों ने अब तक जिले में कुल १४४ लालटेनें लगवाई हैं। इस वर्ष में १०० लालटेंने क्रय की गई हैं। तथा ५०० लालटेनें के लगवाने का प्रबन्ध किया जा रहा है। सन् १९५६ तक का लक्ष्य १४८० है।

प्रारम्भ से सन् ५३ तक पचायतों ने ५४ पुस्तकालयों का स्थापना की। वर्तमान वर्ष में २० और पुस्तकालयों के खोलने की व्यवस्था की गई है। जिसमें १० पुस्तकालयों के हेतु पुस्तक क्रय कर ली गई हैं और अन्य प्रबन्ध किये जा रहे हैं। सन् ५६ तक का लक्ष्य १८६ है। पचायतों द्वारा क्रय किये गये रेडियो की संख्या १० है। इसी प्रकार सामुदायिक श्रवण योजना द्वारा प्रदत्त रेडियो की संख्या भी लगभग २५ है। सन् ५६ तक का लक्ष्य ५० है। कच्ची सड़कें, तालाबों, रास्तों, गूलों आदि के निर्माण , मरम्मत तथा सफ़ाई के साथ साथ पंचायतों में पक्की सड़कों के बनवाने का भी उत्साह पैदा हो रहा है।

संक्षप में पचायतों ने अपने सीमित आर्थिक साधनों के होते हुये भी विभिन्न निर्माण कार्यों में अत्याधिक रुचि दिखलाई है।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ७ व ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७५ पर)

जिला बुलन्दशहर में पंचवर्षीय योजना के अधीन होने वाले कार्य की सूचना

कृषि सम्बन्धी विकास कार्य––इस जिले की विकास योजना में कृषि उन्नति की योजना को प्रथम स्थान दिया है।

उन्नतिशील बीज का वितरण––इस योजना के अन्तर्गत सन् १९५१–५२ में १४,१२८ मन रबी का और २,४८७ मन खरीफ का, १९५२-५३ में ११,९५७ मन रबी का और २,२२९ मन खरीफ का तथा १९५३–५४ में १५,६३१ मन रबी का और १,३४५ मन खरीफ का बीज बांटा गया। जिले में वर्ष १९५५, ५६ में ३४,५०० मन रबी बीज का वितरण करने का हमारा लक्ष्य है।

कृषि प्रदर्शन––कृषि विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार के कृषि सम्बन्धी प्रदर्शन किये जाते रहे हैं। जिनका यहां के किसानों पर अच्छा प्रभाव पड़ा है। उन्नतिशील बीज तथा खाद सम्बन्धी, खेत सम्बन्धी यांत्रिक फसलों के हेर फेर आदि के प्रदर्शन कुल मिलाकर सन् १९५१–५२ में ३६०३ तथा १९५२–५३ में २३८५ और दिसम्बर १९५३ तक १७०९ प्रदर्शन कराये गये हैं। हमारा लक्ष्य १९५३–५४ व १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में प्रतिवर्ष २१०० प्रदर्शन करने का निश्चय किया है।

उन्नतिशील कृषि यंत्रों का वितरण––सन् १९५१–५२ में उन्नतिशील यंत्र ६५, सन् १९५२–५३ में ३१७ और दिसम्बर १९५३ तक १४५ बांटे गये हैं। सन् १९५३–५४ व १९५४–५५ तथा १९५५–५६ में बांटने का लक्ष्य ४६० व ५५० और ५५० है।

खाद का उत्पादन और वितरण––हमारा यह लक्ष्य है कि हम प्रत्येक जानवर के पीछे एक टन कम्पोस्ट तैयार करें। सन् १९५१–५२ व ५२–५३ और ५३–५४ में दिसम्बर ५३ तक क्रमशः ७९० टन, २४२.५ टन, ३०३ टन ओमोनियम सल्फेट १९५२–५३ व ५३ ५४ में ४-४ टन सुपर फास्फेट बांटा गया और ५१–५२ तथा ५३–५४ में ७.५ टन तथा १.५ हड्डी की खाद बांटी गयी। इन तीन सालों में खली क्रमशः २,०१० मन २,३०४ मन तथा २९८ मन बांटी गयी। इन खादों के साथ-साथ हरी खाद जैसे मूंग टी १, ढेचा सनई आदि का वितरण भी निम्न प्रकार से किया गया।

	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४
मूंग टी १	३५ मन	१७४ मन	१५८ मन
सनई ढेंचा	२.२ टन	४.५ टन	४.७ टन

फसल प्रतियोगिता में भाग लेने वालों को कुछ विशेष सुविधायें देकर प्रांतीय सरकार ने इस योजना पर और भी प्रगति लादी है। इस सम्बन्ध में सरकार ने निम्न पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाया है जिससे अन्य कृषक भी इस योजना में भाग लेने के लिये प्रेरित हो सकें।

	१९५१–५२	१९५२–५३	१९५३–५४
पुरस्कार जो बांटे गये	१,४०० रु०	५,१०० रु०	६,३५० रु०

जिला बुलन्दशहर के एक कृषक जयपाल चन्द्र को आलू में ७३५ मन से अधिक पैदावार करने में प्रदेशीय तथा केंद्रीय सरकार द्वारा प्रथम पुरस्कार और कृषि पंडित की उपाधि प्राप्त हुयी। वर्ष १९५२–५३ की प्रदेशीय रबी फसल प्रतियोगिता में गेहूं की सबसे अधिक उपज करने में प्रथम पुस्कार इस जिले के कृषक श्री राम किशन सिंह, ग्राम बरकतपुर को प्राप्त हुआ। उन्होंने एक एकड़ में ५४ मन से अधिक गेहूं पैदा किया।

कपास की उन्नति--यह बहुत आवश्यक है कि जिले में सन् १९५५-५६ में कपास के क्षेत्रफल को ५०,००० एकड़ तक बढ़ाया जाय। यह पूरा क्षेत्रफल उन्नतिशील जातियों का है। इस सम्बन्ध में निम्नलिखित कार्य हो चुका है।

	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-४५
कपास का क्षेत्रफल	३०,०७१ एकड़	३०,८४१ एकड़	२४,६७७ एकड़
कपास का बीज जो बांटा गया	२,००४ मन देशी	१,९८२ मन देशी	९७१ मन सुधरा

उद्यान तथा वृक्षारोपण में सन् १९५२ से अब तक निम्नलिखित प्रगति हुई है

१---नवीन उद्यानों का लगाना--नवीन उद्यानों का क्षेत्रफल जो कि इस जिले में लगाना चाहिए था उसके लक्ष्य का १९५६ तक का योग १५४६ एकड़ निश्चित हुआ था जिसमें से अब तक ९०३.२५ एकड़ नवीन उद्यान रोपित हो चुके हैं।

२--पुराने उद्यानों का जीर्णोद्धार--जीर्णोद्धर का लक्ष्य १९५६ तक का ३,१९६ एकड़ निश्चित हुआ था जिसमें से अब तक १,७३८.५ एकड़ पुराने बागों का जीर्णोद्धार हो चुका है।

३--फलदार वृक्षों का रोपण संख्या--वृक्षारोपण केवल फलदार वृक्ष १९५६ तक के लक्ष्य का योग १,४९,१२४ वृक्ष निश्चित हुआ था जिसमें अभी ९१,२१४ वृक्ष लग चुके हैं। अन्य वृक्षारोपण का लक्ष्य २३,१९९ था। अनुमानतः गत ३ वर्षों में १०,००० से अधिक इस प्रकार के वृक्ष लगे हैं।

४--पौदागृहों की स्थापना---इसमें १९५६ तक केन्द्रीय पौदागृहों की स्थापना का लक्ष्य २ था और अन्य आर्थिक सहायता प्राप्त पौदागृहों का लक्ष्य १० था जिसमें से ३ तो केन्द्रीय पौदागृह कर दिये गये हैं और १० अन्य की व्यवस्था बीज इत्यादि बिना मूल्य के देकर स्कूलों तथा बीज गोदामों पर की गयी है।

५--शाक भाजी के बीजों का वितरण--इसका लक्ष्य १९५ पौंड बीज वितरण था जिसमें अभी तक १७१ पौंड वितरित किया जा चुका है।

वन लगाने की योजना

वर्ष १९५२, ५३ तथा १९५३,५४ में ११ मन बबूल के बीज का वितरण किया गया जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् बड़े बड़े चकों का ७,४४० एकड़ रकबा मुहकमा जंगलात को हस्तांतरित कर दिया गया है।

सिंचाई के साधनों का विकास

छोटे-छोटे सिंचाई के साधनों में पक्के कुंओं का निर्माण व मरम्मत कुओं में बोरिंग करना, रहट लगाना, पंपिंग सेट, लगाना तथा ट्यूबवेल इत्यादि हैं। इन कार्यों के लिये समय-समय पर छूट तकावी सामान की सुविधा दी गयी हैं जो कि इस प्रकार हैं ; पक्के कुओं का निर्माण व मरम्मत इस योजना के अन्तर्गत वर्ष १९५० तक कुओं को ५०० रु० तक की छूट दी जाती थी। जनवरी, १९५१ तक कुओं के लिए २५० रु० तक की छूट दी गयी।

मार्च सन् १९५० के उपरान्त गत चार वर्षों में १७४९ नये कूप निर्माण हुए। सन् १९५६ तक ३,२०० कुएं बनाने के लिये योजना है। पुराने कुओं की मरम्मत के लिये ईंट सीमेंट का प्रबंध कया जाता है। तथा तकावी भी प्राप्त हो सकती है। इसी योजना के अन्तर्गत ३००० कुओं की मरम्मत हो जाने की आशा है।

बोरिंग—पक्के कुओं के बोरिंग करने की योजना के अन्तर्गत तीन वर्षों में निम्न प्रकार प्रगति हुयी--

सन्	लक्ष्य	प्रगति
१९५१-५२	१७५ प्रति वर्ष	४०
१९५२-५३	१७५ ,,	८९
१९५३-५४	१७५ ,,	२३ (सितम्बर, १९५३) तक

हमारा लक्ष्य यह है कि मार्च सन् १९५६ तक ८७५ कुओं में बोरिंग करा दिया जावेगा। इस कार्य के लिये अब तकावी की मात्रा ४०० रु० प्रति कुएं तक बढ़ा दी गयी है।

गत तीन वर्षों में १९३३ रहट लगाये गये। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कुल ३३२० रहटों के लग जाने की संभावना है। रहट के लिए २५० रु० तक तकावी दी जाती है।

सहकारी नलकूप योजना के अन्तर्गत १९५२-५३ में इस जिले के लिये १५ कुएं स्वीकृत हुए थे। जिनमें से १४ कुओं पर कार्य आरम्भ किया गया। इस वर्ष जिले के लिये ८ कुएं स्वीकृत किये गये हैं। आगामी दो वर्षों में ५२ और कुएं बन जाने की आशा है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक कुएं के लिये १०,००० रु० तकावी के रूप में दिया जाता है जिसमें से ५००० रु० तक छट प्राप्त हो सकती है।

गत तीन वर्षों में उक्त कार्य के लिये निम्नलिखित तकावी वितरित की गयी :

	१९५१-५२	१९५२-५३	१९५३-५४	योग
नलकूप निर्माण ...	१०,०००	..	२१,४५०	३१,४५०
पक्के कुओं का निर्माण ...	८६,३५०	१,०००	४,५००	९१,८५०
रहटों का लगाना ..	१,२००	३,६७५	१,५००	६,३७५
कुओं की बोरिंग ..	५००	...	३,०००	३,५००
सहकारी नलकूप ..	..	१,५०,०००	८०,०००	२,३०,०००
पंपिंग सेटों का लगाना ...	..	..	१६,०००	१६,०००

सहकारी नलकूप निर्माण के लिये ८०,००० रु० की स्वीकृति प्राप्त हुयी है जो कि वर्ष के अन्तर्गत व्यय कर दी जायगी।

पशु पालन सम्बन्धी विकास योजनायें इस प्रकार हैं

अ—पशु धन की उन्नति १—हरियाना व मुर्रा सांड पंच वर्षीय योजना में कुल १०० देने थे जिनमें से अब तक ५४ दिये जा चुके हैं। सन् १९५१ व ५२ में १३ गायें ग्राम माँगलौर में तकावी पर दी गयी।

२—सूअर सांड १५ देने थे जिनमें से ११ दिये जा चुके हैं।

३—बकरा सांड १५ देने थे जिन में से अभी एक भी नहीं दिया गया है।

४—मेढ़ा सांड १५ देने थे जिनमें से अभी एक भी नहीं दिया गया। कोई मांग प्राप्त नहीं हुयी।

५—१,५०० मुर्गियाँ देनी हैं जिनमें से ८५९ दी जा चुकी हैं।

६—३,५०० अंडे देने थे जिनमें से ९९६ दिए जा चुके हैं।

ब—पशुओं का इलाज—पांच वर्षों में १,१५,००० पशुओं का इलाज कराने के लिए लक्ष्य था। जिनमें से ४८,५९६ पशुओं का इलाज हो चुका है।

स—पशुओं का बधिया करना—१२,५०० जानवरों को बधिया करने की योजना थी जिनमें से अब तक ४,३१५ पशु बधिया किए जा चुके हैं।

द—छूतदार बीमारियों के टीके—धुर्का व वेदन के ५,००,००० टीके लगाने की योजना में से अब तक ६,२६,८५९ टीके लग चुके हैं। इस वर्ष सारे जिले में वेदन (आर०पी०के०) के टीके लगाने की योजना चालू की गयी है जिसके अन्तर्गत ३,३४,४१२ टीके लगाये गए।

इ—कृत्रिम गर्भाधान केन्द्र खोलना—सन् १९५५ व ५६ तक एक केन्द्र बुलन्दशहर में खोलने की व्यवस्था विचाराधीन है।

एफ—नया अस्पताल खोलना—एक अस्पताल खोलने की व्यवस्था थी जो अभी बहादुरनगर में खोला जा चुका है इसके अलावा वर्तमान वर्ष में २ पशु निरीक्षक केन्द्र बरौला व ऊंचा गांव में खोले गए हैं।

जी—बूट बाथ बनाना—५० बूट बाथ बनाने की योजना है। अबतक ४ बूट बाथ बन सके हैं।

एच—पशु प्रदर्शनी व मेले—पशुओं की उन्नति व गांव वालों को पशुओं के पालने के उत्साह दिलाने के लिए हमारा लक्ष्य कम से कम ४ पशु प्रदर्शनी प्रति वर्ष करने का है। अब तक २७ मेले गत तीन वर्ष में किये जा चुके हैं।

आई—दवाइयों के बक्स—जो स्थान पशु चिकित्सालयों से दूर हैं उनमें दवाइयों के बक्से दिये जाते हैं। ४ बक्से वर्ष १९५२–५३ में दिये जा चुके हैं। पांच वर्षों में ५८ बक्सों का प्रबन्ध करने की योजना है। इस वर्ष २५ बक्सों के लिये शासकीय अनुदान प्राप्त हुआ है।

सहकारी कार्यों की योजना

पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिला बुलन्दशहर में सहकारी आन्दोलन की प्रगति के लिए सहकारी नलकूपों का निर्माण, सहकारी भट्ठों का खोलना, सहकारी कृषि फार्मों का चालू करना, सहकारी बीज भंडारों का खोलना तथा उनके भवनों का निर्माण करना, सहकारी चकबन्दी समितियों का संगठन करना, तथा सहकारी भवन निर्माण समितियों का चलाना व सहकारी ग्राम समितियों का बनाना, ग्राम समितियों में सदस्यता बढ़ाना तथा उनके हिस्सों की पूंजी में वृद्धि करना है।

१—सहकारी नलकूप—जिले के लिए सन् १९५२ व ५३ में १५ नलकूप स्वीकृत हुए थे जिनमें से निम्नलिखित नलकूपों के प्रस्ताव प्राप्त हुए और उनको निम्न प्रकार से चालू करने की व्यवस्था की गयी :

क्रम सं०	नाम समिति	धन जो समिति ने जमा किया	तकावी जो दी गयी	विवरण
१	मडौना जाफराबाद	३,८५०	१०,०००रु०	कार्य हो रहा है।
२	केशवपुर राठला	२,०००	१०,०००रु०	,,
३	परवाना महमूदपुर	१,०००	१०,०००रु०	,,
४	सटाना	२,०००	१०,०००रु०	,,
५	रूनसी	५,०००	१०,०००रु०	,,
६	दशहरा	९५९	१०,०००रु०	,,
७	करौरा	२,०००	१०,०००रु०	,,
८	भौं बहादरनगर	१,२००	१०,०००रु०	,,
९	उसमानपुर	२,०००	१०,०००रु०	,,
१०	डेरी मच्छा	३,४००	१०,०००रु०	,,

क्रम सं०	नाम समिति	धन जो समिति ने जमा किया	तकावी जो दी गयी	विवरण
११	मकोंड़ा	२,५००	१०,०००रु०	कार्य हो रहा है ।
१२	रुकनपुर	२,०००	१०,०००रु०	,,
१३	वचयोली	२,०००	१०,०००रु०	,,
१४	नगर	२,०००	१०,०००रु०	,,

इन नलकूपों का निर्माण कृषि इंजीनियरिंग विभाग की देख रेख में हो रहा है। आशा है कि अधिकांश ट्यूबवेल इस वर्ष जून तक बन कर तैयार हो जायेंगे। वर्ष १९५३ व ५४ में जिले के लिए इस योजना के अन्तर्गत १० कुएं स्वीकृत हुए थे। परन्तु प्रार्थना पत्रों की कमी के कारण केवल ८ नलकूपों को बनाने की योजना रखी गयी। शेष २ शासन को वापस कर दिये गए।

२--सहकारी भट्टों का निर्माण--निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं ने अपने भट्टे १९५२ व ५३ तथा १९५३,५४ में चलाने की व्यवस्था की है।

क्रम सं०	नाम संस्था	स्थान जहां खोले गये	वर्ष	विवरण
१	सहकारी संघ, औरंगाबाद	औरंगाबाद	१९५३-५४	चालू है । कोयले की कमी के कारण चालू नहीं हुआ। कोयले का इंतजाम किया जा रहा है ।
२	सहकारी संघ, कुचेसर	कुचेसर	१९५३-५४	
३	सहकारी समिति, दानपुर	दानपुर	१९५२-५३	चालू है ।
४	सहकारी संघ, खुर्जा	खुर्जा शहरा	१९५२.५३	चालू है ।
५	कन्ज्यूमर्स सोसाइटी, खुर्जा	खुर्जा	१९५३-५४	चालू है ।
६	जिला विकास संघ, बुलन्दशहर	खानपुर	१९५३-५४	कोयले की कमी के कारण कार्य रुका हुआ है । कोयले का प्रबन्ध किया जा रहा है ।
७	कंज्यूमर्स स्टोर, बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	१९५२-५३	चालू है ।
८	ग्राम समिति नासिरपुर, भसरौली	नासिरपुर	१९५३-५४	चालू है ।

इस योजना के अन्तर्गत वर्ष १९५६ तक २० भट्टे खोलने की योजना है।

३--सहकारी कृषि फार्मिग समिति--योजना के अन्तर्गत साल १९५२,५३ में एक समिति खोली गयी जिसका विवरण इस प्रकार है---

क्र० सं०	नाम समिति	तावदाद मेम्बर	सरकार दारा कर्ज जो मेम्बर को लिला	निजी पूजी	भूमि जो फार्म में है
१	निष्क्रान्त व्यक्तियों (डिस्प्लेस्ड) की सहकारी समिति, सूरजपुर	२८	२४,५९४ रु०	७,३१६ रु०	२३२ एकड़

४--सहकारी बीज भंडार--इस योजना के पूर्व इस जिले में कृषि विभाग के १३ बीज भंडार सहकारी विभाग को १९४८ में प्राप्त हुए थे।

इनके अतिरिक्त सन् १९५०,५१ में ३ बीज गोदाम कानपुर, करौरा तथा कुचेसर में खोले गए, जिनमें कार्य आरम्भ किया गया परन्तु कुचेसर गोदाम, मौबहादुरनगर से अति समीप होने के कारण सन् १९५२,५३ में बन्द कर देना पड़ा। उपरोक्त १५ बीज भंडारों में अपने निजी भवन निर्माण अथवा क्रय कर लिए हैं।

इसके अतिरिक्त समस्त बीज भंडारों पर पूर्ण रूप से 'ए' क्लास बीज बनाया जा रहा है, जिनमें ५० प्रतिशत 'ए' क्लास हो चुका है और शेष ३ वर्ष में पूरा हो जायगा।

५—सहकारी चकबन्दी समितियां—इस योजना से पूर्व जिले में ९ समितियां बन चुकी थी जिनमें चकबंदी का कार्य समाप्त हो चुका था। इस योजना के अन्तर्गत ग्राम परथला, खंजरपुर, सुरजावली व चरौरा में कार्य चल रहा है।

६—सहकारी भवन निर्माण समितियां—इस योजना के पूर्व इस जिले में ७ समितियां खोली जा चुकी थीं जिनमें से निम्न २ समितियों में भवन निर्माण का कार्य भी चल रहा है।

(१) गवर्नमेंट एजूकेशनल आफीशियल हाउसिंग कोआपरेटिव सोसाइटी, बुलन्दशहर

(२) शिवपुरी आफीशियल कोआपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, बुलन्दशहर।

इसके अतिरिक्त पुर्वार्थी व्यक्तियों की १ भवन निर्माण समिति और बनायी जा रही है।

७—ग्राम समितियां—४८५ ग्राम समितियों का निर्माण ३० जून, १९५३ तक हो चुका है। १-७-५३ से २८-२-५४ तक १७ समितियाँ और बनायी गयीं। यह समितियां अपने सदस्यों को सस्ते सूद पर कर्जा, बीज-यंत्र तथा खाद आदि वितरण करने का प्रबन्ध करती हैं।

८—सदस्यता में वृद्धि—साल १९५२, ५३ तक सहकारी संस्थाओं के सदस्यों की संख्या १८,९०१ थी, जिनमें १-७-५३ से २८-२-५४ तक ३६८ सदस्यों की वृद्धि की गयी है।

हिस्से की पूंजी में वृद्धि—साल १९५२, ५३ के अन्त में ३,१३,०५० रु० इस मद में था १-७-५३ से २८-२-५४ तक १३,६४१ रु० हिस्से की पूंजी में और बढ़ाया जा चुका है।

जन-स्वास्थ्य कार्यों की योजना तथा प्रगति इस प्रकार है

अस्पतालों की व्यवस्था गत तीन वर्षों में राजघाट, दादरी, भौंबहादुरनगर, जेवर, ककोड़, बरोसा सैदपुर और थोरा में ऐलोपैथिक अस्पताल खोले गए। शिकारपुर में एक नया प्राइवेट वार्ड खोला गया। एक नया जनाना अस्पताल १९५३ में अनूपशहर में खोला गया। आयुर्वेदिक औषधालय जहांगीरपुर, बिसरल, ऊंचागांव तथा खानपुर में स्थापित किए गए। जिले के सदर अस्पताल में भी आवश्यक सामान बढ़ाया गया। शासन का विचार एक अस्पताल दनकौर में भी खोलने का है। वर्तमान वर्ष में रामघाट में एक आयुर्वेदिक औषधालय खोलने की स्वीकृति प्राप्त हो गयी है।

चक्षु सहायता शिविर लगाने की योजना के अन्तर्गत १९५१,५२ में १९५२,५३ में १९५३,५४ में प्रतिवर्ष दो-दो कैम्प जिला चक्षु निवारण समिति द्वारा गांधी नेत्र चिकित्सालय अलीगढ़ की सहायता से चलाये गये। आगामी २ वर्षों में ४ कैम्प और लगाने की योजना है।

बी०सी०जी० के टीके—१९५२,५३ में २०,४०६ व्यक्तियों के तपेदिक से बचाव के लिये टीके लगाये गए तथा ६२,२५१ व्यक्तियों का परीक्षण किया गया।

मलेरिया निरोधक कार्य—इस योजना के अन्तर्गत सन् १९५२,५३ में ५०० मलेरिया ग्रसित ग्रामों को दवा छिड़कने के लिये चुना गया और अधिकांश ग्रामों में दवा छिड़कवाई गयी। सन् १९५३,५४ में पुनः उन्हीं ग्रामों में दवा छिड़काई गयी।

भयानक रोगों की रोकथाम--सन् १९५२ में ३२,००४ तथा १९५३ में १,०२,८८६ टीके स्वास्थ्य विभाग द्वारा हैजे की रोकथाम के लिये लगाए गये। सन् १९५१-५२ में ६२,९१५ तथा १९५२-५३ में १,०१,२४९ टीके चेचक के लगाये गये।

जच्चा-बच्चा केन्द्र--इस समय जिले में ४ सरकारी तथा ३ अन्य केन्द्र खुले हुए हैं। पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जिले में ४ अन्य केन्द्र खुलने की आशा है।

सड़कें तथा सार्वजनिक निर्माण विभाग के कार्य

सार्वजनिक निर्माण विभाग, बुलन्दशहर द्वारा स्यानागढ़, बुलन्दशहर, अनूपशहर, अलीगढ़, अनूपशहर दुराहा, डिवाई स्टेशन रोड, खुर्जा जेबर दनकौर, से दनकौर रेलवे स्टेशन तथा बुलन्दशहर से झाझर जाने वाली जिला बोर्ड द्वारा सौंपी गई १०६ मील ४ फर्लांग सड़कों की मरम्मत तथा सुधार का कार्य १९५२ तक किया गया। वर्तमान पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत स्याना बुगरासी सड़क को जो कि ४ मील ६ फर्लांग लम्बी है मिट्टी डालकर चौड़ा तथा ऊंचा किया जा रहा है और उस पर पुलियां बनवाई जा रही हैं। इस सड़क के तीन मीलों पर मिट्टी का कार्य गत वर्ष तथा वर्तमान वर्ष में श्रमदान द्वारा कराया गया है, जिसका अनुमानित मूल्य १२,००० रु० से अधिक है।

डिवाई स्टेशन सड़क (राम घाट)--इस सड़क पर जिला बोर्ड तथा नियोजन विभाग द्वारा श्रमदान में मिट्टी का कार्य वर्तमान वर्ष में कराया जा रहा है। जिला बोर्ड ने भी इस सड़क के लिए कुछ धन स्वीकृत किया है।

जिला बोर्ड तथा जिला नियोजन समिति के संयुक्त प्रयास से स्थाना से सठला भौंबहादुरनगर होती हुई कुचेसर तक ११ मील लम्बी सड़क का निर्माण किया जा रहा है। इस सड़क का कार्य १९५१ में आरम्भ हुआ था। जिला बोर्ड ने अभी तक इसके ३ मील पक्के कराये हैं और ६ मील में आवश्यक पुलों का निर्माण कराया है। इस समय जिला बोर्ड इसके १ मील को और पक्का करा रहा है। इस सड़क के लगभग ३ मील जिला नियोजन समिति द्वारा पक्के कराये जा चुके हैं और एक बड़े पुल का निर्माण कराया गया। गत वर्ष तथा इस वर्ष इस सड़क के ४ मीलों पर श्रमदान द्वारा लगभग ८,००० रु० की लागत का मिट्टी का कार्य हुआ। इसमें से २ मील और पक्का कराने की योजना है। इस सड़क के लिये कुल २०,००० रु० १०५२-५३ में तथा २५,००० रु० १९५३-५४ में शासन द्वारा दिया गया है। जिले के विकास कार्यों में इस सड़क का निर्माण विशेष रूप से उल्लेखनीय है। गत वर्ष में कुल ६७८ मील सड़कों का पुनःनिर्माण हुआ तथा २६४ मील रास्तों को समतल व साफ करके सुधार किया गया।

यातायात सम्बन्धी योजनायें तथा प्रगति

सन् १९५१-५२ ५३ में कोई नयी सर्विस पूर्णतः रोडवेज द्वारा नहीं ली गई। सन् १९५३-५४ में दिल्ली बुलन्दशहर सर्विस को लेने की योजना अवश्य थी। वर्ष १९५४-५५ में खुर्जा जुवर तथा अलीगढ़ अनूपशहर और मेरठ बुलन्दशहर की सर्विस लेने की योजना है। वर्ष १९५५-५६ में बुलन्दशहर, अनूपशहर तथा बुलन्दशहर स्यानागढ़ मुक्तेश्वर सर्विस को लेने की योजना है। यातायात का राष्ट्रीकरण धीरे धीरे किया जावेगा। रोडवेज के अधिकारियों द्वारा क्रमशः अधिकाधिक ऐसी सुगमतायें प्रस्तुत की जा रही हैं जो पहले कभी प्राप्त नहीं थीं।

शिक्षा सम्बन्धी विकास कार्य

उच्चतर माध्यमिक विद्यालय--सन् १९५१-५२ में जिले में २५ विद्यालय थे। लक्ष्य यह है कि १९५५-५६ तक ३३ विद्यालय बालकों के लिये हो जायेंगे। १९५१-५२ में बालिकाओं के २ विद्यालय थे जो कि १९५५-५६ में ४ हो जावेंगे।

जूनियर हाई स्कूल १९५१–५२ में बालकों के लिये ३६ थे। १९५५–५६ में यह संख्या बढ़कर ६८ हो जावेगी।

प्राइमरी विद्यालयों की संख्या १९५१–५२ में ४३७ थी यह संख्या पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत ४६४ हो जावेगी।

बालिकाओं के लिये १९५१–५२ में केवल जूनियर हाई स्कूल थे। १९५५–५६ तक यह संख्या ६ हो जावेगी। बालिकाओं के १९५१–५२ में १४ प्राइमरी विद्यालय थे जो १९५५–५६ में बढ़कर ४० हो जावेंगे।

विद्यालयों के लिये खेती की शिक्षा देने के लिये शासन द्वारा अध्यापकों का प्रबन्ध किया जा रहा है और आवश्यक जमीन इत्यादि को भी उपलब्ध करने की योजना है।

बुलन्दशहर कृषि विद्यालय में ग्राम सेवकों तथा क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के लिये बहुधन्धी शिक्षा देने हेतु क्रमशः ६ मास तथा ४ मास की शिक्षा का प्रबन्ध किया गया है। जिसमें विभिन्न विभागों के कार्यकर्ता शिक्षा पाते हैं। इस समय इसमें कार्य कर्ताओं का तीसरा दल शिक्षा पा रहा है। कार्यकर्ताओं को वैभागिक कार्य की जानकारी के अतिरिक्त देहातों में जाकर और रहकर कार्य करने की शिक्षा दी जाती है और सब कार्यों को हाथ से करने का अभ्यास कराया जाता है:

घरेलू उद्योग

घरेलू उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये जिला नियोजन समति की एक उपसमिति का निर्माण शासकीय आदेशानुसार किया गया है। जिला नियोजन समिति ने ३,००० रु० उद्योगों के सहायता का प्रविधान वर्ष १९५३–५४ के बजट में कर दिया है।

बुलन्दशहर की पंचायत राज पंचवर्षीय विकास योजना के लक्ष्य एवं प्रगति का विवरण

हमारा पंच-वर्षीय लक्ष्य १८७ पंचायत घरों का था। जिनमें से ३२ पंचायत घरों की व्यवस्था हो चुकी है।

गांधी चबूतरों का निर्माण––पंच-वर्षीय योजना में १८७ पक्के तथा ६८५ कच्चे गांधी चबूतरे का लक्ष्य रक्खा गया था जिनमें से अबतक ६२ पक्के तथा ३१२ कच्चे गांधी चबूतरों का निर्माण हो चुका है।

पुस्तकालय व वाचनालय––पंच-वर्षीय योजना में १८७ पुस्तकालय तथा ६८५ वाचनालयों की व्यवस्था रक्खी गई थी। ग्राम सभाओं द्वारा पूर्णतः संचालित १६ पुस्तकालयों में २४० पुस्तकें हैं और ग्राम सभाओं से अनुदान प्राप्त १७ पुस्तकालयों में ४७९ पुस्तकें हैं। इस प्रकार कुल पुस्तकालयों की संख्या ३३ है। प्रत्येक ग्राम सभा में प्रदेशीय पंचायत राज पत्रिका नियमित रूप से पहुंचती है पंचवर्षीय योजना की अवधि में हमारा लक्ष्य यह था कि प्रत्येक गांव सभा में इस पत्र के अतिरिक्त एक दैनिक पत्र भी पहुंचने लगे। परन्तु आर्थिक कठिनाइयों व धनाभाव के कारण इसकी प्रगति में बाधायें उपस्थित हुई हैं। जैसे ही गांव सभाओं की आर्थिक स्थिति ठीक हो जावेगी, अधिक पुस्तकालय व वाचनालय चलाये जायेंगे।

रेडियो मनोरंजन तथा खेलकूद के साधन––योजना के अन्तर्गत १८७ पंचायती अदालत केन्द्रों में रेडियो का प्रबन्ध करने, ६८५ ग्राम सभाओं में अखाड़े चलान तथा १८७ पंचायती अदालती केन्द्रों में व्यायाम शालायें चलाने का लक्ष्य रक्खा गया है। ग्राम सभाओं द्वारा अब तक ९२ रेडियो सेटों की व्यवस्था की जा

चुकी है। जन स्वास्थ्य के हेतु ६४२ अखाड़े तथा ११६ व्यायामशालाओं की स्थापना की गई है। इन में से ३२ ग्राम सभाओं को शासकीय अनुदान से खेल कुद का सामान वालीवाल तथा मुगदर आदि देने का प्रबन्ध किया गया है। इस दिशा में सब से महत्व पूर्ण प्रयास पिछले वर्ष किया गया जब कि ग्राम सभा पंचायती अदालत तथा निरीक्षक क्षेत्र पर प्रतियोगितायें कराई गई और जिला स्तर पर एक बृहत खेलकूद तथा संगीत समारोह आयोजित किया गया।

फसल प्रतियोगिता व उन्नतिशील बीज की योजना एवं कृषि सुधार---उन्नतिशील बीज योजना के अन्तर्गत १८७ ग्राम सभाओं में उन्नतिशील गेहूं व डिब्लिग रीति के प्रदर्शन किए गए। गत वर्ष पंचायतों द्वारा मूंग टाइप १ के प्रदर्शन किए गए। कपास २१६ एक के बीज का वितरण व प्रचार भी पंचायतों द्वारा किया गया।

पशु नस्ल-सुधार के लिये सांडों का प्रबन्ध, पशु औषधि पेटिकाओं की व्यवस्था---पशु नस्ल सुधार के लिये १०० सांडों को देने का लक्ष्य रक्खा गया था। अब तक कुल ५४ सांडों की व्यवस्था हो चुकी है। पशु-चिकित्सा के लिए ४ गांव सभाओं के लिये पशु औषधि पेटिकाओं का प्रबन्ध किया गया।

सड़कों का निर्माण व मरम्मत---पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत १,२८५ मील कच्ची सड़कों का निर्माण एवं ७५० मील सड़कों की मरम्मत का लक्ष्य रखा गया था। इस सम्बन्ध में प्रगति के आंकड़ों से स्पष्ट है कि हमारा लक्ष्य लगभग पूरा हो सकता है। पंचायतों द्वारा विद्यालयों, प्रान्तीय रक्षक दल तथा अन्य विभागीय कार्यकर्ताओं की सहायता से ६७८ मील कच्ची सड़कों का पुनः निर्माण हुआ है। इस अवधि में ३६४ मील से अधिक सड़कों को विस्तृत समतल व साफ किया गया।

पक्की नाली तथा खरंजों का निर्माण---पंचायती अदालत क्षेत्र को इकाई मानकर पंचवर्षीय योजना में १८७ मील पक्की नाली व खरंजों के निर्माण का लक्ष्य रक्खा गया है। ३ मील २ फर्लांग खरंजों का निर्माण कार्य अभी सम्पन्न हुआ है। वर्तमान वर्ष में नियोजन समिति द्वारा आर्थिक अनुदान प्राप्त होने के कारण इस दिशा में अच्छी प्रगति होने की सम्भावना है।

पुलों तथा पुलियाओं का निर्माण---इस योजना में २०० पुलियों का लक्ष्य रखा गया था। इस दिशा में आश्चर्यजनक प्रगति हुई है। १५५ पुलियाओं का निर्माण हो चुका है।

रोशनी का प्रबन्ध---ग्रामों में रोशनी के प्रबन्ध के लिये पंचायतों ने सार्वजनिक लालटेनों की व्यवस्था की है। योजना में ५ लालटेन प्रति ग्राम सभा के हिसाब से जिले में ६८५ ग्राम सभाओं में ३,४२५ लालटेनों का लक्ष्य रक्खा गया था। अब तक कुल १,९४५ लालटेनों का प्रबन्ध हो चुका है। जिस का अर्थ यह है कि औसतन २ लालटेन प्रत्येक गांव सभा में लग चुकी हैं।

मेटरिनिटी चैस्ट तथा औषधि पेटिकाओं की व्यवस्था---जन स्वास्थ्य के हेतु पंचायत राज योजना में ६८५ औषिधि पेटिकाओं का लक्ष्य था। अब तक कुल २०२ औषधि पेटिकाओं का प्रबन्ध हो चुका है।

पानी पीने के कुओं की मरम्मत---ग्रामों में शुद्ध जल की व्यवस्था के लिये इस योजना में १,३७० कूपों की मरम्मत का लक्ष्य रखा गया था। जिनमें से अब तक ५०० से अधिक कूपों की मरम्मत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त नए कुओं के निर्माण के लिये ईंट, सीमेंट का प्रबन्ध कंन्ट्रोल दरों पर किया जाता है।

खाद के गड्ढे तथा सोखते--सफाई के हेतु २,००० सोखते तथा १५,००० घूरों की खाद के गड्ढों में परिवर्तित करने का लक्ष्य रक्खा गया था। अब तक ६०० सोखते व ७,७४१ खाद के गड्ढे बनाये जा चुके हैं।

सफाई सम्बन्धी उपनियम--ग्रामों में सफाई का प्रबन्ध करने का उत्तरदायित्व गांव सभाओं पर है। अतएव ग्राम सभा द्वारा सफाई सम्बन्धी उपनियम बनाये गये हैं। इन उपनियमों को जिले की समस्त ग्राम सभाओं द्वारा पास करा कर लागू किया जायेगा। इस समय केवल २९ गांव सभाओं में यह उपनियम लागू किए जा चुके हैं।

बुलन्दशहर की पंचायतों द्वारा गत २ वर्षों में पंचायत कर वसूली में संतोषजनक प्रगति दर्शाई गई है। इस समय ५६ प्रतिशत कर वसूल किया जा चुका है।

प्रान्तीय रक्षक दल तथा जन शक्ति संगठन योजना

पंचायत निरीक्षक क्षेत्र पर स्थित जोन वर्करों की देखरेख में प्रत्येक पंचायती अदालत क्षेत्र पर एक हल्का सरदार की नियुक्ति की गई है। प्रत्येक ग्राम क्षेत्र में १ ग्रूप-लीडर और ११-११ रक्षक बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अभी तक हल्का सरदारों की नियुक्ति तो सम्पूर्ण हो पाई है। परन्तु ग्रूपलीडर व सेक्शन लीडर और रक्षक क्रमशः २१,५१० व ८२१ व ७,७८७ हो पाये हैं। प्रान्तीय रक्षक दल के अवैतनिक तथा वैतनिक , कर्मचारियों की मदद से ५ वर्षों में ६० विकास तथा शिक्षण शिविर योजना करने की योजना है। गत तीन वर्षों में ३२ शिविरों का आयोजन सफलता पूर्वक किया जा चुका है। इन शिविरों की देख रेख में सड़कों का बनाना, रास्तों का चौड़ा करना, तथा समतल करना, नाली निर्माण, खाद के गड्ढे बनाना ग्रामों की सफाई, सुरक्षा समितियों का संगठन, खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन इत्यादि कार्य कराये जाते हैं। गणतन्त्र दिवस १९५३ के अवसर पर जो आन्दोलन हुआ उसके फलस्वरूप जिले को श्रमदान कार्यों में २०,००० रु० प्रदेशीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। वर्तमान वर्ष में लगभग गणतन्त्र दिवस श्रमदान आन्दोलन में ३०२ मील ४ फ० सड़कों का पुनः निर्माण हुआ। अनुमान है कि इन सड़कों पर १,६०,४८,६३१ घनफीट मिट्टी का कार्य हुआ। गत तीन वर्षों में ६, ७ लाख रुपयों से अधिक के श्रमदान का कार्य हो चुका है। यह सब कार्य जनता तथा विभागीय कर्मचारियों के पूर्ण सहयोग से संपन्न हुए।

प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा जन स्वास्थ्य सम्वर्धन हेतु खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन कराया जाता है। गत ३ वर्षों में २५ स्थानों पर दंगल तथा २८ स्थानों पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। जिले में ग्राम रक्षा समितियों का संगठन ग्रामों की रक्षा के हेतु २४ की संख्या में ३ वर्ष में संगठन कराया गया।

हरिजन उद्धार सम्बन्धी कार्य

जिले में हरिजन सहायक समिति की देखरेख में हरिजन बस्तियों में पानी पीने के कुओं की व्यवस्था करना, हरिजनों के मकानों के लिए प्राप्त शासकीय अनुदान का वितरण करना, गृह उद्योग धंधों को प्रोत्साहन देकर आर्थिक उन्नति इत्यादि का कार्य किया जा रहा है।

सन् १९५१-५२ में नियोजन विभाग द्वारा कुयें बनाने के लिये उचित दर पर ईंट तथा सीमेंट की व्यवस्था की गई और २७ नये तथा ११ पुराने कुओं के लिये सामान दिया। १९५२-५३ में ५१ नये कुओं का निर्माण हुआ तथा १६ कुओं की मरम्मत हुई। १९५३-५४ में अनुदान स्वरूप तथा स्वयं निर्मित कुओं की संख्या

७१ और मरम्मत किये जाने वाले कुओं की संख्या ३६ है। हमारा लक्ष्य है ५ वर्ष में २०० नये कुओं का निर्माण तथा २०० कुओं की मरम्मत करना। गत तीन वर्षों में शासन से जिले को प्रतिवर्ष सात हजार रुपये इस कार्य के लिये अनुदान प्राप्त हुये हैं। अनुदान के अतिरिक्त २५१ व्यक्तियों को उचित मूल्य पर ईंट, सीमेंट का प्रबन्ध किया गया।

हरिजनों को मकानों सम्बन्धी सुविधा देने के लिये १,००० रु० का अनुदान वर्ष १९५३–५४ में दिया गया।

गृह-उद्योग के लिये १,४५० रु० १९५२–५३ में तथा १९५३–५४ में १,०५० रु० की सहायता हरिजनों को दी गई। विश्वास है कि पंचवर्षीय योजना के अन्त में ७,२५० रु० का अनुदान इस मद में वितरित हो जावेगा।

हरिजन सहायक समिति द्वारा आयोजित सम्मेलनों, प्रचार कार्यों इत्यादि विभिन्न व्यय के लिये शासन से २,००० रु० की सहायता प्राप्त हो चुकी है। पिछले ३ वर्षों में १८ सम्मेलन कराये गये हैं। और भविष्य में भी कराने की योजना है।

हरिजनों की शिक्षा की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। १२वें क्लास तक के विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां देने तथा अन्य सहायता दी जाती है। जिला बोर्ड तथा नगर पालिकाओं को भी छात्रवृत्तियां देने के लिये शासन से अनुदान प्राप्त होता है। इसी प्रकार अन्य विद्यालयों में हरिजनों विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा देने के हेतु अनुदान दिया जाता है।

नत्थी 'ए'

(देखिये तारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ २७७ पर।)

जिला गोंडा में तरबगंज तहसील में होने वाले विकास कार्यों की सूची

१—नवाबगंज के निकटवर्ती क्षेत्र में १० बड़े सहकारी ट्यूबवेल और सरजू रेलवे स्टेशन के पास एक बड़ा सहकारी ट्यूबवेल लग रहा है।

२—दुर्जनपुर तथा नगदही गांव में टेढ़ी नदी पर १६,००० रुपये की लागत के पुल का कार्य आरम्भ किया जा चुका है, मिट्टी डाली जा चुकी है। यह कार्य गांव पंचायत द्वारा श्रमदान और दान के बल पर हो रहा है। इसमें सरकार से आर्थिक सहायता भी दी जायगी।

३—पसका, दुर्जनपुर, निहालपुर, रामगढ़, बुढ़ौलिया ग्राम सभाओं में पंचायत घर तथा बेलसर गांव सभा में पंचायत घर एवं बीज गोदाम का निर्माण हो रहा है। कार्य एक चौथाई शेष है।

४—नवाबगंज में एक पाठशाला भवन का निर्माण हो रहा है।

५—ग्राम सभा मसौलिया , मलांव, ज्ञानपुर, बेलसर, परसपूर दुर्जनपुर, निहालपुर, सिघौटी, में एक-एक छोटे-छोटे ट्यूबवेल लग रहे हैं। दो कुवों में इंजन भी लग गये हैं। गांव पंचायत बड़नापुर, आदमपुर, उमरी वेग मांज, कादीपुर मरचोर में भी छोटे ट्यूब वेल लगाने का विचार है।

२—गोंडा जिले की तहसील तरबगंज में दो पंचायत निरीक्षक क्षेत्र तथा ६० पंचायती अदालत क्षेत्र हैं। प्रत्येक पंचायती अदालत क्षेत्र विकास कार्यों के लिये इकाई मानी गई है। गांव में विकास कार्य प्रत्येक क्षेत्र के विकास समिति के बनाये हुये योजनाओं के अनुसार हो रहे हैं। इन योजनाओं के अनुसार निम्नलिखित विकास कार्य इस तहसील में हुआ है :

सड़कों का निर्माण	.. ..	११ मील २ फर्लांग ७० गज।
सड़कों की मरम्मत	.. ..	१९ मील ५ फर्लांग १८० गज।
पंचायत भवन का निर्माण	..	चार (४)
पुलिया का निर्माण	.. ..	पांच (५)
गांधी चबूतरों का निर्माण	.. ..	अड़तीस (३८)
नालों की खुदाई	.. ..	८८३३ गज
बंधियों का निर्माण	.. ..	चार (४)
सोखतों का निर्माण	.. ..	तिहत्तर (७३)
कच्चे घर को पक्का करना	..	एक सौ अठाईस (१२८)
सुरक्षित पानी पीने के कुओं का निर्माण	..	पैंतीस (३५)
पुस्तकालय की स्थापना	.. ..	चार (४)
क्रीड़ास्थल की स्थापना	.. ..	एक (१)
कम्पोस्ट गड्डे का निर्माण	.. ..	छ सौ छियासठ (६६६)

लगभग २५,००० मन प्रेस्ड कम्पोस्ट प्रतिवर्ष तैयार होती है।

हैंड पम्प लगाये गये	.. ..	तीन (३)
वृक्षारोपण (फलदार)	.. ..	आठ सौ तिरसठ (८६३)
(अन्य)	.. ..	उन्नीस सौ बहत्तर (१९७२)

इस वर्ष ४३,७६१ मन उन्नतिशील गन्ने के बीजों का वितरण किया गया।

७ छोटे पंपिंग सेट वितरित किये गये।

१६७ विभिन्न प्रकार के औजारों का वितरण किया गया।

२,१०७ मन खाद वितरित की गई।

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २१ का उत्तर पीछे पृष्ठ २८० पर)

मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिले के पहाड़ी इलाके के निवासियों को जमींदारी उन्मूलन के पूर्व जो विशेष सुविधायें प्राप्त थीं और जो सामान लेने की सुविधायें थीं उनकी सूची

नाम इलाका	चराई	जलाने की लकड़ी	इमारती लकड़ी, पूला, घास, कांटे इत्यादि
१	२	३	४
जिला मिर्जापुर	धनी जमींदार गायों की चराई का कुछ नहीं लेते थे। दूसरे जानवरों की चराई का निर्ख ।।) से १) तक फी जानवर था।	एक सिर बोझ लकड़ी का दाम ~) से ≡) तक लिया जाता था। इस महसूल का दर ठेकेदार जो जमींदारों से एक मुश्त जंगल खरीदते थे तय करते थे।	ज्यादातर जमींदार लोग बांस, इमारती लकड़ी तथा फूस इत्यादि जो घर बनाने के कार्य में आता है उसका कोई शुल्क नहीं लेते थे। इसके अलावा और कामों के लिये अगर वन उपज ली जाती थी तो उन लोगों से जमींदार निम्नलिखित दर से दाम लेते थे। १०० बांस—।।) से २) तक। एक हल के लिये पूरी लकड़ी——।) कांटों इत्यादि के लिये कुछ नहीं लेते थे।
जिला इलाहाबाद	करछना तहसील में जमींदार जंगलों को नीलाम कर दिया करते थे और ठेकेदार निम्नलिखित दर से चराई लेते थे। सितम्बर-अक्तूबर तक के लिये गाय व बैलों का——।।) भैंसों का——१) इसके उपरान्त माह जनवरी तक के लिये, गाय व बैल——१) भैंस——२) अन्य स्थानों में कोई चराई नहीं ली जाती थी।	मुफ्त मिलती थी	करछना में हल तथा झोपड़ी वग़ैरा बनाने के लिये लकड़ी मुफ्त मिलती थी। मेजा तहसील में इमारती लकड़ी मुफ्त मिलती थी। बांस कड़ी इत्यादि ३) प्रति वर्ष की दर से ली जा सकती थी। इसकी मात्रा कोई निश्चित नहीं थी। पूला व घास वग़ैरा फी गांव के लिये नीलाम कर दिया जाता था। दाम नाम मात्र के लिये बहुत कम होते थे।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न का उत्तर पीछे पृष्ठ २८० पर)

जमींदारी उन्मूलन के पश्चात् सरकारी वन विभाग की ओर से मिर्जापुर तथा इलाहाबाद जिले के पहाड़ी इलाके के निवासियों को जो सुविधायें प्राप्त हैं और जो सामान जिन शर्तों या मूल्य पर मिलते हैं उनकी सूची

नाम इलाका	चराई	जलाने की लकड़ी	इमारती लकड़ी पूला, घास कांटे इत्यादि	अन्य रियायतें	
१	२	३	४	५	६
जिला मिर्जापुर १—सोन फारेस्ट डिवीजन	१—गाय मुफ्त २—बैल मुफ्त कृषि कार्य के लिये २ आ० अन्य बैलों के लिए ३—भैंस ४ आ० प्रति वर्ष ४—भेंड़, बकरी १२ आ० प्रति बीस कोड़ी प्रति वर्ष ५—ऊंट ३ रु० प्रति वर्ष ६—हाथी ३०० रु० प्रति वर्ष ३० रु० प्रति माह १ रु० प्रति दिन ७—घोड़ा ४ आ० प्रति वर्ष	गांव के रहने वालों को मुफ्त	हल वगैरह की लकड़ी (पूरा सामान) ४ आ० प्रति हल बाँस १ से १०० तक ८ आ० प्रति सैकड़ा। बांस १०१ से ५०० तक १ रु० सैकड़ा। बांस ५०० से अधिक १ रु० ४ आ० प्रति सैकड़ा बांस टोकरी बनाने के लिये ८ आना प्रति सैकड़ा। कोरों, थाम वग़ैरा छप्पर के लिये ८ आ० प्रति घर। रस्सी बनाने व छप्पर छाने के लिये बगई १रु० ४ आ० प्रति घर। घर में आग लग जाने या बाढ़ आदि आ जाने से भी घर बनाने के वास्ते लकड़ी मुफ्त दी जाती है।	१—लोहार के लिये कोयला २—चमड़ा सिझाने की पत्ती। ३—ढेकुलावन तेलियों के लिये। ४—ढ़ेकी चावल कूटने के लिये	१ रु० ४ आ० प्रति वर्ष प्रति आदमी १ रु० ४ आ० प्रति आदमी १ रु० ४ आ० प्रति आदमी १रु० ४आ० प्रति आदमी

नाम इलाका	चराई	जलाने की लकड़ी	इमारती लकड़ी, पूला, घास, कांटे इत्यादि
१	२	३	४
२-दूधी डवीजन	चारे की घास निजी इस्तेमाल के लिये मुफ्त।	निजी इस्तेमाल के लिये मुफ्त फी घर फी साल तेंदू, ककोड़, बेर, धवल घंटा, करि तथा मनार इत्यादि के १०० पेड़ मुफ्त।	कांटे, फूल, फल तथा घर के लिये लकड़ी निजी इस्तेमाल के लिए मुफ्त।

मरम्मत व मकान बनाने मरम्मत व मकान बनाने की लकड़ी फी घर हर तीन साल साल, आसा तेंदु या सीधा का एक पेड़ जो मोटाई २×३′ हो.....मुफ्त। दूसरे प्रकार के १२ पेड़ जो १′+१ १/२′ के हों.....मुफ्त।

हल वग़ैरा बनाने के लिये लकड़ी।

२–पेड़ खैर या साल के जो १ १/२×२ के हों ...मुफ्त। २ पेड़ कोकट के जो १ १/२×२ के हों.....मुफ्त।

बांस छत छाने तथा घेरा घेरने के लिये।

१०० बांस फ़ी घर १ साल में .....मुफ्त।